शुक्रवार,
१३ फरवरी, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

भाग १—प्रश्न और उत्तर

शासकीय वृत्तान्त

अंक १ प्रथम भारत संसद के तृतीय सत्र का द्वितीय दिवस संख्या १

लोक सभा

शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** (श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार) अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ब्रिटिश सेना के लिए गोरखों की भरती

*१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत संघ के प्रदेश में गोरखों की भर्ती के लिये ब्रिटिश शिविर बन्द कर दिये गये हैं ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने ब्रिटिश सेना के लिये भर्ती किये गये गोरखों के भारत संघ के प्रदेश में से हो कर ले जाने के लिये ब्रिटेन की सरकार को कोई वैकल्पिक आश्वासन दिये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान उन के द्वारा इस सदन में १२ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये प्रश्न के उत्तर की ओर दिलाऊंगा । इस विषय में भारत सरकार ने जो स्थिति ग्रहण की है उसे ब्रिटेन की सरकार ने स्वीकार कर लिया है । इस विषय पर नेपाल

तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य चर्चा हो रही है ।

(ख) सन् १९४७ में ब्रिटेन, नेपाल तथा भारत की सरकारों के मध्य जिस त्रिदलीय क़रार पर हस्ताक्षर हुये थे उस के अन्तर्गत भारत सरकार ने नेपाल से जाने वाले गोरखों को भारत में से गुज़रने के लिये यातायात की सुविधा देना स्वीकार कर लिया था । यह क़रार चालू है तथा और कोई नया आश्वासन नहीं दिया गया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मलाया में ब्रिटिश कार्यवाहियों के इस सारे प्रश्न के प्रति हमारे रुख़ को ध्यान में रखते हुये क्या हम नेपाल में ही गोरखा सेनाओं की भर्ती के सम्बन्ध में इस त्रिदलीय क़रार पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : स्पष्ट है कि नेपाल में जो कुछ होता है उस का भारत सरकार से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है, इस विषय पर नेपाल सरकार विचार कर रही है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है त्रिदलीय क़रार एक ऐसी चीज़ थी जिस में कि हम ने मुख्यतया नेपाल सरकार को आभारित किया था : अर्थात् लोगों को जाने की आज्ञा दे दी थी—वास्तव में वे जा तो सकते हैं, नेपाल के लोग व्यक्तिगत रूप से हमारे देश में से हो कर जा सकते हैं,

सशस्त्र व्यक्ति नहीं जाते, व्यक्तिगत रूप से लोग आते जाते हैं—और तब हम ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी थी। हम ने यह बतला दिया था कि हम इसकी भी बहुत देर तक अनुमति नहीं दे सकते। इसी कारण हम सरलता से उस क़रार को समाप्त नहीं कर सके, किन्तु हम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह चीज़ अनिश्चित रूप से नहीं चल सकती।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इन सेनाओं को हमारे देश में से ले जाने के सम्बन्ध में भी दी हुई सुविधाओं को समाप्त करने के लिये क्या कोई समय की अवधि निश्चित की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस समय तो केवल सन्धि की अवधि ही समय की अवधि है। इस समय मुझे यह स्मरण नहीं कि यह किस तिथि को समाप्त होगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि हमारी सरकार ने हमारी अपनी इंजीनियरिंग कोर के कुछ आदमियों, जैसे हवालदार पुन्नू स्वामी और जमादार जगन्नाथ राव, को मलाया की सेना की गोरखा टुकड़ियों के साथ काम करने के लिये मलाया और हांगकांग भेजा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं पूछ दूंगा। जहां तक मैं जानता हूं सरकारी रूप से इस विषय में कुछ नहीं किया गया है। निजी रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों का मुझे पता नहीं है।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने अंग्रेज़ों को बैरकपुर में गोरखों के प्रशिक्षण के लिये सुविधा दी हुई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह पहिले किया गया था और अब हम इसे बन्द कर रहे हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या मलाया में गोरखा प्रशिक्षकों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये ब्रिटेन ने भारत से कोई डाक्टर भर्ती किये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस विषय में पता नहीं है ; मेरे पास इस विषय में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। सम्भव है व्यक्तिगत रूप से भर्ती की गई हो, किन्तु किसी विशेष प्रयोजन से नहीं की गई। उदाहरण के लिये बर्मा तथा अन्य स्थानों के लिये डाक्टर भर्ती किये गये हैं ; लोग उन्हें भर्ती करते हैं और हम उन के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालते। परन्तु मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि विशेष रूप से वहां के गोरखों के लिये किसी व्यक्ति को भर्ती किया गया हो।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या बैरकपुर और दार्जिलिंग में प्रशिक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, या अब भी जारी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस में कुछ सन्देह है कि यह समाप्त हो गई है। जब इस के साथ नेपाल सरकार का भी सम्बन्ध हो तो एकपक्षीय कार्यवाही करना कठिन हो जाता है। दो या इस से कुछ मास पहिले हम ने नेपाल सरकार तथा ब्रिटेन की सरकार को यह सूचित कर दिया था कि ये केन्द्र बन्द हो जायेंगे। इस का उत्तर आने में महीना भर या इस से कुछ अधिक समय लग गया। वे ऐसा किये जाने के लिये सहमत हो गये और इसके बाद वे आपस में बातचीत करने के लिये तैयार हो गये।

मैं ठीक ठीक नहीं बतला सकता कि यह विषय इस समय किस अवस्था में है ।

भारत अमेरिकी वाणिज्य तथा नौपरिवहन सन्धि

*२. **श्री नानादास :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के मध्य भारत-अमेरिकी वाणिज्य तथा नौपरिवहन सन्धि को सम्पन्न करने के लिये बातचीत समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सन्धि की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि यह बातचीत कब से हो रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : कुछ समय से बातचीत हो रही है, किन्तु अक्तूबर से इस में कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि वह सरकार अपने राष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त थी ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या इस बातचीत में भारतीय नौपरिवहन के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक पोत प्राप्त करने के हेतु कोई कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): इस का इस सन्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह तो एक स्वतन्त्र प्रस्ताव है । इस का दोनों देशों के मध्य वाणिज्य आदि की सन्धि के प्रस्तावों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस वाणिज्य तथा नौपरिवहन की सन्धि में भारतीय नौपरिवहन के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक पोत प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया गया है जिससे कि भारत के लिये विदेशी व्यापार में विदेशी पोतवहन के एकाधिपत्य को रोका जा सके ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: श्रीमान्, मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रश्न विचार के लिये बहुत व्यापक है——अपने साधनों तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये हम इसे कहां तक कर सकते हैं । परन्तु इस का इस सन्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस सन्धि का विचार छोड़ दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, श्रीमान् ।

हीराकुद परियोजना के प्राक्कलन

*३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हीराकुद परियोजना के प्राक्कलन बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन कारणों से ;

(ग) क्या सरकार वृद्धि के कारणों की सूक्ष्म परीक्षा करने के लिये कोई पग उठा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो ये पग क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) तक । माननीय सदस्य का ध्यान ९ फ़रवरी, १९५३ को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की ओर आकर्षित किया जाता है जिस की एक प्रति सदन

पटल पर रखी जाती है । [**दखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या १**]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या यह सत्य है कि मुख्य इंजीनियर के लिये बड़े शानदार पैमाने पर एक स्थायी निवासस्थान बनाया जा रहा है जिस का मूल प्राक्कलन ५८ हज़ार रुपये का था और वर्तमान प्राक्कलन ७९ हज़ार रुपये से भी बढ़ गया है ?

श्री हाथी : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सत्य है कि एक ठेकेदार को चार महीने में ७९ हज़ार रुपये में से अगाऊ धन की आठ क़िस्तें दी जा चुकी हैं और आज तक उस से केवल २ हज़ार रुपये प्राप्त हुये हैं ?

श्री हाथी : मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इन बड़ी बड़ी राशियों के व्यर्थ नाश को ध्यान में रखते हुये सदन पटल पर रखे हुये प्राक्कलन सन्तुलित कैसे हो सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क का विषय है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, यह तो अंकगणित की संख्याओं का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तथ्य जानने के लिये प्रश्न पूछें ।

श्रीमती रणु चक्रवर्ती : उन्होंने संख्याओं को सन्तुलित कर दिया है और उन्होंने बताया है कि पूर्ण सन्तुलन रखा गया है । मैं यह जानना चाहती हूं कि इतनी बड़ी बड़ी राशियां व्यर्थ नष्ट करके उन्होंने यह सन्तुलन कैसे किया होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या को कल्पना करके टिप्पणियां नहीं करनी चाहियें । माननीय सदस्यों को उत्तर मांगने चाहियें, उन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह व्यर्थ नष्ट हुआ है इत्यादि । विज्ञप्ति सदन पटल पर रख दी गई है ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या यह सत्य है कि बिजली घर संख्या २ तथा परियोजना के लिपट सिंचाई के भाग के निर्माण का विचार छोड़ दिया गया है ; यदि हां, तो क्या परियोजना के इन भागों पर होने वाले व्यय को संशोधित प्राक्कलनों में से घटा दिया गया है ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान् ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या यह सत्य है कि इस के बावजूद भी संशोधित प्राक्कलन बढ़ गये हैं ?

श्री हाथी : प्राक्कलन पहिले के समान ८९ करोड़ रुपये ही रहेंगे । यह इस से अधिक नहीं होगा ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि आरम्भ में परियोजना का प्राक्कलन ४७ करोड़ रुपये का था और बाद में योजना आयोग ने इसे बढ़ा कर ६७ करोड़ रुपये तक कर दिया था ? क्या यह अब भी वही है ?

श्री हाथी : यह सत्य है कि मूल प्राक्कलन ४७ करोड़ रुपये का ही था । बाद में यह प्राक्कलन ८९ करोड़ रुपये हो गया था पहला परिवर्तन ६७ करोड़ रुपये हुआ था ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि नवीनतम प्राक्कलन ८९ करोड़ रुपये का है ?

श्री हाथी : प्राक्कलन का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने यह कहा था कि यह ८९ करोड़ रुपये से बढ़ कर ९२ करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इन ८९ करोड़ रुपयों में परियोजना का डेल्टा सिंचाई भाग भी सम्मिलित है ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान् ।

श्री वी० पी० नायर : हमें जो तथाकथित प्रौद्योगिक मंत्रणा प्राप्त हुई थी उस से प्राक्कलन में कितनी वृद्धि हुई थी ?

श्री हाथी : यह वृद्धि किसी प्रकार की प्रौद्योगिक मंत्रणा के कारण नहीं हुई थी । यह तो मुख्यतया उन कारणों से हुई थी जिन का कि प्रैस विज्ञप्ति में उल्लेख किया हुआ है । इनमें से एक कारण सिंचाई के क्षेत्रफल को १० लाख एकड़ से बढ़ा कर १९ लाख एकड़ कर देना और श्रम की लागत तथा मूल्यों में वृद्धि थी ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : इस संशोधित प्राक्कलन में खरीदी गई सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री हाथी : मेरे पास इस के अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

श्रीलंका में भारतीयों को सहायता प्राप्त चावल का दिया जाना

*४४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्रीलंका में नये सिरे से जारी की गई राशन पुस्तिकाओं के कारण श्रीलंका में रहने वाले बहुत से भारतीय सरकारी सहायता प्राप्त चावल प्राप्त करने के लिये अनर्ह हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीयों की लगभग संख्या कितनी है जो कि सहायता प्राप्त चावल प्राप्त करने में अनर्ह हो गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां । निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को अपवर्जित कर दिया गया है :

(१) अवैध आप्रवासी,

(२) द्रष्टांकों द्वारा द्वीप में अस्थायी रूप से आने वाले व्यक्ति, और

(३) निवास का अनुमतिपत्र रखने वाले १-११-१९४९ के पश्चात् श्रीलंका में प्रविष्ट होने वाले व्यक्ति जिन की निवास की अवधि समाप्त हो गई हो।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार २०,००० से अधिक व्यक्ति सहायता प्राप्त चावल प्राप्त करने के लिये अयोग्य हो जायेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उन भारतियों की संख्या का पता लगाया है जो कि १९४९ में आप्रवासी विधि के पारित होने से पहले श्री लंका में प्रविष्ट हो चुके थे और जो कि चावल का राशन प्राप्त करने के लिये अनर्ह हो गये हैं ।

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ये १०,००० और ५०,००० के बीच होंगे । श्री लंका के खाद्य विभाग के अनुमान के अनुसार इन की संख्या लगभग २०,००० है । ये सब के सब लगभग भारतीय ही हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि श्री लंका की चावल के राशन की विधि के अनुसार जो व्यक्ति नवम्बर, १९४९ से पूर्व उस राज्य में प्रविष्ट हो चुके थे उन्हे चावल का राशन मिलना चाहिये था, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस बात की ओर उस सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जो इस तिथि के पश्चात् श्रीलंका में प्रविष्ट हुये हैं, किन्तु जिन के पास अस्थायी रूप से रहने के अनुज्ञा-पत्र हैं उन्हे राशन देने से इन्कार नहीं किया गया है, किन्दु केवल उन्हीं व्यक्तियों को राशन देने से इन्कार किया जा रहा है जिन के अनुज्ञापत्र की रहने की अवधि समाप्त हो गई है । हमने इस बात की ओर श्रीलंका की सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि जिन व्यक्तियों को चावल का राशन प्राप्त करने के लिये अनर्ह ठहरा दिया गया है क्या उन्हे चावल मिल रहा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : खुले बाज़ार में चावल मिलता है ; किन्तु उस का मूल्य राशन की दूकानों में मिलने वाले चावल से अधिक है ।

श्री **टी० एम० ए० चट्टियार** : मैं जान सकता हूं कि क्या इस का उद्देश्य यह है कि इनमें से कुछ भारतीय भारत लौट जायें ?

श्री **अनिल क० चन्दा** : यह तो अपनी अपनी सम्मति का प्रश्न है ।

श्री **पी० टी० चाको** : मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय उद्भव के ऐसे लोगों को भी राशन कार्ड देने से इन्कार किया जा रहा है जो श्रीलंका में प्रविष्ट हो चुके थे और जिन्होंने वस्तुत: यह सिद्ध कर दिया है कि वे श्रीलंका में रहने का अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये १९४४ और १९४९ के बीच प्रविष्ट हुये थे और इस का कारण यह बताया जा रहा है कि वे अपने वास्तविक रूप से प्रविष्ट होने का लिखित प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सकते ?

श्री अनिल के० चन्दा : पहिले यही स्थिति थी किन्तु अब उन्होंने सुपरिचित गृहस्थितियों के प्रमाणपत्र को भी प्रवेश का प्रमाण मान लिया है । इन लोगों को चावल दिया जा रहा है ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या उन लोगों को भी राशन कार्ड देने से इन्कार किया जा रहा है जो कि वस्तुत पाने के अधिकारी हैं और जिन्होंने वस्तुत: नागरिकता के अधिकारों के लिये आवेदनपत्र दिया हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास इस विषय में जो कुछ भी जानकारी है वह सब मैं ने सदन के समक्ष रख दी है । इस प्रकार की घटनायें हो सकती हैं ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने श्रीलंका से भारतीय उद्भव के लोगों को इस प्रकार तंग करके निकाल देने की धमकी का सामना करने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है । यह केवल चावल के सम्बन्ध में है ।

श्री पी० टी० चाको : यह एक क़दम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि इन अस्थायी निवासियों को, जिन्हें कि राशन कार्ड नहीं दिये जा रहे हैं चावल कहां से मिलता है और क्या श्री लंका में चोर बाज़ारियों को दण्ड देने के लिये कोई विधि है ?

श्री अनिल के० चन्दा : वहां कुछ दुकान हैं जहां कि उन्हें राशन कार्डों के बिना भी चावल मिल सकता है किन्तु उस का मूल्य राशन के मूल्य से काफ़ी अधिक है

श्री आर० के० चौधरी : क्या बाहर से खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या श्रीलंका की सरकार ने जो संख्या बताई है वह वास्तविक संख्या है या नहीं ?

श्री अनिल के० चन्दा : वे श्रीलंका के आंकड़े हैं ।

श्री लंका के भारतीयों द्वारा धन का प्रेषण ।

*५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि श्रीलंका के एक्सचेंज ने सभी डाक-घरों को यह निदेश दे दिया है कि वे ऐसे पारपत्रों तथा द्रष्टांकों वाले व्यक्तियों को भारत धन न भेजने दें जिन के अस्थायी रूप से श्रीलंका में रहने की अधिकृत अवधि समाप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आदेश का कितने भारतीयों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल क० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) ठीक ठीक संख्या ज्ञात नहीं है किन्तु यह कई हज़ार होगी ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि इन कई हज़ार व्यक्तियों में से कितनों ने सम्बद्ध अधिकारियों को अपने अनुज्ञापत्र फिर से नये करने के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह केवल अनुज्ञापत्रों को फिर से नया करने का प्रश्न नहीं है । एक्सचेंज नियंत्रण आदेश के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को डाक विभाग के अधिकारियों के समक्ष एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना पड़ता है जिस में यह दिया हुआ हो कि इस व्यक्ति को श्रीलंका में रहने की आज्ञा है और केवल तभी उसे उस देश से बाहर धन भेजने दिया जाता है ।

भारत और पाकिस्तान के मध्य पारपत्र प्रणाली

*६. **श्री बी० के० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत और पाकिस्तान के मध्य पारपत्र प्रणाली के कार्य करने में क्या क्या कठिनाइयां अनुभव हुई हैं ;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच इन कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है और यदि किया गया है, तो किस प्रकार से ; और

(ग) इन प्रयत्नों का यदि कोई फल हुआ है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) कठिनाइयां मुख्यतया दो आधारभूत बातों के कारण उत्पन्न हुई हैं, अर्थात्, बहुत थोड़े समय में दोनों ओर बड़ी भारी और खर्चीली शासन व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता के कारण और इस बात के कारण कि आरम्भ में सभी प्रकार के यात्रियों की बिल्कुल भिन्न भिन्न आवश्यकताओं और परिस्थितियों को पूरा करने के लिये पूर्णतया सन्तोषजनक प्रणाली तैयार करना सम्भव नहीं था ।

(ख) जी हां । दोनों सरकारें पत्र-व्यवहार के द्वारा निरन्तर एक दूसरे के सम्पर्क में रही हैं और जहां तक सम्भव हो इन कठिनाइयों को सुलझाने के लिये दो सम्मेलन भी किये गये थे ।

(ग) दोनों सरकारें अपने अपने प्रशासनात्मक प्रबन्धों में कमियों को दूर करने के लिये, इस प्रकार के विषयों में जैसे कि पारपत्र तथा द्रष्टांक पदाधिकारियों के लिये उपयुक्त आवासस्थान प्राप्त करना आदि, परस्पर सहयोग से काम कर रही हैं । दोनों सरकारें जिन योजनाओं पर सहमत हो गई हैं उन में यात्रियों की मुख्य मुख्य श्रेणियों

की आवश्यकतायें आ जाती हैं । जब जब और जैसे जैसे यात्रियों की अन्य श्रेणियों या विशेष आवश्यकताओं की ओर उन का ध्यान दिलाया जाता है उस समय उन कठिनाइयों को सुलझाने के लिये आपस में चर्चा की जाती है । जब से यह प्रणाली लागू हुई है उस के बाद से जो भी बातें एक दूसरे के ध्यान में लाई गई हैं उन में से अधिकांश के बारे में परस्पर समझौता हो गया है । इस विषय में हाल में जो सम्मेलन हुआ था उस में भी बहुत अंश तक आपस में समझौता हो गया था ।

श्री **बी० के० दास** : गत सम्मेलन में किन बातों पर समझौता हुआ था ?

श्री अनिल के० चन्दा : गत सम्मेलन में हुये निश्चयों का दोनों सरकारों को अनुसमर्थन करना होगा । और जब तक पाकिस्तान सरकार इन निश्चयों का अनुसमर्थन नहीं कर देती तब तक इन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्मेलन में पारपत्र के प्रार्थना-पत्र के साथ फोटो लगाने के प्रश्न के सम्बन्ध में ढील दे दी गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : सम्मेलन में हुये निश्चयों के अभी अनुसमर्थन की आवश्यकता है और प्रयोगात्मक रूप से किये गये निश्चयों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं इस सम्बन्ध में यह जान सकता हूं कि भारत सरकार ने भारत के उन मुसलमानों के पारपत्र के आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है जो पूर्वी पाकिस्तान में सरकारी नौकरी करते हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, निश्चय से उन पर भी वही नियम लागू होते हैं जो औरों पर लागू होते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान का द्रष्टांक प्राप्त करने की औपचारिकतायें अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक उलझी हुई और कठिन हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, यह सत्य है क्यों कि बहुत-से लोगों को पारपत्र दिये जाते हैं और यदि मुझे यह कहने दिया जाये भारत में बहुत अधिक संख्या में और बहुत सरलता से दिये जाते हैं । इन की कई श्रेणियां हैं । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पारपत्र क़रार में इन की कुछ श्रेणियां बना दी गई हैं । उदारहण के लिये जो लोग सीमा के दस मील के अन्दर रहते हैं । अतः कुछ उलझनें पैदा कर दी गई थीं जिन्हे कि अब हम ने यथासम्भव सरल बनाने का प्रयत्न किया है । निस्सन्देह, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र हो तो वह पाकिस्तान या किसी भी अन्य देश के लिये पर्याप्त होगा । अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र के अतिरिक्त, यदि मुझे यह कहने दिया जाये तो, भारत और पाकिस्तान के बीच यह स्थानीय पारपत्र होता है : अतः अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र की साधारण सुविधायें तो निस्सन्देह इस में होती ही हैं और उन के अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान में जाने के लिये कुछ विशेष सुविधायें भी होती हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्रों की अपेक्षा भी पाकिस्तान के लिये द्रष्टांक की औपचारिकतायें बहुत अधिक खर्चीली तथा उलझी हुई हैं और अन्य देशों की अपेक्षा उस में कहीं अधिक समय लगता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं बता सकता । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले के विषय में कह रहे हों तो ऐसा हो सकता है । सामान्यतया ऐसा नहीं होन चाहिये ।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे अपने निजी अनुभव से यह ज्ञात हुआ है ।

श्री बी० के० दास : पिछले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बतलाया था कि प्रारम्भिक अवस्था में हम ने जो तीन प्रस्ताव किये थे उन्हें पाकिस्तान सरकार नहीं मान सकी । वे अधिक द्रष्टांक कार्यालयों के खोलने, पूर्वी बंगाल और भारत के बीच विशेष रूप से आसाम की सीमा पर और अधिक अधिकृत मार्ग खोलने और पहुंच तथा प्रस्थान की सूचना पुलिस अधिकारियों को देने के नियम को समाप्त करने के सम्बन्ध में थी । मैं जान सकता हूं कि क्या गत सम्मेलन में इन बातों पर चर्चा की गई थी और क्या कोई निश्चय किया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: हां, श्रीमान् । इन पर चर्चा हुई थी और मैं समझता हूं कि इन विषयों में स्थिति को सुधारने के लिये कुछ निश्चय भी किये गये हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान मैं जान सकती हूं कि इस बात को देखते हुये कि इन पारपत्र सुविधाओं के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है क्या इस बात पर चर्चा की गई थी कि क्या इस की लागत को घटाया जा सकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि कुछ मामलों में इसे घटाने का प्रस्ताव किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : केवल कुछ एक श्रेणियों में ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं अभी इस का उत्तर नहीं देना चाहता क्यों कि मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं, मैं समझता हूं कि कुछ एक श्रेणियों में ऐसा किया गया है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या यह सत्य है कि बहुत-से लोगों को जिन्हे कि भारत में भारतीय अधिकारियों ने पारपत्र दे दिये थे, पाकिस्तानी अधिकारियों नें द्रष्टांक देने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो उन की प्रतिशत संख्या कितनी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं इस विषय में कोई जानकारी नहीं दे सकता । माननीय सदस्य जिन आंकड़ों का उल्लेख कर रहे हैं मुझे उन के सम्बन्ध में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं समझता हूं कि पारपत्र तो भारतीय अधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं और उन पर द्रष्टांक दिये जाते हैं....

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह समझ गया हूं ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं केवल यह जानना चाहता था .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के पास इस समय आंकड़े नहीं हैं ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री ए० सी० गुहा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत-से लोग, जिन्हें कि यहां पारपत्र मिल गये थे, दृष्टांक नहीं प्राप्त कर सके क्या द्रष्टांकों को समाप्त कर के द्रष्टांक प्रणाली के बिना केवल पारपत्र देने के विषय पर चर्चा की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उन में एक द्रष्टांक प्राप्त करने की कठिनाई का विषय भी था ; कठिनाइयों का, मेरा तात्पर्य देने से इन्कार करने से नहीं है, परन्तु स्थिति का सामना करने के लिये प्रशासनात्मक कठिनाइयों से है ; कोई उचित कार्यालय न हो और इसी प्रकार की और बहुत सी बातें हो सकती हैं जिनका कि उत्तर में उल्लेख किया गया

है । मैं समझता हूं कि नये प्रस्तावों के अन्तर्गत ये काफ़ी हद तक दूर हो जायेंगी । द्रष्टांकों को समाप्त कर देने के सम्बन्ध में मैं यह नहीं कह सकता कि इस पर इस रूप में चर्चा हुई थी या नहीं । यह कुछ हद तक तो निश्चय ही विचार का विषय रहा है । जहां तक मुझे स्मरण है द्रष्टांक जारी रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

मध्य-पूर्वी प्रतिरक्षा योजना

*१२. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को उस मध्य-पूर्वी प्रतिरक्षा योजना का ज्ञान है जिसे कि कुछ पश्चिमी शक्तियों ने जन्म दिया है ;

(ख) क्या इस विषय में भारत से परामर्श लिया गया है या पूछा गया है ;

(ग) इस योजना में कौन कौन-से देश सम्मिलित हैं ; और

(घ) इस योजना के वचनों तथा दायित्वों का भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा पर कहां तक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) सरकार को मध्यपूर्वी प्रतिरक्षा संघटन के बारे में सरकारी रूप से कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है और न ही उस के पास कोई अन्य सरकार आई है या किसी ने उसे इस संघटन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया है । समय समय पर इस विषय में समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुये हैं कि कुछ देश इस संघटन की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं । पाकिस्तान सरकार की ओर से यह बताया गया है कि इस विषय में कुछ चर्चा हुई है या हो रही है, किन्तु कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

इस मध्य-पूर्वी प्रतिरक्षा संघटन के स्थापित होने पर इस के कुछ परिणाम निकलना स्वाभाविक है और सम्भव है इस का मध्य-पूर्व के वर्तमान शक्ति सन्तुलन पर कुछ प्रभाव पड़े । अतः स्वाभाविकतया भारत सरकार को इस विषय में रुचि है और वह इस सम्बन्ध में होने वाले घटना चक्र को चिन्तापूर्वक देखती है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस विषय में कुछ ज्ञात है कि इस मध्य-पूर्वी प्रतिरक्षा संघटन में कौन कौन-से प्रदेश सम्मिलित होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सम्भवतः मध्य-पूर्व ।

श्री ए० सी० गुहा : यह तो एक बड़ा अनिश्चित सा शब्द है । क्या इस में फ़ारस की खाड़ी, स्वेज़ नहर और अदन के प्रदेश सम्मिलित होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सामान्यतया ये क्षेत्र मध्य-पूर्व प्रदेश में सम्मिलित किये जाते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार ने उन पक्षों को, जिनके कि इस मध्य-पूर्वी प्रतिरक्षा संघटन में सम्मिलित होने की सम्भावना है इस विषय में भारत की रुचि के सम्बन्ध में कोई संवाद भेजा है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : नहीं, श्रीमान् । जिन विषयों का सीधा अन्य देशों के साथ सम्बन्धों से सम्बन्ध हो उन के बारे में हम औपचारिक रूप से कोई संवाद नहीं भेजते । स्वाभाविकतया, जब आवश्यकता होती है तो हमारा दृष्टिकोण अन्य देशों को स्पष्ट कर दिया जाता है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अभ्यावेदन किया है कि इस प्रकार

के प्रादेशिक प्रतिरक्षा संघटन संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सामूहिक सुरक्षा भावना के लिये सर्वथा विनाशकारी सिद्ध हो रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है । पहिले ही कुछ एक प्रादेशिक संघटन विद्यमान हैं और यह तो तर्क का विषय है कि क्या वे संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में बाधक हैं या नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार ने किसी भी सम्बद्ध पश्चिमी शक्ति से यह जानने का कोई प्रयत्न किया है कि क्या इस प्रकार का कोई प्रयत्न वस्तुतः किया जा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने सोचा था कि सार्वजनिक समाचारपत्रों में जो कुछ भी समाचार प्रकाशित हुये हैं उन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि इस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं । किस हद तक और कहां किया गया है इसमें सन्देह हो सकता है । सार्वजनिक समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उस से यह बात तो बिलकुल स्पष्ट है कि एक ऐसा प्रयत्न किया गया है और किया जा रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत इसे बड़ी चिन्ता की दृष्टि से देखता है, हम यह जान सकते हैं कि क्या भारत सरकार अन्य शक्तियों को यह सूचित कर देगी कि वह इसे एक अमित्रतापूर्ण कार्य समझेगी क्यों कि मध्य पूर्व से हमारा बहुत गहरा सम्बन्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यार्थ एक सुझाव है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय में लोगों को अपने रुख से अवगत कराने के लिए कोई वक्तव्य जारी कर रही है, क्यों कि लोगों का भी इस विषय से सम्बन्ध है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार जनता की प्रतिनिधि है । इतना ही पर्याप्त है क्या इतना पर्याप्त नहीं है ?

श्री एम० आर० कृष्ण : पाकिस्तान के मध्य-पूर्वी प्रतिरक्षा संघटन में सम्मिलित होने का निश्चय करने के कारण भारत की सुरक्षा को जो खतरा पैदा हो गया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने गोआ और पांडिचेरी को पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों के अधिकार से मुक्त कराने के लिये कोई पग उठाये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी कार्यार्थ एक सुझाव है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस विषय में कुछ पता है कि मध्य पूर्व के कौन कौनसे देशों के इस योजना यें सम्मिलित कियें जाने की सम्भावना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सारा मध्य पूर्व ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं मानता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन है। स्पष्टतया, मैं इस विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता । मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । माननीय सदस्य भी मेरे समान अनुमान लगा सकते हैं । सदन का कोई भी सदस्य यह अनुमान लगा सकता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा । मेरा यह अनुमान है कि अब तक अन्य देशों का भी कोई व्यक्ति निश्चित रूप से यह नहीं बतला सकता कि क्या होगा । अब तक यह सब कुछ बिल्कुल अस्पष्ट सा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पाकिस्तानी सीमान्त सेना द्वारा भारतीय गांव पर गोली वर्षा

*१३. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जनवरी १९५३ के आरम्भ में पाकिस्तानी सीमान्त सेना ने खासी-जयन्तियां का पहाड़ियों और सीलहट के सीमान्त पर स्थित एक गांव पर गोली चला कर कुछ खासियों (भारतीयों प्रजाजनों) को घायल कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो घायलों की संख्या और प्रकार क्या थी ;

(ग) क्या उस क्षेत्र में कोई भारतीय सीमान्त सेना थी ;

(घ) क्या हमारी ओर से कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या घायलों या घातक चोट वालों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

वैदेशिक कार्य-उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां । २ जनवरी १९५३ को पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस खासी और जयन्तिया पहाड़ियों की सीमा पर रंगपानी के निकट अनधिकृत रूप से भारतीय प्रदेश में घुस आई थी और उन्होंने भारतीय प्रजाजनों पर गोली चलाई थी ।

(ख) तीन भारतीय प्रजाजनों को चोटें आई थीं ।

(ग) इस घटना के स्थान से लगभग एक मील दूर आमकी में एक सीमान्त की चौकी है ।

(घ) तथा (ङ) । आसाम सरकार नें पूर्वी बंगाल की सरकार से विरोध प्रकट किया है और दोनों सम्बद्ध जिलों के दंडाधीशों द्वारा इस घटना की संयुक्त जांच और घायलों को प्रतिकर देने की मांग की है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सत्य है कि भारतीय सीमा के दूसरी ओर पाकिस्तान की दस मील की पट्टी को इन आदिमजातियों के लोगों से खाली कराया जा रहा है और उन्हें पाकिस्तानी प्रदेश छोड़ कर भारत आने के लिये विवश किया जा रहा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

चाय उद्योग

*१४. **श्री ए० सी० गुहा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री चाय उद्योग के संकट के सम्बन्ध में २६ नवम्बर १९५२ को पूछे गये अल्प-सूचना प्रश्न के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत के चाय उद्योग के मामले पर आगे और पुनरीक्षण किया है ?

(ख) क्या चाय उद्योग को सहायता देने के लिये आगे और कोई कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या भारतीय चाय के बाज़ार भावों में कोई सुधार हुआ है ?

(घ) क्या सरकार का इस विषय में आगे और कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) तक । २६ नवम्बर १९५२ को एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में जब से मैंने एक वक्तव्य दिया है उस के बाद से सरकार चाय उद्योग की समस्याओं पर निरन्तर विचार करती रही है । मैं ने उस समय बताया था कि चाय बागानों को ऋण दिलवाने की सुविधा देने का प्रयत्न किया जायेगा । अनुसूचित और शीर्ष सहकारी बैंकों को १९५३-५४ में ऋण सुविधायें देने के लिये

प्रेरित करने की दृष्टि से एक प्रत्याभूतियों की प्रणाली तैयार की गई थी और यह वित्त मंत्रालय द्वारा गत २७ दिसम्बर को जारी की गई एक अधिसूचना में घोषित कर दी गई थी जिसे कि माननीय सदस्यों ने देख ही लिया होगा। इन प्रत्याभूतियों के प्रभाव को पूरा पूरा आंकना अभी समय से बहुत पूर्व होगा।

सरकार ने "चाय अवशेष" पर इस आशा से उत्पाद शुल्क से छूट की घोषणा की थी कि इसके फलस्वरूप संभवत: घटिया किस्म की चाय के उत्पादकों को कुछ राहत मिलेगी। किन्तु बाद में यह देखा गया कि चाय में चाय के अवशेष को मिला कर और इस प्रकार किस्म को घटिया बना कर चाय के मूल्यों को और अधिक गिराने की प्रवृत्ति से तात्कालिक सहायता का प्रभाव बिल्कुल जाता रहेगा। अत: जनवरी में यह छूट वापस ले ली गई थी और सम्पूर्ण उद्योग ने इस वापसी का स्वागत किया था। सरकारी दल की कुछ सिफारिशों तथा इस उद्योग की समस्याओं का बागानों की औद्योगिक समिति ने गत १९ और २० दिसम्बर की अपनी कलकत्ता की बैठक में पुनरीक्षण किया था। नियोजकों तथा श्रमिकों ने एक साथ चाय उद्योग के लागत व्यय के ढांचे पर विचार करने के लिये एक त्रिदलीय आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी। सरकार इस बात से सहमत है कि इस प्रकार की सूक्ष्म जांच आवश्यक है, किन्तु यह समझती है कि इस प्रकार की जांच को एक विशेषज्ञ समिति अधिक अच्छी प्रकार कर सकती है और इसलिये उस ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है जिस के निर्देश्य पद बहुत विस्तृत होंगे। समिति में एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसे श्रम समस्या का खूब गहरा ज्ञान होगा।

चाय बागानों को खाद्यान्न केसम्भरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करती रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पश्चिमी बंगाल तथा आसाम दोनों की ही सरकारें पहिले ही कुछ सहायता दे चुकी हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस से भी अधिक सन्तोषजनक व्यवस्था की जायेगी। खाद्यान्न में रियायत देने का प्रश्न एक ऐसा विषय है जो कि नियोजकों तथा श्रमिकों के बीच सीधी बात चीत से सुलझाया जा सकता है। बागानों सम्बन्धी त्रिदलीय समिति की बैठक इस समस्या को सुलझाने के लिये इस मास के अन्त में होने वाली है।

इस वर्ष के आरम्भ से चाय के मूल्यों तथा मांग में कुछ सुधार हुआ है। लंदन की नीलामी में उत्तरी भारत की चाय का मूल्य १८ दिसम्बर के ३१ पैंस से बढ़ कर ५ फरवरी १९५३ को ३८.०४ पैंस हो गया है। कलकत्ते की नीलामी में इस का मूल्य ८ दिसम्बर के १५ आने ११ पाई से बढ़ कर २७ जनवरी को १ रुपया ५ आने ६ पाई हो गया है।

कुछ चाय बागान जिन्होंने कि बन्द होने की सूचना दी थी वस्तुत: बन्द नहीं किये गये हैं और कुछ बागान जो कि बन्द कर दिये गये थे अब पुन: खुल गये हैं। आज बन्द बगानों की संख्या १०७ है जब कि एक पखवारे पूर्व इन की संख्या १२४ थी।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय मण्डी विस्तार बोर्ड से हमारे निकल आने पर माननीय सदस्यों को कुछ कुछ यह चिन्ता हो गई थी कि भारत अन्य देशों में प्रचार कैसे करेगा। भारत सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया था और मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि भारत, श्रीलंका,

हिन्देशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के चाय के व्यापारियों के साथ एक करार हो गया है जिस का कि अभी उन उन देशों की सरकारों ने अनुसमर्थन करना है । वही पदाधिकारी इस बात का पता लगाने के लिये कई अन्य देशों को भी गया है कि क्या प्रचार के लिये वहां इसी प्रकार की या अन्य कोई उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है ।

श्री ए० **सी० गुहा** : क्या यह सत्य है कि सरकार ने ऋण की जो सुविधायें घोषित की थीं उन्हें क्षतिग्रस्त चाय बागानों तक पहुंचने में बहुत समय लग गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या यह सत्य है कि अब जो प्रत्याभूति दी गई है वह केवल १९५३ के चालू व्यय पर ही लागू होती है ? यदि हां, तो १९५२ में मन्दी के कारण जो दायित्व हुआ था उसे चुकाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऋण की सुविधायें १९५२ में इन चाय सम्पदाओं को दिये गये ऋण और उन के द्वारा वापस लौटाई गई राशि पर आधारित हैं । इन का आधार चालू व्यय होगा अथवा चाय बागानों की कुछ अन्य आवश्यकतायें होंगी यह मुझे ज्ञात नहीं हैं ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बताया है हाल में चाय बागानों के बन्द हो जाने के कारण कितने हजार श्रमिक बेकार हो गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व-सूचना मिलनी चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि कलकत्ता में दो मास पूर्व हुए त्रिदलीय करार का उल्लंघन करके पश्चिमी बंगाल की सरकार ने नियोजकों को श्रमिकों की मजूरी कम करने की अनुज्ञा दे दी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि कलकत्ता के उस त्रिदलीय सम्मेलन में कोई करार सम्पन्न हुआ था ।

श्री सरमा : चाय सम्पदाओं के एक भाग में श्रमिकों की मजूरी में बहुत अधिक कमी करने का हाल का एक आदेश जारी करने से पूर्व क्या आसाम सरकार ने भारत सरकार से परामर्श ले लिया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्पदाओं की देख-भाल करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है । उन्हें केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री सरमा : क्या सरकार को यह विदित है कि आसाम सरकार के हाल के आदेश से चाय बागानों के एक भाग में श्रमिकों की मजूरी में बहुत अधिक कमी हो गई है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास इस विषय में आसाम सरकार से कोई सरकारी संवाद नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मंत्री महोदय ने मेरे अनुपूरक प्रश्न का जो उत्तर दिया है उस से क्या मैं यह समझूं कि सब समाचार-पत्रों में त्रिदलीय सम्मेलन के कतिपय सर्व-सम्मत निश्चयों के सम्बन्ध में जो समाचार प्रकाशित हुए थे वे सब निराधार हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि [illegible] त्रिदलीय सम्मेलन में कोई करा[illegible] [illegible] तात्पर्य यह है कि उस दल के [illegible] के मध्य कोई करार हो । [illegible] प्रकार का कोई करार नहीं किया गया था ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि कितनी सम्पदाओं ने उन्हें दी गई प्रत्याभूति से वस्तुतः लाभ उठाया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास अभी तक इस विषय में कोई सूचना नहीं आई है । ज्यों ही मुझे यह सूचना प्राप्त होगी, मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम यह जान सकते हैं कि क्या नियोजकों द्वारा चाय बागानों के श्रमिकों को सहायताप्राप्त खाद्यान्न दिये जाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय का सम्बन्ध भी राज्य सरकारों से है कि वे उन्हें नियंत्रित दरों पर खाद्यान्न दे सकती हैं या नहीं । मेरा विश्वास है कि पश्चिमी बंगाल सरकार और आसाम सरकार इस समय सम्बन्धित व्यक्तियों से इस विषय में बातचीत कर रही हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह नियंत्रित दर का प्रश्न नहीं है, किन्तु यह तो सहायता-प्राप्त दर का प्रश्न है जो कि ५ रुपये प्रति मन है । नियंत्रित दर तो कहीं अधिक है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो बिल्कुल स्पष्ट ही है । सहायताप्राप्त दर नियंत्रित दर से अवश्यमेव कम होगी । अन्यथा, सहायता की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं ने यही कहा था ।

सभाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहिले ही यह बतला चुके हैं कि यह राज्य सरकार का काम है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने अभी अभी श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच जिस करार का उल्लेख किया था उस के सम्बन्ध में मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में एकमात्र भारतीय चाय के प्रचार के लिये एक अमेरिकी प्रचार संघटन को धन देने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह करार तो चाय का प्रचार करने के लिये हुआ है -- भारतीय चाय का नहीं और सरकार का यह इरादा है कि इस करार के अनुसार केन्द्रीय चाय बोर्ड को इस आन्दोलन में भाग लेने की अनुमति दे दी जाये और इस के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था की जाये ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि यह धन राशि कितनी होगी और क्या यह प्रचार एक मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये ही किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान् । यह चीज़ केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये ही की जा रही है । यह करार संयुक्त राज्य अमेरिका के चाय व्यापारियों के साथ हुआ है ।

एशियाई चलचित्र समाज

*१५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि लन्दन के भारतीय और पाकिस्तानी विद्यार्थियों ने एक एशियाई चलचित्र समाज की स्थापना की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस समाज से उन के द्वारा भारतीय चलचित्रों के दिखाये जाने के लिये सम्पर्क स्थापित किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस समाज ने भारत सरकार से चलचित्र दिखाने के लिये उधार देने की प्रार्थना की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । इस समाज ने हमारे लन्दनस्थित उच्चायुक्त के कार्यालय से सितम्बर १९५२ में दो शिक्षाप्रद चलचित्र उधार लिये थे ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि इस समाज के उद्देश्य क्या हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : सम्भवत: इंग्लैण्ड में कुछ पूर्वी चलचित्र दिखाना, किन्तु हमारे पास यहां इस समाज के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के सम्बन्ध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस समाज में अन्य एशियाई देशों के विद्यार्थी भी भाग लेते हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार इस समाज को एशियाई चलचित्र समाज कहते हैं। अभी दो या तीन मास पूर्व गत दिसम्बर में लन्दन में इसका उद्घाटन किया गया था । और जहां तक मैं जानता हूं इस के साथ केवल भारतीय और पाकिस्तानी विद्यार्थियों का ही सम्बन्ध है, यद्यपि संभवत: और लोग भी इस में सम्मिलित हो सकते हैं । विशेष विशेष चलचित्र दिखाने के लिये यह एक छोटा-सा समाज है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या इस समाज का भविष्य में भारतीय चलचित्र दिखाने का कोई कार्यक्रम है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम इस समाज के एजेंट नहीं हैं । यह एक निजी समाज है । माननीय सदस्य सीधे उस समाज को लिख कर पूछ सकते हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि उन्होंने कौन-से दो शिक्षाप्रद चलचित्र लन्दन में दिखाये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्होंने 'तकदीर' और 'डा० कोटनीस' ये दो चलचित्र दिखाये थे ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस समाज ने भविष्य के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है और क्या भारत सरकार से वे चलचित्र मांगे गये हैं ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : भारत सरकार का इस समाज से बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार सम्बन्धी सद्भावना आयोग

*१६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के लोगों के साथ किये जाने वाले व्यवहार सम्बन्धी सद्भावना आयोग ने दक्षिण अफ्रीका, भारत और पाकिस्तान के बीच बात चीत की व्यवस्था करने के लिये अब तक क्या कोई पग उठाये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ख) भारत सरकार और उक्त आयोग में अब तक किस प्रकार का पत्र व्यवहार हुआ है ; और

(ग) क्या आयोग ने अपने काम की कोई रूप रेखा बनाई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग) तक । महासभा के प्रधान की २१ दिसम्बर, १९५२ की

इस घोषणा के पश्चात् कि संयुक्त राष्ट्रीय सद्भावना आयोग में सीरिया, यूगोस्लाविया और क्यूबा के प्रतिनिधि होंगे, इस आयोग की रचना के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है । यह समझा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री ने इन तीनों सरकारों से अपने अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने की प्रार्थना की है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा इस संकल्प के पारित किये जाने के पश्चात् से दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने क्षेत्र विभाजन विधेयक के प्रवर्त्तन को स्थगित करने के स्थान में इस को तेजी से लागू करना आरम्भ कर दिया है और इस के परिणामस्वरूप भारतीय उद्भव के बहुत से लोगों पर इस का प्रभाव पड़ा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने गांधी-स्मट्स करार के फलस्व भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को दी गई सुविधायें रद्द करने का निश्चय किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, उन की पत्नियों के सम्बन्ध में ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार इन सुविधाओं के रद्द करने को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से आ कर मुझे यह मंत्रणा दे दें कि क्या कार्यवाही की जाये ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका सरकार या संयुक्त राष्ट्र संघ को एशियाइयों तथा अन्य रंगीन लोगों के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका की संसद् के समक्ष इस समय प्रस्तुत दो अधिनियमों के बारे में कोई संवाद भेजा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस में सन्देह नहीं कि जब यह विषय संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष आयेगा तो इस बात की ओर उनका ध्यान दिलाया जायेगा और इन विषयों में औपचारिक कार्यवाहियों के अतिरिक्त अनौपचारिक कार्यवाहियां भी की जाती हैं ।

बड़ौदा आकाशवाणी केन्द्र

*१९. **श्री दाभी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का बड़ौदा के वर्तमान आकाशवाणी केन्द्र को बन्द कर देने का विचार है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सत्य है कि बड़ौदा की जनता ने सरकार से अभ्यावेदन किया है जिस में यह प्रार्थना की गई है कि इस आकाशवाणी केन्द्र को बन्द न किया जाये; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार अपने निश्चय को बदलने का विचार कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख) । गत १ १/२ वर्ष से एक परस्पर मिला हुआ और संयुक्त केन्द्र कार्य कर रहा है जिसे अहमदाबाद-बड़ौदा केन्द्र कहते हैं । यह न केवल मितव्ययता की दृष्टि से किया गया था अपितु अच्छे प्रसारण और कार्यकुशलता के आधार पर भी किया गया था । अहमदाबाद-बड़ौदा के इस संयुक्त केन्द्र के लिये एक बहुत शक्तिशाली

और साझा पारेषक लगाने का विचार है, जो कि इन दोनों के बीच में स्थित होगा। पंचवर्षीय योजना में इन की प्रसारणशालाओं तथा कार्य-संचालन में भी समन्वय करने का विचार किया गया है।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। किसी विशेष नगर की इच्छा को पूरा करने के लिये योजनायें बनाना या बदलना भी सरकार के लिये सम्भव नहीं है। जो कोई भी समन्वय और रूपभेद होंगे उन में संयुक्त अहमदाबाद-बड़ौदा केन्द्र के श्रोताओं के हितों का ध्यान रखा जायेगा।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि यह केन्द्र कौन से वर्ष में बनाया गया था, कितनी लागत में बनाया गया था और इस केन्द्र पर प्रति वर्ष कितना आवर्त्तक व्यय होता था ?

डा० केसकर : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

पाकिस्तानी चौकी पर श्री भट्टाचार्य पर आक्रमण

*२०. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि २७ अक्तूबर १९५२ को या इस के आस-पास श्री देवेन्द्र चन्द्र भट्टाचार्य को पांच मुसलमानों के साथ डुकी की पाकिस्तानी चौकी पर रोक लिया गया था और बुरी तरह पीटा गया था ?

(ख) श्री भट्टाचार्य को किस तिथि को और कैसी अवस्था में सिलहट जेल में ले जाया गया था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि विभिन्न चौकियों पर भारतीय प्रजाजनों विशेष रूप से हिन्दुओं का पाकिस्तान पुलिस द्वारा अपमान किया जाता है और उन्हें लूटा जाता है ?

(घ) श्री भट्टाचार्य को पीटने के पश्चात् उन की क्या अवस्था थी ?

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं को, जो कि बहुत दिनों से हो रही हैं, रोकने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में एक समाचार तो देखा गया है।

(ख) तथा (घ)। विस्तृत जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) तथा (ङ)। पाकिस्तानी चौकियों पर अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को तंग करने की शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं और उन के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से पूछ ताछ भी की जाती है। वे प्रायः आरोपों का खण्डन कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखने के लिये कि यात्रियों को तंग न किया जाये महत्वपूर्ण पाकिस्तानी चौकियों पर भारतीय सीमाशुल्क सम्पर्क अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान ने आरोपों का खण्डन कर दिया है। इस प्रकार के शपथ के प्रति शपथ ले कर कहे गये मामलों में सरकार तथ्यों की पड़ ताल करवाने के लिये सामान्यतया क्या कार्यवाही करती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जब पाकिस्तानी प्रदेश में तथ्यों की पड़ताल का प्रश्न हो, तो स्वाभाविकतया सरकार के लिये सन्तोषजनक प्रमाण प्राप्त कर सकना सरल नहीं है। मैं समझता हूं कि विशेष रूप से इस मामले के विषय में ३१

दिसम्बर १९५२ को समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था और यह घटना दो मास पहिले घटी थी और सीमान्त पर जो कुछ हुआ था हम उस का वृत्तान्त जानने का प्रयत्न कर रहे हैं; विशेष रूप से किसी सरकार के लिये इस विषय में वास्तविक तथ्यों का पता लगाना सरल नहीं है। हम यथासम्भव तथ्यों को कुछ हद तक ठीक ठीक जानने की चेष्टा कर रहे हैं। साधारणतया उस सरकार से विरोध प्रदर्शित करने के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मिलते हैं इत्यादि।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस भद्रपुरुष को वस्तुतः बन्दीगृह में ले जाया भी गया था और अब वह कहां है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारे पास पारपत्र के अतिरिक्त अभी तक और कोई सूचना नहीं है।

श्री नानादास : श्रीमान्, सूचना के हेतु मैं जान सकता हूं कि क्या दर्शकों को प्रश्नों की सूचियां दी जाती हैं और क्या उन्हें इस प्रकार के कागज दर्शकों के कक्ष में ले जाने दिये जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह प्रश्न इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ? माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही में इस प्रकार से बाधा नहीं डालनी चाहिये।

जम्मू में रामगढ़ पर पाकिस्तानी धावा

*२१. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टेनगनों और बन्दूकों से सुसज्जित पाकिस्तानियों ने १९ दिसम्बर, १९५२ को जम्मू के निकट रामगढ़ गांव पर धावा किया था और वे नकदी, सम्पत्ति और १९ पशु ले गये थे ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जम्मू और काश्मीर के राजस्व मंत्री उस स्थान को देखने गये थे और यदि हां, तो क्या उन्होंने इस घटना के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

(ग) १९४७ से लेकर पाकिस्तानियों ने राज्य के प्रदेश पर कितनी बार धावे किये हैं ?

(घ) १९ दिसम्बर, १९५२ को किये गये धावे में कितनी नकदी, सम्पत्ति और पशु ले गये थे ?

(ङ) इस धावे में कितने व्यक्ति मारे गये ?

(च) १९४७ से जनवरी १९५३ तक पाकिस्तानियों ने पशु, नकदी इत्यादि सभी प्रकार की कितनी सम्पत्ति लूटी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क), (ख), (घ) और (ङ)। जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) १ जनवरी १९४९ तक खुले रूप से लड़ाई हो रही थी। इस अवधि में धावों की संख्या का ब्यौरा नहीं रखा जा सका क्योंकि 'धावों' और 'लड़ाई' में भेद नहीं किया जा सकता था। १ जनवरी १९४९ से ७२३ धावे हुए थे जिन्हें कि युद्ध बन्दी करार का उल्लंघन समझा जा सकता है।

(च) उपरोक्त भाग (ग) में जिन ७२३ धावों का उल्लेख किया गया है उन में धावा करने वाले १८३१ पशु चुरा ले गये और उन्होंने ७,५०० रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति लूटी।

चाय बागानों का बन्द होना

*२२. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या सरकार को यह

विदित है कि कलकत्ता के त्रिदलीय सम्मेलन के पश्चात् कछार के लगभग ५३ चाय समवाय अब तक बन्द हो चुके हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि चाय समवायों के बन्द हो जाने के कारण बन्द चाय बागानों के ५०,००० से अधिक मजदूर और कर्मचारी बेकार हो गये हैं ?

(ग) भारतीय स्वामियों के कितने बाग़ान बन्द बागानों की सूची में हैं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि मज़दूरों को मकान खाली करने के लिये नोटिस भी दे दिये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ग)। उपलब्ध सूचना के अनुसार कलकत्ता के त्रिदलीय सम्मेलन के पश्चात कछार में २६ चाय बागान बन्द हुए हैं जिन में से १२ के स्वामी भारतीय हैं।

(ख) उपरोक्त २६ बागानों में २२,५५६ मज़दूर और कर्मचारी हैं।

(घ) मुझे ज्ञात हुआ है कि जब कोई चाय बागान बन्द किया जाता है तो सामान्यतया श्रमिकों को वैधानिक औपचारिकता के रूप में नोटिस दे दिये जाते हैं, घरों से निकालने के इरादे से नहीं दिये जाते।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल तथा आसाम सरकार को इन नौकरी से निकाले हुए श्रमिकों को कोई और काम दिलाने के लिये कोई संवाद भेजा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह समझने का कोई कारण नहीं है कि पश्चिमी बंगाल और आसाम की सरकारें इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयत्न नहीं कर रही हैं।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इस विषय में कोई सूचना है कि इन नौकरी से अलग किये हुए श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को और कोई काम दे दिया गया है या खेती करने के लिये भूमि दे दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मेरे पास ठीक ठीक सूचना नहीं है।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि केवल आसाम के चाय बागान ही क्यों बन्द किये गये थे ?

श्री सरमा : चाय बागानों के बन्द होने को रोकने के लिये, जिस से कि श्रमिक बेकार हो गये हैं, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस बात का भी सम्बन्ध राज्य सरकार से है और हम उन्हें श्रमिकों की इस प्रकार 'निकासी' को रोकने के लिये आवश्यक शक्ति देने को बिल्कुल तैयार हैं।

श्री आर० के० चौधरी : क्या सरकार के पास इस प्रकार के कोई आरोप आये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, इस की सम्भावना थी। इसी कारण यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या राज्य सरकार को यह शक्ति दी जा सकती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अचानक बहुत से लोग बेकार हो गये हैं क्या भारत सरकार का इस वैकल्पिक नौकरी देने के प्रश्न को सरकार की अन्य विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित करने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत सरकार तो केवल राज्य सरकार के द्वारा ही कार्य कर सकती है और वह इस विषय

में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या विशेष रूप से इस विषय में पश्चिमी बंगाल और आसाम की राज्य सरकारों से कोई सम्मेलन करने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, इस समय सरकार यह अनुभव नहीं करती कि सम्मेलन की कोई आवश्यकता है । जो कुछ सम्भव है पत्र-व्यवहार से ही हो जायेगा ।

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या किसी दल ने भारत सरकार से यह शिकायत की है कि चाय सम्पदाएं उन में से श्रमिकों को निकालने के लिये बन्द की जा रही है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, शिकायतें तो दर्जनों की जाती हैं । मैं यह नहीं कह सकता कि हमारे पास विशेष रूप से इस प्रकार की कोई शिकायत आई है या नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत से संवाद आते रहते हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या वैधानिक नोटिस देने के अतिरिक्त किन्हीं श्रमिकों को चाय बागानों द्वारा दिये गये मकानों में से वस्तुतः निकाला भी गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान, मुझे भय है कि जिस माननीय सदस्य ने इस प्रश्न की सूचना दी थी उन्होंने मुझ से यह प्रश्न पूछने का विचार नहीं किया था । अतः मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री के० के० बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाय बागानों को वित्तीय सुविधायें देने का प्रस्ताव किया गया है क्या सरकार का बेकार श्रमिकों को भी उसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, यदि हमारे लिये उन्हीं शर्तों पर वही सुविधायें देना सम्भव हो सकेगा, तो हम निश्चय ही देंगे । पर-तु मुझे भय है कि इन दोनों चीजों में कोई समानता नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार मजदूरों को इस प्रकार की सहायता देने का विचार कर रही है ? हमें इस स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट ही उत्तर है । परन्तु यह स्पष्ट प्रश्न बहुत सी गलत धारणाओं पर आधारित है । हम चाय बागानों को बैंकों से उतना ही धन ऋण लेने की सुविधायें दे रहे हैं जितना कि उन्होंने गत वर्ष ऋण लिया था, किन्तु शर्त यह है कि वे पहिले ऋण लिया हुआ धन लौटा दें । जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है उन पर ये शर्तें लागू नहीं होतीं । उदाहरण के लिये यदि कोई मजदूर संघ धन के लिये उन्हीं शर्तों पर किसी बैंक पर आश्रित होता, तो सम्भवतः हम उस के प्रश्न पर विचार करते । परन्तु इन दोनों चीजों में परस्पर बिल्कुल समानता नहीं है यद्यपि माननीय सदस्य को चाहे यह कितना ही स्पष्ट क्यों न हो ।

श्री एच० दी० कामत को एथेन्स में कष्ट दिया जाना

*२३. **श्री गिडवानी** : (क) क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने अपने लन्दन स्थित उच्चायुक्त द्वारा २८ अक्तूबर १९५२ को एथेन्स में ग्रीक पुलिस अधिकारियों द्वारा श्री एच०

वी० कामत को कष्ट दिये जाने के प्रश्न के विषय में ग्रीक सरकार से पूछताछ की है ?

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को ग्रीक सरकार से कोई उत्तर मिला है और उस उत्तर का स्वरूप क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है ।

अमेरिकी सूचनालय

*२५. **कुमारी एनी मस्करीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अमेरिकनों ने भारत में कितने स्थानों में अपने सूचनालय स्थापित किये हुए हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : संयुक्त राज्य अमेरिका के सूचना विभाग के पदाधिकारी नई दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास के साथ और बम्बई, मद्रास और कलकत्ते में संयुक्त राज्य अमेरिका के महावाणिज्य दूतालय के साथ संलग्न हैं । संयुक्त राज्य के सूचना विभाग के लखनऊ, हैदराबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम् में पुस्तकालय हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या किन्ही अन्य राष्ट्रों को भी इस प्रकार के सूचनालय खोलने दिये जाते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : सूचनालय ?

कुमारी एनी मस्करीन : जी हां ।

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां । अन्य बहुत से विदेशी दूतावासों के सूचनालय तथा पुस्तकालय हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि त्रिवेन्द्रम् के सूचनालय का उद्घाटन करते हुए अमेरिकन राजदूत ने एक राजनीतिक भाषण दिया था जिस में त्रावनकोर-कोचीन के लोगों को साम्यवाद के विरुद्ध भड़काया गया था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : स्पष्ट है कि माननीय महिला ने गलत वृत्तान्त या वृत्तान्त को गलत पढ़ा होगा क्योंकि अमेरिकन राजदूत इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि उस के द्वारा इस देश में इस प्रकार का कोई राजनीतिक भाषण न दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

इस्पात संयन्त्र की स्थापना के लिए बातचीत

*२६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : (क) क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में लोहे और इस्पात के मिले जुले कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अमरीकी ब्रिटिश और जापानी इस्पात के उद्योगपतियों से बातचीत करने के लिये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल अमेरिका भेजा गया है ?

(ख) इस बातचीत का क्या फल हुआ है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां, भारत में लोहे और इस्पात के एक नये मिले-जुले संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में विश्व बैंक और इस में रुचि रखने वाले कतिपय विदेशी समवायों से बातचीत करने के लिये भारत सरकार के तीनवरिष्ठ पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल अक्तूबर, १९५२ में अमेरिका भेजा गया था ।

(ख) सरकार ने अगली कार्यवाही की भूमिका के रूप में परियोजना के विषय में एक पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने के लिये एक प्रौद्योगिक मिशन बनाने का निश्चय किया है जिस में उन समवायों के प्रतिनिधि तथा विश्व बैंक का एक प्रतिनिधि होगा ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस मिले-जुले कारखाने को बनाने के लिये कोई विशेष स्थान पहिले ही नियत किया जा चुका है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं, श्रीमान् । अब हम यह जो प्रौद्योगिक मिशन बनाने जा रहे हैं उस का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही यह कार्य किया जायेगा ।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार और एक जापानी दल के मध्य इस इस्पात सयन्त्र को संयुक्त रूप से लगाने के लिये हाल में जो बातचीत हो रही थी वह टूट गई है और भारत सरकार इसी प्रयोजन के लिये ब्रिटेन के किसी दल से बातचीत करना चाहती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : बातचीत के फलस्वरूप हम ने यह अनुभव किया कि बातचीत को बन्द कर देना ही अच्छा है । हम यह नहीं चाहते कि इस प्रकार के मूल उद्योग का सर्वोपरि भार और नियंत्रण किसी विदेशी हित को सौंप दिया जाये । अतएव जहां तक इस इस्पात संयंत्र की परियोजना का सम्बन्ध है इस मूल तत्व को ध्यान में रखते हुए हम ने जापान के साथ बातचीत को बन्द कर दिया है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सत्य है कि लोहे और इस्पात का मिलाजुला कारखाना मध्य प्रदेश में स्थापित किया जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं, श्रीमान्, मैं इस का वचन नहीं दे सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस प्रश्न का पहिले ही उत्तर दे चुके हैं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि जापानियों ने भारत जापानी संयुक्त संयंत्र के लिये क्या प्रस्ताव रखा था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): माननीय सदस्य बातचीत के ब्यौरे को यहां दोहरवाना चाहते हैं । यह उचित नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : और बातचीत बन्द कर दी गई है ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस जापानी प्रस्ताव को रद्द करने की बात को ध्यान में रखते हुऐ क्या सरकार का अपना इस्पात सन्यंत्र लगाने का विचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: सरकार का सदा यही करने का इरादा रहा है । प्रश्न केवल इतना ही था कि किसी अन्य का आंशिक रूप में इस में भाग हो ।

उत्तरी बोर्नियो के लिए भारतीय अधिवा

*२८. **श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** १३ नवम्बर, १९५२ को उत्तरी बोर्नियो के लिये भारतीय अधिवासियों के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तरी बोर्नियो में बसने की शर्तों का वहां पर जा कर अध्ययन करने के लिये वहां कोई भारतीय प्रतिनिधि मण्डल भेजने का प्रस्ताव किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमण्डल में कौन कौन होंगे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रतिनिधिमण्डल के गठन का प्रश्न जिसमें कि दो सरकारी तथा १ गैरसरकारी सदस्य होगा, अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि इस प्रतिनिधि मण्डल के कब भारत से प्रस्थान करने की आशा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, इस के बनने के पश्चात् ।

श्री एन० पी० सिन्हा : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि बोर्नियो जाने वाले भारतीयों के नागरिकता के अधिकारों के सम्बन्ध में यदि कोई निश्चय किया गया है तो वह क्या है---क्या वे भारतीय नागरिक बने रहेंगे ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारा प्रतिनिधि मण्डल वहां जायेगा और उस स्थान पर जा कर स्थिति का निरीक्षण करेगा और हमें यह जानने तो दीजिये कि उस देश में वस्तुस्थिति क्या है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तट-कर आयोग

*७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) तट-कर आयोग कब बनाया गया था और कब से इस ने कार्य करना आरम्भ किया ;

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५२ तक संरक्षण देने के कितने मामलों की पड़ताल की गई ;

(ग) कितने उद्योगों को संरक्षण दिया गया है ; और

(घ) क्या आयोग ने गत बारह मास में किसी संरक्षित उद्योग द्वारा माल दबा कर रखने और संरक्षण का दुरुपयोग करने के मामले को निबटाया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) २१ जनवरी, १९५२ ।

(ख) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ऐसे मामलों की ओर संकेत कर रहे हैं जिन में कि संरक्षण देने के लिये जांच पूरी हो गई है । यदि ऐसी बात है, तो उन की संख्या ३ है ।

इसके अतिरिक्त तट-कर आयोग ने निम्नलिखित चीज़ें प्रस्तुत कीं---

(१) उद्योगों को दिये गये संरक्षण के पुनरीक्षण पर ३ प्रतिवेदन,

(२) औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों के सम्बन्ध में ७ प्रतिवेदन,

(३) स्टील कार्पोरेशन आफ बंगाल लिमिटिड तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटिड के साधारण अंशों के बीच न्याय्य अनुपात के सम्बन्ध में १ प्रतिवेदन, और

(४) सम-तिक्ती-दर्शव (मेटा-आमिनो-फ़ेनोल) पर आयात शुल्क कम करने के सम्बन्ध में १ प्रतिवेदन ।

(ग) १ ।

(घ) आयोग माल दबा कर रखने और संरक्षण के दुरुपयोग के दो मामलों पर विचार कर रहा है । उन का सम्बन्ध निम्नलिखित उद्योगों से है—

(१) पेन्सिल उद्योग, और

(२) चाय की पेटियों के उद्योग के लिये प्लाईवुड और लकड़ी की फट्टियां ।

उद्योगों का पंजीकरण

*८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत वर्तमान उद्योगों के पंजीकरण में सन्तोषजनक प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या अधिनियम के पारित होने के पश्चात् बने हुए कारख़ाने पंजीबद्ध किये जा सकते हैं और वस्तुतः पंजीबद्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् स्थापित किये गये औद्योगिक कारखानों को लाइसेंस लेना पड़ता है, पंजीबद्ध नहीं करवाना पड़ता । इस प्रकार के अठारह कारख़ानों को लाइसेंस दिये गये हैं ।

मैसूर में इस्पात के कारख़ाने की स्थापना

*९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैसूर में एक लोहे तथा इस्पात के कारख़ाने की स्थापना का प्रस्ताव फलीभूत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या संयंत्र के स्थान के विषय में कोई निश्चय कर लिया गया है और यदि हां, तो कहां ;

(घ) क्या उस के बाद से प्रौद्योगिक मिशन का गटन हो चुका है ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या उन्होंने सौंपी गई समस्याओं पर विचार किया है ; और

(च) कारख़ाने के कब तक स्थापित किये जाने और उत्पादन आरम्भ करने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मैसूर में पहिले ही एक लोहे और इस्पात का कारख़ाना विद्यमान है और इस क्षेत्र में एक और कारख़ाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते ।

धोतियों और साड़ियों का हाथकरघा उद्योग के लिए सुरक्षण

*१०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या धोतियों और साड़ियों के ४० प्रतिशत निर्माण का कार्य हाथकरघा उद्योग को सौंपने का प्रस्ताव किसी विशेष वर्ष के उत्पादन पर आधारित है अथवा यह प्रत्येक वर्ष के उत्पादन के अनुसार बदलता रहेगा ;

(ख) इस का आधारपूत वर्ष कौन-सा है और उस वर्ष से कुल उत्पादन कैसे कैसे बदलता रहा है ; और

(ग) हाथकरघे और खादी उद्योग की सहायता के लिये जो कर एकत्रित किया गया है उसे प्रयोग करने की कौनसी योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) . सरकार के आदेशों द्वारा मिलों में धोतियों के उत्पादन को उन के अप्रैल, १९५१—मार्च १९५२ की अवधि के औसत मासिक उत्पादन के ६० प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है । ये आदेश साड़ियों पर लागू नहीं होते । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) अभी हाल में बनाये गये अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड और अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड इस समय ये योजनायें बना रहे हैं ।

हाथ करघे की वस्तुएं

*११. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाथकरघा बोर्ड ने हाथ-करघे की वस्तुओं के मूल्य घटाने और उचित मूल्य पर सूत के सम्भरण की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) हाथकरघा उद्योग के लिये उपयुक्त यंत्र तथा औज़ारों के पर्याप्त सम्भरण के लिये क्या व्यवस्था है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). बोड ने अभी हाल ही में काम करना आरम्भ किया है और इस प्रश्न में कही गई बातों तथा उद्योग की अन्य समस्याओं पर बोर्ड यथासमय विचार करेगा ।

फ़्रांसीसी भारत से गुण्डों का हमला

*१७. **श्री वेंकटारमन् :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ७ जनवरी, १९५३ को मद्रास राज्य में विल्लुपुरम् के निकट फ्रांसीसी भारत से गुण्डों ने भारत संघ के प्रदेश पर हमला किया था ;

(ख) इन आदमियों ने गुण्डागर्दी के क्या क्या काम किये थे ; और

(ग) उन्हें कब और कैसे खदेड़ा गया था ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). सरकार को यह सूचना मिली है कि ७ जनवरी को पल्लियानल्लियानौर में एक छोटी सी घटना हुई थी । बताया जाता है कि फ्रांसीसी प्रदेश के एक लड़के को इस स्थान पर किसी ने थप्पड़ मार दिया था । बाद में उस लड़के के ४० से ५० तक सामर्थक भारतीय प्रदेश में स्थित शरणार्थी शिविर में क्षमा मंगवाने के लिये आये । ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन व्यक्तियों ने वहां कोई गुण्डागर्दी का काम किया हो ।

पाकिस्तान में भारतीय समाचारपत्रों का आयात

*१८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान सरकार ने भारतीय समाचारपत्रों के आयात को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति में से हटा कर इन के पाकिस्तान में स्वतन्त्र रूप से प्रवेश पर वस्तुतः प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि कुछ संस्थाओं तथा समाचार पत्रों ने यह मांग की है कि भारत सरकार इस विषय में पाकिस्तान से बातचीत करे ; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या पग उठायें हैं या उस का उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पाकिस्तान द्वारा २२ नवम्बर, १९५२ को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के रद्द कर दिये जाने के पश्चात् कुछ समय तक समाचारपत्रों का आयात बिना अनुज्ञप्तियों के ही करने दिया गया था । इस समय इन का आयात अनुज्ञप्तियों के अधीन करने दिया जाता है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

" फोक्सवागेन " कारों का आयात

*२९. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने जर्मन 'फोक्सवागेन' कारों का भारत में

आयात करने की आज्ञा देने से इन्कार कर दिया है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ज्ञात हुआ है कि जुलाई १९५० में हैम्बर्ग के एक जर्मन सार्थ ने दिल्ली के एक सार्थ को १०० फ़ोक्सवागेन कारों का आयात करने की आज्ञा दने की प्रार्थना की थी । उन की यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई थी ।

भारतीय कालीन और कम्बल

*३०. **श्री के० जी० देशमुख** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारतीय कालीनों और कम्बलों के निर्यात के लिय विदेशों में अच्छा बाज़ार है और वहां इन की बहुत मांग है ?

(ख) यदि हां, तो इन चीज़ों का निर्यात करने वालों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत से कालीनों के निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध लगे हुए हैं ?

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हमारे विदेशस्थ प्रतिनिधि व्यापारिक सम्पर्क तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं की जो कि साधारणतया निर्यात करने वाले मांगते हैं, व्यवस्था करते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों का प्रादेशिक विकास

१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या २६ अप्रैल, १९५१ को पूछे गय तारांकित प्रश्न संख्या ३५१९ के उत्तर में उद्योगों के प्रादेशिकीकरण का जो वचन दिया गया था उस सम्बन्ध में संविहित विकास बोर्ड स्थापित करने की योजना और इस विस्तृत योजना को क्रियान्वित करने में तब से कोई प्रगति हुई है—**देखिये संसद् के तृतीय सत्र (द्वितीय भाग) १९५१ में दिये गये आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को दिखाने वाले विवरण ४ की क्रमांक सख्या २** ?

(ख) जहां तक इस प्रश्न के वित्तीय पहलू का सम्बन्ध है इस समय स्थिति क्या है ?

(ग) उस के बाद से कितने छोटे और बड़े उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

(घ) क्या वे सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले नये औद्योगिक कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार को मंत्रणा देने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक अनुज्ञप्ति दात्री समिति बनाई गई है । प्रत्येक मामले में सिफ़ारिशें करते समय यह समिति सभी सम्बद्ध बातों जैसे कि किसी विशेष उद्योग के वर्तमान सामर्थ्य तथा सम्बद्ध क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की सामान्य अवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थान की उपयुक्तता पर ध्यान देती है । इस से एक संविहित विकास बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता नहीं रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). उद्योग अधिनियम के अधीन ५३ अनुज्ञप्तियां दी गई हैं— २९ नये कारख़ाने खोलने के लिये और २४ वर्तमान कारख़ानों में पर्याप्त विस्तार के लिये । यह अधिनियम मई, १९५२ में लाग

हुआ था और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये सामान्यतया १२ से १८ मास तक का समय दिया जाता है। अतः इस समय उन के कार्य करने के सम्बन्ध में कुछ कहना समय से बहुत पूर्व होगा।

नेपा की कागज की मिल

२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२०३, सरदार ए० एस० सहगल द्वारा पूछे गये उसी प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर तथा लोक सभा के अगस्त सत्र में दिये गये आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को दिखाने वाले विवरण [**देखिये उसके अन्तर्गत क्रमांक ७**] को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का श्रौफ़ समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के सारांश तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा २९ मई, १९५१ को प्रकाशित की गई समिति की सिफ़ारिशों और उस के परिणामों से युक्त संक्षिप्त विवरण की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार है ; और

(ख) नेपा की काग़ज़ की मिल के निर्माण की दिशा में आज तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) श्रौफ समिति के प्रतिवेदन के सारांश की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३**]

(ख) एक विवरण, जिस में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार ३० सितम्बर, १९५२ तक की स्थिति दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४**]

आकाशवाणी के प्रकाशन

३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री २९ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२०२ के उत्तर से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्न तथा लोक सभा के प्रथम सत्र में दिये गये आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को दिखाने वाले विवरण के क्रमांक ८९ में दी गई सूचना को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने सरकारी अथवा गैरसरकारी व्यक्तियों को आकाशवाणी के 'लिस्नर', 'आवाज' और 'सारंग' नामक प्रकाशन बिना मूल्य भेजे जाते हैं और उन्हें बिना मूल्य भेजे जाने वाले व्यक्तियों की सूची में क्यों सम्मिलित किया गया है ?

(ख) बिना मूल्य दिये जाने वाले पत्रों की संख्या का ग्राहकों को दिये जाने वाले पत्रों की संख्या से क्या अनुपात है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) 'इंडियन लिस्नर' ४३९। 'आवाज़' ६७। 'सारंग' ७३।

बिना मूल्य वितरण का ब्यौरा तथा इस के कारण नीचे दिये जाते हैं :

इंडियन लिस्नर	आवाज	सारंग	कारण
१५४	५३	५४	सरकारी प्रयोग के लिये बांटे गये
१०३		५	जैसी कि अन्य प्रसारण संघटनों में प्रथा है आकाशवाणी के स्थायी कर्मचारियों को, यदि उन के अपने नाम से कोई रेडियो हो तो, एक कार्य-

			क्रम का पत्र बिना शुल्क दिया जाता है ।
८२	८	८	आकाशवाणी के केन्द्रों को कार्यक्रमों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मंत्रणा देने के लिये स्थापित की गई विभिन्न मंत्रणादात्री समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को दी गई ।
५४	४	५	विभिन्न सुप्रसिद्ध व्यक्तियों, कार्यालयों संघटनों को उन के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिये दी गईं ।
४६	२	१	आकाशवाणी के कार्यक्रमों को प्रकाशित करने के लिये अन्य समाचारपत्रों, पाक्षिक या मासिक पत्रों इत्यादि के विनिमय में बांटे गये

उपरोक्त के अतिरिक्त **इंडियन लिस्नर** की लगभग १७० प्रतियां, **आवाज़** की ९० प्रतियां और **सारंग** की १०० प्रतियां विज्ञापनदाताओं को प्रमाण की प्रतियों के रूप में भेजी जाती हैं ।

(ख) जो पत्र बिना मूल्य दिये जाते हैं उन की संख्या तथा ग्राहकों को दिये जाने वाले पत्रों की संख्या में लगभग १:३० का अनुपात है ।

हिन्दी शब्द कोष

४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री एक हिन्दी शब्द कोष तैयार करने के सम्बन्ध में २९ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२१३ क के उत्तर और उस के अन्तर्गत दिये गये वचन , **देखिये लोक सभा के प्रथम सत्र में दिये गये आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को दिखाने वाले विवरण में दी गई सूचना**, को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस के बाद से मंत्रालय की विभागीय समिति द्वारा तैयार किया हुआ शब्दकोष प्रकाशित हो चुका है और सार्वजनिक प्रयोग के लिये उपलब्ध हो सकता है ;

(ख) इस बात की परीक्षा कर ली गई है कि यह शब्दकोष भारत के संविधान में अपनाये गये शब्दों, पारिभाषिक शब्दों और पर्याय शब्दों के अनुरूप है ; और

(ग) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी मंत्रणादात्री समिति ने अब तक क्या कार्य किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् । यह शब्दकोष सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा प्रसारण करने वाले एककों के प्रयोग के लिये बनाया गया था, प्रकाशन के लिये नहीं ।

(ख) हां । श्रीमान् ।

(ग) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी मंत्रणादात्री समिति की दो बैठकें

हुई हैं और उस ने उसे निर्दिष्ट किये गये विषयों के सम्बन्ध में मंत्रणा दी है ।

राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र

५. **श्री भीखाभाई** : : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र उन राज्यों के अविकसित क्षेत्र हैं ; और

(ख) विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में से कौनसे क्षेत्रों को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं के लिये चुना गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्रों को १९५२ में आरम्भ की गई सामुदायिक परियोजनाओं के प्रथम वर्गों में सम्मिलित किया गया है :–

आसाम : गारो पहाड़ियां ग्वालपाड़ा क्षेत्र (एक विकास खण्ड) । गोलाघाट–– मिकिर पहाड़ियों का क्षेत्र (एक विकास खण्ड) ।

बिहार : सन्थाल परगना –– रामेश्वर खण्ड (एक विकास खण्ड) ।

मध्य प्रदेश : बस्तर जिला ।

उड़ीसा : कालाहांडी जिला (धरमगढ़ सब-डिवीज़न) ।

राजस्थान : भील क्षेत्र –– डूंगरपुर जिला (अनुसूचित आदिमजातियां) ।

त्रिपुरा : (एक विकास खण्ड) ।

चम्बल परियोजना

६. **श्री भीखाभाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय **योजना** में सम्मिलित चम्बल परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर कितने बांध बनाये जायेंगे;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने पर राजस्थान और मध्य भारत को अलग अलग सिंचाई और विद्युत के क्या क्या लाभ होंगे ;

(ग) परियोजना किस क्रम से कार्यान्वित की जायेगी और इस के क्रमशः क्रियान्वित होने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) दोनों राज्य सरकारों में इस विषय में यदि कोई करार हुआ है, तो उस की शर्तें क्या हैं ;

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित चम्बल परियोजना के प्रथम क्रम में गांधी-सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध इन दोनों बांधों के साथ साथ कोटा में एक पानी मोड़ने का बन्द बनाने का विचार किया गया है ।

इस परियोजना से कुल १२ लाख एकड़ की सिंचाई होगी । प्रथम क्रम में ६०,००० किलोवाट की जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जायेगा । उस के दोनों राज्यों के मध्य वितरण के सम्बन्ध में अभी समझौता होना है ।

इन प्रश्नों पर राजस्थान और मध्य भारत की सरकारों के परामर्श से अभी विचार किया जायेगा ।

चम्बल घाटी परियोजना

७. **श्री कर्णी सिंह जी** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चम्बल घाटी परियोजना (राजस्थान) को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो प्राथमिकता का क्रम क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). यह परियोजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई है। इस की कुछ विस्तृत बातों पर शीघ्र ही मध्य भारत और राजस्थान की सरकारों के साथ चर्चा की जायेगी।

रेशम की बुनाई :

८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) देश में कुल कितने हाथ करघे रेशम की बुनाई में लगे हुए हैं ;

(ख) हमारे रेशम बुनने वाले मुख्यतया किस किस प्रकार का कपड़ा तैयार करते हैं ; और

(ग) बनारस के रेशम तथा ज़री उद्योग किन किन कच्चे पदार्थों का प्रयोग करते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग ९७,०००।

(ख) साड़ियां, धोतियां, पगड़ी का कपड़ा, कुर्तों का कपड़ा, सूट का कपड़ा, चादरें, लुंगियां, गुलूबन्द, दुपट्टे, रूमाल, मफलर इत्यादि।

(ग) वे मुख्यतया निम्नलिखित कच्चे पदार्थों का प्रयोग करते हैं ; रेशमी धागा, ओर्गेन्ज़ाइन, नकली रेशम का धागा और सोने तथा चांदी के तार।

व्यापार चिन्ह (पंजीकरण)

९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) चालू वर्ष में व्यापार चिन्हों के पंजीकरण के लिये कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए ;

(ख) आज तक उन में से कितने पंजीबद्ध किये गये हैं ;

(ग) क्या जर्मन तथा जापानियों के अतिरिक्त किसी अन्य देश के प्रयोजनों को भी व्यापार चिन्हों को पंजीबद्ध करवाने के लिये प्रार्थनापत्र देने की अनुमति दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो किन देशों के; और

(ङ) इस वर्ष जर्मन और जापानियों से पंजीकरण के लिये कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह समझा जाता है कि माननीय सदस्य वर्ष १९५२ के लिये जानकारी चाहते हैं। यदि ऐसी बात है, तो इस वर्ष ४७४९ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) ३३।

(ग) जी हां।

(घ) श्रीलंका, ब्रिटेन, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, आयरलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैण्ड, स्वीडन, फ्रांस, हंगरी, स्पेन, हालैण्ड, बेल्जियम, डेन्मार्क, इटली, चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया, हांग कांग, मलाया संघ, पूर्वी पाकिस्तान, सिंगापुर, मोरक्को, जर्मनी, और जापान।

(ङ) जर्मन प्रयोजनों से — ३३४।
जापानी प्रयोजनों से — ९५।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का ऐतिहासिक विभाग

१०. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के ऐतिहासिक विभाग के अनुसन्धान करने वाले कर्मचारियों ने १९४७ से (वर्षवार और विषयवार) विभिन्न विषयों पर कितने लेख लिखे हैं ?

(ख) उन में से कितने सार्वजनिक उपयोग के लिये प्रकाशित किये गये थे ?

(ग) इस विभाग को चलाने पर १९४८, १९५१ और १९५२ में कितना व्यय हुआ था ;

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) ऐतिहासिक विभाग ने सितम्बर १९४९ से ही कार्य करना आरम्भ किया था।

निम्नलिखित लेख लिखे गये :

लेखों के विषय	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३ आज तक
सामान्य	३	...	..	१
एशिया	५	२८	१४	८
यूरोप	१	८	६	१
अफरीका	...	४	३	१
अमेरिका	...	९	३	१
आस्ट्रेलिया	...	१	१	...
कुल योग	९	५०	२७	१२

(ख) ये लेख मंत्रालय के प्रयोग के लिये लिखे गये थे और इनमें से कोई भी प्रकाशित नहीं किया गया है।

(ग) १९५१-५२ में ९२,३८८ रुपये।
१९५२ ५३ में ९५,६५३ रुपये।
१९४८ में यह कार्यालय बना ही नहीं था।

सामुदायिक परियोजनाओं की योजना पर ज्ञापन

११. श्री वी० पी० नायर : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली से १४ सितम्बर १९५२ को प्रकाशित हुए आंग्लभाषा के साप्ताहिक पत्र "दिल्ली टाइम्स" के पृष्ठ १ पर सामुदायिक परियोजनाओं की योजना के बारे में भारत स्थित अमेरिकन रजदूत श्री चेस्टर बौल्स द्वारा प्रस्तुत किये गये एक ६० पृष्ठ की ज्ञापन के सम्बन्ध में प्रकाशित लेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और यह बतलाया जाये कि क्या तथ्यों के सम्बन्ध में यह समाचार ठीक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ज्ञापन की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान्। तथ्यों के सम्बन्ध में समाचार ठीक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण

१२. श्री बंसल: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९५३ तक उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन कितने औद्योगिक उपक्रम पंजीबद्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १० के अधीन ७ नवम्बर, १९५२ तक जो कि पंजीकरण की अन्तिम तिथि थी, २२०९ औद्योगिक उपक्रम पंजीबद्ध किये गये थे।

औद्योगिक उपक्रमों को अनुज्ञप्ति देना

१३. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ जनवरी, १९५३ तक (१) नये उद्योगों की स्थापना के लिये और (२) वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिये औद्योगिक उपक्रमों को अनुज्ञप्ति देने के निमित्त कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए ;

(ख) दोनों में से प्रत्येक श्रेणी के लिये कितनी अनुज्ञप्तियां दी गईं; और

(ग) कितने प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी मांगी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३१ जनवरी, १९५३ तक अनुज्ञप्तियों के लिये १२५ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे । इन में से,

(१) ७१ नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये थे, और

(२) ५४ वर्तमान उपक्रमों में पर्याप्त विस्तार के लिये थे ।

(ख) नये उपक्रमों के लिये २९ प्रार्थनापत्रों और पर्याप्त विस्तार के लिये २४ प्रार्थनापत्रों के प्रार्थियों को पहिले ही यह सूचित कर दिया गया है कि कुछ शर्तों के अधीन उन्हें अनुज्ञप्ति दे दी जायेगी । प्रथम श्रेणी के ६ ने और दूसरी के १२ ने शर्तों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें अनुज्ञप्तियां दे दी गई हैं ।

(ग) २८ प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी मांगी गई थी ।

लकड़ी के पेचों के कारखाने

१४. **श्री राधा रमण** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में लकड़ी के पेचों की वार्षिक खपत कितनी होती है ?

(ख) देश में इस के पंजीबद्ध तथा अपंजीबद्ध कितने कारखाने हैं और उन में से इस समय कितने चल रहे हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इनमें से अधिकांश कारखाने स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं की मांग न होने के कारण बन्द कर दिये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तटकर बोर्ड के अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष भारत में लगभग कुल मांग ५० लाख ग्रुस की होती है ।

(ख) १५ पंजीबद्ध तथा ३ अपंजीबद्ध कारखाने हैं । ३ पंजीबद्ध कारखानों के अतिरिक्त और सभी कारखाने उत्पादन कर रहे हैं ।

(ग) सरकार के पास इस विषय में कोई ठीक ठीक सूचना नहीं है, किन्तु उसे यह विदित है कि ये कारखाने अस्थायी रूप से बन्द हो गये हैं ।

भारत में नियोजित विदेशी

१५. **श्री राधा रमण** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में कुल कितने विदेशी प्रजाजन सरकारी और निजी नौकरी में अलग अलग लगे हुए हैं ?

(ख) १९५० और १९५१ में उन की संख्या कितनी थी ?

(ग) वे मुख्यतया किस राष्ट्र के हैं और जिस काम में वे लगे हुए हैं उस का स्वरूप क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (ग). यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और जब जितनी उपलब्ध होगी उतनी ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

विद्युत संयन्त्र तथा सामग्री का निर्माण

१६. सरदार ए० एस० सहगल : (क) क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार भारी विद्युत् संयन्त्र तथा सामग्री के निर्माण के लिये एक कारखाना खोलने जा रही है ?

(ख) यह संयन्त्र कब लगाया जायेगा और इस की प्रारम्भिक लागत क्या होगी ?

(ग) क्या सरकार संयन्त्र लगने के पश्चात् मूल उद्योगों को भी जिस में सहायक यातायात की सुविधायें भी सम्मिलित हैं विकसित करेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री क० सी० रेड्डी): (क) सरकार भारी विद्युत् शक्ति संयन्त्र बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) तथा (ग) इस अवस्था में ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

वियना में विश्व शान्ति कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए पारपत्र

१८. श्री एच० एन०मुकर्जी : (क) **क्या प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वियना में हाल में हुई विश्व शान्ति कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिये कितने पारपत्रों के लिये आवेदनपत्र दिये गये थे ?

(ख) राज्यवार कितने पारपत्र दिये गये थ ?

(ग) कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये थे और किन कारणों से अस्वीकृत किये गये थे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग) भारत में विभिन्न राज्य सरकारें पारपात्र देती हैं । क्योंकि पारपत्र जारी करने का अभिलेख आवेदनकर्त्ता के उद्देश्य के आधार पर नहीं रखा जाता, अपितु आवेदनकर्त्ताओं के नाम के आधार पर रखा जाता है, अतः इस अवस्था में यह बतलाना सम्भव नहीं है कि कितने व्यक्तियों ने वियना की शान्ति कांग्रेस में सम्मिलित होने के प्रयोजन से पारपत्रों के लिये आवेदनपत्र दिये थे, कितने आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिये गये थे या कितने पारपत्र दिये गये थे ।

"अखिल भारतीय शान्ति परिषद्" ने भारत सरकार को ११७ नाम बतलाये थे जिन में से ४१ नामों की विभिन्न राज्य सरकारों से पारपत्र देने के लिये सिफारिश की गई थी ।

जैसा कि सदन में कई बार बताया जा चुका है पारपत्रों के आवेदनपत्रों पर प्रत्येक व्यक्ति के गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है । जहां यह समझा जाता है कि पारपत्र देना जनहित में उचित नहीं है तो पारपत्र नहीं दिया जाता ।

ठौबल सामुदायिक परियोजना

२१. श्री एल० जे० सिंह : क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ठौबल सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में लगभग ५ १/२ मील लम्बे और ३ मील चौड़े लौशाईपाट नामक दलदली भूमि के टुकड़े को इस भूमि के छोर पर रहने वाले ग्रामीण कृषियोग्य बनायेंगे ;

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त ग्रामीणों ने उपरोक्त दलदली भूमि में से नालियां बना कर पानी निकालने के लिये पहाड़ियां काटने में बिना पारिश्रमिक के तथा स्वेच्छा से कार्य किया था ;

(ग) क्या यह सत्य है कि ग्रामीणों द्वारा स्वेच्छा से की गई सेवा के बदले में सरकार इस प्रकार कृषियोग्य बनाई गई भूमि को बिना मूल्य बांटेगी ;

(घ) पहाड़ियों की कटाई को पूरा करने के लिये प्रति व्यक्ति एक दिन के हिसाब से कितने दिन लगने चाहिये थे और कितने ग्रामीणों ने स्वेच्छा से कार्य किया था ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस के वितरण के लिये क्या व्यवस्था है और प्रत्येक ग्रामीण को कितनी भूमि दिये जाने की आशा है; और

(च) अब तक इस में कहां तक प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) (१) काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है । (२) १,०९५ ।

(ङ) वास्तविक वितरण राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति को ४ से ५ एकड़ तक भूमि मिलने की आशा है ।

(च) लगभग ५० प्रतिशत काम समाप्त हो चुका है ।

कोयले का वितरण और मूल्य

२२. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **सिंचाई तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई वस्तु नियंत्रण समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो समिति ने "कोयले के वितरण और मूल्य पर नियंत्रण के कार्य करने" के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये हैं ?

(ग) निजी कोयला खानों के स्वामियों के इस विषय में क्या विचार थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं श्रीमान् । (ख) तथा (ग) । प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन

२३. **श्री बी० एन० राय** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में रबड़ के उत्पादन के लिये कोई भूपरिमाप किया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस के लिये कोई परिमाप करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । नहीं, श्रीमान् ।

चल-चित्र विवाचन बोर्ड

२४. **श्री आर० के० चौधरी** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय चल-चित्र विवाचन बोर्ड के कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) क्या १९५२ और १९५३ में कोई नया सदस्य नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो इन सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) (क) चल-चित्र (विवाचन) नियम, १९५१ के अधीन बोर्ड के ७ सदस्य होने चाहियें । केन्द्रीय चल-चित्र विवाचन बोर्ड के इस समय निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(१) श्री सी० एम० अग्रवाल (प्रधान)
(२) श्री सी० आर० श्रीनिवासन
(३) श्री तुषार कान्ति घोष
(४) श्री चन्दू लाल शाह
(५) डा० वी० के० आर० वी० राव

टिप्पणी : श्रीमती लीलावती मुन्शी और डा० अमरनाथ झा के स्थान में, जो

१५ जनवरी १९५३ को सेवानिवृत्त हो गये हैं, केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही दो और सदस्यों को नियुक्त करने वाली है ।

(ख) जी हां । डा० वी० के० आर० वी० राव और श्री चन्दू लाल शाह १९५२ में नय सदस्य नियुक्त किये गये थे । १९५३ में अभी तक कोई सदस्य नहीं नियुक्त किया गया है ।

हिन्देशिया के साथ व्यापार करार

२६. **श्री अमजद अली :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने हिन्देशिया के साथ कोई व्यापार-करार किया है और यदि किया है, तो किस प्रत्याशंसा से ?

(ख) दोनों देशों में आयात और निर्यात की मुख्य मुख्य वस्तुएं क्या हैं ?

(ग) शेष धन किस मुद्रा में चुकाया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]**

(ग) हिन्देशिया के साथ किये गये करार मे भुगतान की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है । दोनों देशों के मध्य सामान्य रीति से रुपयों या स्टर्लिंग में हिसाब तय किया जायेगा ।

रुई का आयात

२७. **श्री के० जी० देशमुख :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में भारत में कितनी रुई की गांठों का आयात किया गया ;

(ख) वर्ष १९५२-५३ में किस किस प्रकार की कितनी रुई आयात करने दी गई ; और

(ग) मुख्यतया किन किन देशों से ये आयात किये गये थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) २३ जनवरी १९५३ तक ४००-४०० पौंड की ६,८२,२१८ गांठें ।

(ख) सयुक्त राज्य अमेरिका से १" या इससे अधिक लम्बे रेशे की रुई और स्टर्लिंग क्षेत्र से ७/८" या इस से अधिक लम्बे रेशे की रुई का आयात करने दिया गया था । आयात के अभ्यंश सामान्यतया रुई की सितम्बर-अगस्त की मौसम के लिये निश्चित किये जाते हैं । १९५२-५३ की मौसम के लिये ३० जून, १९५३ तक आयात के लिये ५ लाख गांठों का अभ्यंश निश्चित किया गया है ।

(ग) वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, मिस्र और सूडान से आयात किये गये थे ।

सेंधा नमक के निक्षेप

२८. **श्री झलन सिन्हा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत संघ में कहीं सेंधा नमक के निक्षेप मिले हैं; और

(ख) भारत में सम्भरण के लिये इन निक्षेपों से लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सेंधा नमक के निक्षेप हिमाचल प्रदेश के मंडी के जिले में गुमा, द्रांग और मैंगल में पाये जाते हैं ।

(ख) १/२ लाख मन से भी अधिक सेंधा नमक प्रति वर्ष इन स्थानों में पहिले ही निकाला जाता है, इस के मुख्य बाजार हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी प्रदेश तथा कुछ हद तक पंजाब का कांगड़ा जिला और जम्मू तथा काश्मीर के कुछ भाग हैं ।

मंडी की खानों को आधुनिक रीति से विकसित करने के लिये पहिले ही काम आरम्भ हो चुका है । निक्षेप किस हद तक हैं यह जानने के लिये अब छेद करने का काम किया जा रहा है ।

रबड़ के मूल्य

२९. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५३ में भारत में रबड़ के नियंत्रित मूल्य तथा विश्व के बाजार में रबड़ के प्रचलित मूल्य में कितना अन्तर था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भारत में श्रेणी १ की रबड़ का नियंत्रित मूल्य कोचीन में जहाज में लादने तक के व्यय सहित प्रति १०० पौंड १३८ रुपये है । उसी प्रकार के रबड़ का मूल्य सिंगापुर के बाजार में जनवरी १९५३ में निम्नलिखित था :

		रुपये
सप्ताहान्त	२-१-१९५३	१४५/१४/-
	९-१-१९५३	१४४/३/-
	१६-१-१९५३	१३७/८/-
	२३-१-१९५३	१३१/-
	३०-१-१९५३	१३२/१३/-

जापानी गन्धक

३०. **डा० अमीन :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उन सार्थों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन्होंने कि ऊंचे मूल्य के जापानी गन्धक का अपना अभ्यंश उठाने से इन्कार कर दिया है ?

(ख) सरकार का इन सार्थों के विरुद्ध क्या कार्यावाही करने का विचार है ?

(ग) जिन सार्थों ने ऊंचे मूल्य की जापानी गन्धक का अपना अभ्यंश उठा लिया है उन की क्षतिपूर्ति करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). १९५२ की दूसरी और तीसरी तिमाही में जापान की लगभग ४,००० टन गन्धक विभिन्न औद्योगिक एककों को बांटी गई थी । दूसरी तिमाही का आवंटन तो पूरा उठा लिया गया था, किन्तु तीसरी तिमाही में बहुत से उपभोक्ताओं ने या तो अपने गन्धक के भन्डार की स्थिति सन्तोषजनक होने के कारण अथवा ऊंचे मूल्य की जापान की गन्धक के प्रयोग के आर्थिक दृष्टि से हानिकारक होने के कारण आवंटन को लेने से इन्कार कर दिया था । इस प्रकार के सार्थों की संख्या लगभग ६५ थी । क्योंकि यह आवंटन लेना अनिवार्य नहीं था और क्योंकि उन के द्वारा अस्वीकृत किये गये आवंटन को लेने के लिये अन्य सार्थ इच्छुक और उत्सुक थे, अतः न तो इस प्रकार के सार्थों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उठता है और न ही सरकार द्वारा उन सार्थों की क्षतिपूर्ति का कोई प्रश्न उठ सकता है जिन्होंने कि अपने अभ्यंश को स्वीकार कर लिया था । सरकार यह समझती है कि उन सार्थों के नाम बताना जनहित में उचित नहीं होगा जो किसी न किसी कारण सेउन्हें किये गये गन्धक के आवंटन को स्वीकार नहीं कर सके थे ।

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
१३ फरवरी, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ प० म०

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है। मैं इसे पढ़ कर सुनाता हूं :

"प्रिय उपाध्यक्ष महोदय,

मुझे आप से यह प्रार्थना करनी है कि आप कृपा कर के सदन से मेरे अस्वस्थ होने के कारण संसद के वर्तमान सत्र के उद्घाटन-अवसर पर तथा बाद में भी कुछ समय तक उपस्थित न हो सकने के लिये मेरी ओर से क्षमा याचना कर लें। मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं कुछ ऐसे कारणों से जो कि मेरी शक्ति से परे हैं सदन की सेवा नहीं कर सकूंगा। सदन को संभवतः यह विदित है कि गत वर्ष नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में सदन के उस सत्र के दिनों में ही मुझे हल्का सा हृदय का दौरा हुआ था। मेरे चिकित्सकों ने मुझे उस समय पूर्णतया बिस्तर में लेटे रहने को कहा था। न केवल शारीरिक गतिविधि, अपितु मुझ बौद्धिक कार्य के लिये भी बिलकुल निषेध कर दिया गया था। मैं लगभग दिसम्बर के आरम्भ से बिस्तर में पड़ा हुआ हूं और मैं काफी तेजी से अच्छा हो रहा हूं। किन्तु मुझे अभी बिस्तर से उठने की आज्ञा नहीं है। मैं केवल दिन में कुछ एक घंटे तक थोड़े थोड़े समय के पश्चात् बैठ सकता हूं।

अच्छे होने की प्रगति और निरन्तर विश्राम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि मैं लगभग मार्च के मध्य तक अपने घर से बाहर निकल सकूंगा। इस समय यह कहना कठिन है कि मैं सदन की बैठकों में ठीक-ठीक कब सम्मिलत हो सकूंगा।

मुझे विश्वास है कि इन परिस्थितियों में सदन मेरी इस अनिवार्य अनुपस्थिति के लिये मुझे क्षमा करेगा और इस के लिये आवश्यक अवकाश की अनुमति दे देगा जिस से कि मैं अपने स्वास्थ्य को पूर्णतया ठीक करके पूर्ववत् अपने कार्यभार को सम्भाल सकूं।

तुम्हारा शुभाकांक्षी,
ह० जी० वी० मावलंकर।"

क्या मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को उन के शीघ्र अच्छे होने के लिये इस

[उपाध्यक्ष महोदय]

सदन की प्रार्थनायुक्त शुभेच्छाओं को भेज दूं जिस से कि वे इस सदन में आ कर इस अध्यक्ष पद को पुनः सुशोभित कर सकें जिसे कि उन्हों ने इतने सम्मानपूर्वक अब तक सुशोभित किया है और यह भी कह दूं कि सदन ने कृपा करके उन्हें अवकाश के लिये अनुमति दे दी है ?

क्या अनुमति दे दी गई ?

अनुमति दे दी गई।

पटल पर रख गये पत्र

विधयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

सचिव महोदय : मैं पटल पर एक विवरण रखता हूं जिस में संसद् के सदनों द्वारा द्वितीय सत्र, १९५२ में पारित किये गये और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विधेयक दिये हुए हैं।

विवरण

(१) भारतीय तट-कर (चतुर्थ संशोधन) विधेयक।

(२) चीनी (अस्थायी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) विधेयक।

(३) भारतीय तिलहन समिति (संशोधन) विधयक।

(४) भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक।

(५) भारतीय एकस्व तथा प्ररचना (संशोधन) विधयक।

(६) व्यवहार प्रक्रियां संहिता (संशोधन) विधेयक।

(७) मैसूर उच्च न्यायालय (क्षेत्राधिकार का कुर्ग तक विस्तार) विधेयक।

(८) भारतीय शक्ति सुषव (पावर अल्कोहल) (संशोधन) विधयक।

(९) वायदे के सौदे (निग्रमन) सम्बन्धी विधेयक।

(१०) पश्चिमी बंगाल निष्क्रान्त सम्पत्ति (त्रिपुरा संशोधन) विधयक।

(११) पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण (नियंत्रण) निरसन विधेयक।

(१२) अपहृति व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा पुनरुपयोजन) संशोधन विधेयक।

(१३) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक।

(१४) लोहा तथा इस्पात समवाय संमिश्रण विधेयक।

(१५) विनियोग (संख्या ३) विधेयक।

(१६) परिसीमन आयोग विधेयक।

वित्त आयोग का प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये वित्त आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति और इस के साथ संविधान के अनुच्छेद २८१ के अनुसार इस पर की गई कार्यवाही को दिखाने वाला एक ज्ञापन पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रख दी गई।** देखिये संख्या आई० वी० ओ० ९ (४४२)]

(१) **अधिभास्वीय के उचित मूल्यों; और**

(२) **बालबियरिंग्स तथा इस्पात के बाल्स के उद्योग के सम्बन्ध में**

तट-कर आयोग के प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : तट-कर आयोग

अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) १ जनवरी से १५ अगस्त, १९५२ तक की अवधि के लिये अधिभास्वीय के उचित मूल्यों के सम्बन्ध में तट-कर आयोग का प्रविवेदन। [**पुस्तकालय में रख दी गई** । देखिये संख्या ४ आर० ११ क (२३)]

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ३-टी (१) ५२ तिथि २२ दिसम्बर, १९५२। [**पुस्तकालय में रख दी गई** । देखिये संख्या ४ आर० ११क (२३)]

(३) तट-कर आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परादिक के अधीन वक्तव्य जिस में यह बताया गया है कि ऊपर (१) तथा (२) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक एक प्रति निश्चित अवधि के अन्दर क्यों नहीं रखी जा सकी। [**पुस्तकालय में रख दी गई** । देखिये संख्या ४ आर० ११क (२३)]

(४) बाल बियरिंग्स तथा इस्पात की बाल्स के उद्योग के सम्बन्ध में तट-कर आयोग का प्रतिवेदन, १९५२। [**पुस्तकालय में रख दी गई** । देखिये संख्या ४ आर० १५९ (२६)]

(५) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १८(४)-टी०बी०/५२, तिथि १०, जनवरी, १९५३ । [**पुस्तकालय में रख दी गई** । देखिये संख्या ४ आर० १५९ (२६)]

(६) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १८(४)-टी० बी०/५२ तिथि १० जनवरी, १९५३ । [**पुस्तकालय में रख दी गई** । देखिय संख्या ४ आर० १५९ (२६)]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल को राष्ट्रपति के प्रति अपना धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहने से पूर्व मैं यह घोषणा करता हूं कि नियम १९ के अधीन **में** साधारणतया भाषणों के लिये समय की अवधि १५ मिनट निश्चित करता हूं, विभिन्न गुटों के नेताओं को इस से अधिक तथा प्रधान मन्त्री को सरकार की ओर से वाद विवाद का उत्तर देने के लिये ३० मिनट या आवश्यकता पढ़ने पर इस से अधिक समय भी दिया जा सकता है ।

प्रो० अग्रवाल (वर्धा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्यारह फरवरी को राष्ट्रपति जी ने संसद् के सदस्यों के सामन एक भाषण दिया था और उस के लिये हम सभी उन के बहुत कृतज्ञ हैं। इसी सिलसिले **में मैं** आप के सामने यह धन्यवाद का प्रस्ताव रख रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके प्रस्ताव पढ़ कर सुना दीजिये ।

प्रो० अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : राष्ट्रपति की सेवा **में** निम्नलिखित शब्दों में एक अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत किया जाये कि :

> "इस सत्र **में** समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने ११ फरवरी, १९५३ को एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की थी बहुत कृतज्ञ हैं ।"

[प्रो० अग्रवाल]

इस लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति जी के उस भाषण के लिये जो कि उन्होंने संसद् के सदस्यों के सामने ११ फ़रवरी को दिया था बहुत कृतज्ञ हैं।

राष्ट्रपति जी के लिये यह सम्भव नहीं था और न इस की ज़रूरत ही थी...

एक माननीय सदस्य : कृपा करके अंग्रेजी में बोलिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई क्रीडांगण नहीं है। माननीय सदस्य को अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में बोलने का अधिकार है और हिन्दी राज भाषा है। इस प्रकार से कार्यवाही में बाधा डालने से कोई लाभ नहीं ।

प्रो० अग्रवाल : राष्ट्रपति जी के लिये न तो यह मुमकिन था और न जरूरी था कि वह हर एक विषय की चर्चा करते लेकिन उन्हों ने बहुत से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की चर्चा की और हम को अपने विचार बताये और सरकार की भविष्य में जो नीति होगी उस के बारे में भी कुछ झलक हम को मिली। जहां तक विदेश नीति का सवाल है राष्ट्रपति जी ने हम को स्पष्ट बतलाया कि जो भारत सरकार की नीति आज तक रही है वही जारी रहेगी। यानी हम सभी राष्ट्रों से मित्रता का बरताव करेंगे लेकिन किसी की गुटबन्दी में शामिल नहीं होंगे और यह नीति आज तक सफल रही है। इस से विदेशों में हमारा काफी मान हुआ है और आज हम कोई भी कारण नहीं देखते, यद्यपि आज लड़ाई के बादल कुछ जमा होते दीखते हैं, कि इस नीति को बदला जाय, और मैं समझता हूं कि यह नीति बिल्कुल ठीक रही है। जो हाल में सुदूर-पूर्व में, घटनायें हुई हैं, उन से स्वाभाविक रूप से सब को चिन्ता हुई है और हम यह साफ करना चाहते हैं कि हम ने जो मान्यता चीन की सरकार को दी है वह फारमोसा की सरकार को नहीं दी है। और कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी सभी देशों के साथ मित्रता की नीति को जारी रखेंगे और शान्ति के तरीके बरतने की कोशिश करेंगे चाहे लड़ाई कितनी भी नजदीक आती हुई दीखे।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में दक्षिण अफ़्रीका के सत्याग्रह के बारे में भी जिक्र किया और आप सब यह स्वीकार करेंगे कि जो सत्याग्रह आन्दोलन वहां चल रहा है, वहां की वर्ण भेद नीति के विरुद्ध, उन सत्याग्रहियों के प्रति हमारी पूरी पूरी सहानुभूति है। यह एक अजीब चीज़ है कि जिस वक्त हम प्रजातंत्र की बातें करते हैं, डैमोक्रेसी की बातें करते हैं, उस समय वहां की सरकार एक ऐसा कानून लाने की कोशिश करे जो कि प्रजातंत्र के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। जो लैजिस्लेशन और कानून वहां आ रहा है उस में उन सत्याग्रहियों के विरुद्ध, जो कि पूरे अहिंसक हैं और सत्य से और शान्ति से अपना आन्दोलन चला रहे हैं कई तरह की सजा देने का और कोड़े मारने का कानून बन रहा है जिस की कि हम घोर निन्दा करना चाहते हैं। हिटलर बदनाम हुआ क्योंकि उसने फ़ासिज्म चलाया लेकिन हम देखते हैं कि आज दक्षिण अफ़्रीका में हिटलर को भी मात किया जा रहा है और इस की हम जितनी भी निन्दा करें कम होगी। यह भी हम साफ कहना चाहते हैं कि जो दिलचस्पी हम दक्षिण अफ़्रीका में ले रहे हैं वह वहां के अफ़्रीकी भाइयों के लिये ले रहे हैं। ऐसा न समझा जाय कि चूंकि वहां हिन्दुस्तानी भी रहते हैं इसी-

लिये हमको दिलचस्पी है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनको हम मानवता के विरुद्ध मानते हैं, और यह जो बर्बरता का युद्ध है उस के खिलाफ हम अपनी आवाज जरूर उठाना चाहते हैं।

राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तान के बारे में भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध पहले से बेहतर हैं। इस की हमको खुशी है। हम तो यह चाहते हैं कि जो हमारे पड़ौसी राष्ट्र हैं उन से हमारे सम्बन्ध इस तरह से हों, जैसे कि अमेरिका और कनाडा के हैं। अमेरिका और कनाडा दो बड़े राष्ट्र हैं, लेकिन उन के बीच में, उन के बार्डर पर, सरहद पर, फौज नहीं रहती। इस की वजह से उन का बहुत खर्च बच जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी आमदनी का करीब ५० फी सदी हिस्सा हमारी फौज पर खर्च होता है। अगर हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते और कुछ हो सकें तो यह खर्चा बचेगा और पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों का इसी में भलाई है।

जम्मू और काश्मीर के सवाल की चर्चा आज कल बहुत होती है। राष्ट्रपति जी ने भी स्वाभाविक रूप से उसकी चर्चा की। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय संघ का सवाल है, हमारा मामला उस के सामने विचाराधीन है और आज हमारे प्रतिनिधि वहां पाकिस्तान की सरकार और यू० एन० औ० (संयुक्त राष्ट्र संघ) से बातचीत कर रहे हैं, काश्मीर का मामला जरूर एक पेचीदा मामला है, नाजुक मामला है, क्योंकि वह सिर्फ पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच की बात नहीं है, यह राष्ट्र संघ के सामने भी आज विचाराधीन है। लेकिन इसी समय एक आन्दोलन वहां छिड़ गया। प्रजा परिषद् बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन हम को बड़ा दुःख होता है कि जिस उद्देश्य से वह आन्दोलन चलाया जा रहा है उसी उद्देश्य के विरुद्ध उसकी कार्यवाही का असर हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि काश्मीर हिन्दुस्तान के साथ रहे। कौन नहीं चाहेगा कि काश्मीर हमारी हिन्दुस्तान का रिश्ता मैत्रीपूर्ण रहे और हमारे संघ में काश्मीर हमेशा के लिये आ जाय ? लेकिन मामला पेचीदा है, संजीदा है और उस को समझ कर ही हम को अपना कदम उठाना होगा। अगर हम यह कहें कि पूरा काश्मीर नहीं आता तो जम्मू को ही आ जान दीजिय, तो यह मैं बुद्धिमानी की निशानी नहीं समझता हूं। अगर हम को पूरा काश्मीर रखना है तो वहां के लोगों के प्रति हमें मित्रता और प्रेम दिखलाना होगा। काश्मीर एक बार्डर स्टेट (सीमावर्ती राज्य) है, सरहदी राज्य है और सब तरह से हम को बहुत समझदारी से, सूझ से, काम करना होगा। मुझे बहुत दुःख है और मैं समझता हूं कि सब सहमत होंगे कि जो आन्दोलन आज चल रहा है, वह जिस उद्देश्य से हम काम करना चाहते हैं उस के विरुद्ध जा रहा है और वह जितना जल्दी वापस ले लिया जाय उतना ही अच्छा होगा। जहां तक वहां की आर्थिक दिक्कतों का सवाल है, काश्मीर सरकार ने एक कमीशन बनाया है। वह कमीशन उन बातों की तरफ जरूर ध्यान देगा जो कि उन की सच्ची शिकायतें होंगी। कस्टम्स बहिःशुल्क के बारे में, जमीन के सीलिंग के बारे में, सब बातों के विषय में सोचा जा सकता है। लेकिन एक आन्दोलन अगर उस समझौते के विरुद्ध उठाया जाय जो संसद् ने मंजूर किया, तो एक तरह से यह आन्दोलन संसद् के विरुद्ध हो जाता है, और जबकि मामला यू० एन०

[प्रो० अग्रवाल]

ओ० के सामने है तो एक तरह से यू० एन० ओ० के विरुद्ध भी काम करने की बात आ जाती है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जितने लोग इस आन्दोलन में आज काम करते हैं, वे अपनी बात को गम्भीरता से सोचेंगे और जल्द से जल्द इस आन्दोलन को वापस ले लेंगे।

भाषावार प्रान्त रचना के बारे में राष्ट्रपतिजी ने जिक्र किया और हम को बहुत खुशी है कि आन्ध्र का राज्य शीघ्र ही स्थापित होने वाला है। भाषावार प्रान्त रचना के बारे में देश में काफी सरगरमी पैदा हो गयी है, यद्यपि जो मूल सिद्धान्त है उस के विरुद्ध कोई नहीं है। सब जानते हैं कि भाषावार प्रान्त रचना कई दृष्टि से वधा जनक है। अगर हम देशी भाषाओं में वहां राज्य चलाना चाहते हैं, अगर हम वहां की शिक्षा मातृभाषा में करना चाहते हैं तो सुविधा की दृष्टि से यह ठीक ही है कि जहां एक भाषा चलती हो तो उसी के अनुसार वहां राज्य हो। लेकिन जब हम कल्चर की बात सुनते हैं संस्कृति की बात सुनते हैं कि जैसे वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है, उस से अलग है तो इस में भय पैदा होता है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आगे जो भी प्रान्त बनें, खुशी से बनें, उस में किसी का विरोध नहीं है, लेकिन अगर हम एक हद से ज्यादा जल्दबाजी करें, और देश की जो मौलिक एकता है उस को भूल जायें, जो देश में बहुत से आर्थिक विषय हैं, उन को भूल आयें, तो वह हमारे लिये उचित नहीं होगा।

आर्थिक दृष्टि से देश में काफी सुधार हुआ है। अनाज का, कपास का शक्कर का और और चीजों का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ यह भी राष्ट्रपति जी ने हम को बतलाया कि कई सूबों में और हिस्सों में कुछ अकाल जसे चिन्ह भी नजर आ रहे हैं वहां के लिये वहां की जो सरकारें हैं वे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हम को यह स्वीकार करना चाहिये कि देश उन्नति के पथ पर चल रहा है और जो पंचवर्षीय योजना हमारे सामने रखी गयी है उस को सफल करने के लिये हमारा सब का कर्तव्य है कि पूरी शक्ति लगायें। इस पंचवर्षीय योजना के बारे में कई मतभेद हो सकते हैं। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि बिना परिश्रम के कुछ मिलने वाला नहीं है। आसमान से अमृत नहीं टपकने वाला है और जब तक हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नही करेंगे, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। पंचवर्षीय योजना में अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप को पसन्द नहीं, तो आप ऐसी भी बहुत सी बातें देखेंगे कि जिन से आप पूरी तरह सहमत होंगे। खेती के उत्थान के बारे में, लोगों को पूरा रोज़गार देने के बारे में, ग्रामोद्योग का उत्थान या ज़मीन के बारे में, शिक्षा के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन को आप बिना किसी संकोच और दिक्कत के पूरा कर सकते हैं। और मैं आप सभी से यह अपील करूंगा कि पंचवर्षीय योजना को आप एक पार्टी की योजना न मानें, उस को एक राष्ट्रीय योजना समझ कर उस की सफलता के लिये पूरा प्रयत्न करें। इस योजना में बेकारी को दूर करने के लिये जो ग्रामोद्योग पर जोर दिया गया है उस का मैं स्वागन करता हूं। हाल ही में एक अखिल भारतीय खादी और

ग्रामोद्योग बोर्ड गवर्नमेंट ने कायम किया है जिस का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। मैं समझता हूं कि इस से ग्रामसुधार का कार्य पूर्ण हो सकेगा और बिना इसको अपनाय देश की बेकारी दूर नहीं हो सकती, यह हम सब समझते हैं।

जहां तक अन्न उत्पादन का सवाल है राष्ट्रपति जी ने हम को बतलाया कि उन की और उन की सरकार की पूरी इच्छा है कि अगले तीन वर्षों में हमारा देश, जहां तक अन्न का प्रश्न है, स्वयं पूर्ण बन जाय, सैल्फ सफिशियेंट (आत्मनिर्भर) हो जाय। इस को मैं बहुत ज़रूरी मानता हूं, क्योंकि कोई भी देश जो भूखा देश है, जिस के पास कि खाने को नहीं है, वह अपनी राजनीतिक आजादी भी बहुत दिनों तक नहीं टिका सकता। इसलिये इस को मैं एक राजनीतिक प्रश्न समझता हूं और मैं आशा करता हूं कि हर एक नागरिक पूरी कोशिश करेगा कि जहां तक अनाज का प्रश्न है, अन्न का प्रश्न है, उस का उत्पादन बढ़ाया जाये और हमारा राष्ट्र इस में स्वावलम्बी बन सके। प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) ने जमीन की गणना के लिये, सेंसस के लिए सुझाव दिया है कि १९५३ में यह सेंसस पूरी हो जायेगी। मैं आशा रखता हूं कि प्लानिंग कमीशन शीघ्र ही एक लैंड कमीशन स्थापित करेगा जो इस गणना को पूरी करेगा और जो आगे भूमि सम्बन्धी सुधार आने वाले हैं उन को तेजी से बनायेगा।

साथ ही साथ मैं एक और विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह है प्राइस पालिसी (मूल्य नीति) मल्य के बारे में नीति। अगर हम सचमुच अन्न में स्वावलम्बी बनना चाहते हैं तो यह बिल्कुल ज़रूरी ह कि जो किसान अनाज उपजाता है उस को, उन किसानों की अपेक्षा जो कि अनाज के अलावा कपास इत्यादि और चीज़ें उपजाते हैं, ज्यादा दाम मिलेंगे तभी उस को पूरा प्रोत्साहन मिलेगा। मैं पूरी आशा रखता हूं कि इस दिशा में प्लानिंग कमीशन गम्भीरता से सोचेगा, यद्यपि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का ज़िक्र किया है कि एक किसान को जो कि अनाज उपजाता है सब तरह से प्रोत्साहन दिया जायगा।

मुझे इस बात का भी संतोष है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष ध्यान दिया है। यह हम को दुःख के साथ स्वीकार करना चाहिये कि आज़ादी मिलने के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिये, नहीं हो सका उसके कोई भी कारण हों, आर्थिक अथवा दूसरे, लेकिन यह हमको शिक्षा के क्षेत्र में मानना चाहिये कि अभी बहुत कुछ काम करने को बाक़ी है। सेकेन्डरी ऐजूकेशन कमीशन बैठा है, उसके पहले युनिवर्सिटी कमीशन था उस की रिपोर्ट में जो सिफारिशें थीं, जिन को तुरन्त अमल में लाना चाहिये था नहीं ला सके, इसके कई कारण हैं, आर्थिक कारण भी हैं। प्लानिंग कमीशन नें और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब वह जमाना नहीं रहा जब कि हम बुनियादी तालीम को कुछ इने गिने क्षेत्रों में चलायें, कुछ बसिक स्कूल खोलें और बाक़ी स्कूल पुराने ढर्रे पर चलते रहें। भले ही हम जिस तरह से सेवाग्राम में तालीम चलाते हैं, उस को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते, फिर भी जो उस का बुनियादी सिद्धांत है कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना, उस को दुनिया के सभी शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। आज के दिन जो स्कूल कालिज चलते हैं उन को शिक्षा

[प्रो० अग्रवाल]

कितनी निकम्मी है, किस तरह से आदमी बेकार बनाया जाता है और अपने हाथ पैर नहीं चला सकता, यह सब जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी शिक्षा हो जो हमारे स्कूल कालेज हों उन में बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त जरूर लागू हो जाना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये कि कुछ बेसिक स्कूल खोलें और बाक़ी सब पुराने ढांचे पर चलते रहें। आज जो बच्चे हैं, उन की पढ़ाई रुक जाती है, वे हाई स्कूल में नहीं बैठ सकते, कालिज में नहीं जा सकते, तो मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा मिनिस्ट्री इसकी तरफ़ पूरा ध्यान देगी, ताकि राष्ट्रपति जी ने जो उद्गार अपने भाषण में प्रकट किये हैं वे पूरे हों और शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्त्तन हो। हम यह अक्सर कहते हैं कि जब नया राज्य आता है तो नया झंडा होना चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि नया राज्य आने के साथ नई तालीम और शिक्षा का आना भी उतना ही जरूरी होता है।

राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र था और मैं उस को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। आज यद्यपि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुआ है, लेकिन हम हरिजनों की तरफ़ और जो कि हमारी आदिम जातियां हैं उन की तरफ़ अगर पूरा ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ़ सामाजिक ही नहीं राजनीतिक पेचीदगियां भी खड़ी हो सकती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर यहां दिल्ली में देश के कोने-कोने से बहुत से लोक-नृत्यों का प्रोग्राम हुआ और उन नृत्यों को मैं केवल सांस्कृतिक दृष्टि से ही महत्व नहीं देता, राजनीतिक दृष्टि से भी महत्व देता हूं, क्योंकि हम को समझना चाहिये कि ये जो आदिमजातियां हैं, ट्राइबिल एरियाज (आदिम जाति क्षेत्र) हैं यह सब हमारे भारत अभिन्न अंग हैं और उन को भी हमें यह बतलाना है कि हमारा हृदय उन के कल्याण के लिये सदैव जागृत रहता है। बजट हमारे सामने आयेगा और हर वर्ष की तरह उस में कुछ बातें होंगी, नई बातें भी हो सकती हैं, और शायद कुछ ऐसी विशेष बातें भी न हों जिस पर हमें आश्चर्य हो। हम यह जरूर चाहेंगे कि जो एस्टेट ड्यूटी बिल (सम्पदा शुल्क विधेयक) और हथलूम सेस (हाथ करघा उपकर) के बारे में अभी तक बिल पड़े हुए हैं और जो कि हमारे सामने फिर विचार के लिये आयेंगे, उनके बारे में सप्लीमेंटरी फाइनेंस बिल (अनूपूरक वित्त विधयक) जरूर आये। ऐसा न हो कि एक वर्ष हमारा चला जाये और जो टक्स हम को मिल सकता है उस को हम प्राप्त न कर सकें।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि आज का जमाना ऐसा नहीं है कि हम यह समझें कि अब आराम का जमाना आया है, यह ठीक है कि हम को आजादी मिली है, राजनैतिक आजादी मिली है, लेकिन अभी आर्थिक स्वतंत्रता और स्वराज्य हम को प्राप्त करना है और इस देश में लाना है। आज हमारे देश में और देश के बाहर भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिन को हम फ़ासिस्ट कहें या तानाशाही की कहें और जो कि दुनिया में प्रजातंत्र को हटाना चाहती हैं, उन सब शक्तियों का हम को हिम्मत से मुक़ाबला करना है और देश में ऐसा वातावरण बनाना है कि हर एक व्यक्ति अपने अधिकार के साथ अपनी जिम्मेवारियां भी समझे और अगले तीन वर्ष जो कि पंचवर्षीय योजना के हैं, उस समय को मैं बहुत संकट का समय मानता हूं और

ऐसे समय यदि हम गम्भीरता से काम करेंगे तो जरूर यह देश उस रास्ते पर जायेगा जिस तरफ महात्मा गांधी इस को ले जाना चाहते थे ताकि हर एक नागरिक को यह महसूस हो कि वह इस कल्याणकारी राष्ट्र का-वैलफेयर स्टेट का एक नागरिक है, उस में उस का हिस्सेदार है, उस की जिम्मेदारियों और अधिकार दोनों में ही और मुझे पूरी आशा है कि जो विचार राष्ट्रपति जी ने इस सिलसिले में प्रकट किये, हम एक सहकार की भावना से उन भावनाओं की कद्र करेंगे और सब मिल कर इस देश को और अच्छा और ऊंचा देश बनाने की कोशिश करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव आप के सामने पेश करता हूं-

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इस प्रस्ताव के अनुमोदन का अवसर मिला है । राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ने से इस में एक प्रकार की शान्ति-सी दिखाई देती है जो कि, मेरे विचार में देश की सामान्य अवस्था की द्योतक है । जिन्हें इस में सन्देह है वे गत कुछ वर्षों के भारतीय इतिहास को स्मरण करके देखें--१९४७ का भारत कैसा था और १९५३ का भारत कैसा है । मैं उन में से कुछ तथ्यों को आप को स्मरण कराता हूं ।

उस समय हमारा देश दो भागों में बंटा हुआ था, लाखों लोग अपने परिवारों से बिछुड़ हुए इधर उधर भटक रहे थे, लाखों भारत में पड़े थ और लाखों पाकिस्तान में—पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी से कहीं अधिक बड़ी शरणार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की समस्या हमारे सामने थी । हमारे यहां लगभग ५८० रियासतें थी । और उन में से प्रत्येक स्वतंत्र होना चाहती थी । देश के अन्दर अकाल पड़ा हुआ था । देश में सूखा पड़ा हुआ था और दक्षिण में कई लोगों ने अराजकता फैला रखी थी । हमने थोड़े से ही समय में अपने सब साधनों को जुटा कर एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया है । खाद्य समस्या लगभग सुलझ गई है । मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि इस सब गड़बड़ घोटाले में से हम ने एक संयुक्त और महान् सर्व-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है । सोलह करोड़ मतदाताओं ने मत दे कर एक स्वर से यह घोषणा की ह कि वे लोकतंत्री सरकार चाहते हैं तानाशाही नहीं । इन महान् कार्यों का श्रेय हमारे महान् नीतिज्ञ स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल और पूज्य नेता पंडित नेहरू को है ।

खाद्य समस्या के सम्बन्ध में मेरे पास श्री रफी अहमद किदवई का अधिकृत वक्तव्य है उन्होंने पश्चिमी बंगाल के दौरे में कहा था कि खाद्य स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी है । वास्तव में कुछ समय पश्चात् हमारे पास निर्यात के लिये फालतू अनाज होने लगेगा । यदि हमारी पंचवर्षीय योजना कियान्वित हो जायेगी जिस में कि लगभग दो सौ से अधिक परियोजनाओं की व्यवस्था की गई है, तो हमारी अनाज की उपज लगभग एक करोड़ टन बढ़ जायगी ।

राष्ट्रपति के भाषण में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिये तथा उन की आर्थिक व सांस्कृतिक प्रगति में सहायता करने की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने का जो आश्वासन दिया गया है उस से न केवल आंध्रों को आशा का सन्देश मिल गया है, अपितु इस से औरों का भी भाग्य जाग उठा है । अब प्रधान मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दे दिया है कि आंध्र राज्य बन जायगा ।

[श्री रघुरामय्या]

न केवल आन्तरिक क्षेत्र में, अपितु वाह्य नीति के सम्बन्ध में भी हम ने अपना अद्वितीय स्थान बना लिया है। संसार में २०४ राष्ट्र हैं और पांच वर्ष के इस थोड़े से समय में ही विश्व में हमारी सम्मति का आदर होने लगा है। हम ने न केवल अपनी स्वतन्त्रा के लिए ही संघर्ष किया है, अपितु हिन्देशिया को स्वतन्त्रा प्राप्ति के लिए, दक्षिण-पश्चिमी अफ़्रीका के दक्षिण अफ़्रीका में मिलाये जाने के विरुद्ध और लिबिया की स्वतन्त्रा के लिए और हाल में ट्यूनीशिया के सम्बन्ध में भी ज़ोरदार सहायता दी है।

विश्व को धड़े बन्दियों में न फंसकर और संसार के दो बड़े गुटों से अलग रह कर हमने अपना प्रभाव जमा लिया है। हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम सभी पद्दलित जातियों के उत्थान के पक्षपाती हैं। हम एक शान्तिपूर्ण विश्व की स्थापना के पक्ष में हैं; हम ऐसे किसी राष्ट्र के गुट के साथ नहीं हैं जो किसी विशेष विचार धारा के कारण परस्पर लड़ रहे हैं। हमने अभी हाल में कोरिया के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के लिए बड़ी सम्मानजनक समझौते की शर्तें प्रस्तुत की हैं और हमें इस बात पर गर्व है कि त्रेपन राष्ट्रों ने हमारी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, केवल सोवियत गुट के पांच राष्ट्रों ने इस का विरोध किया है। हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति आइज़नहोवर की फारमोसा की निष्पक्षता को समाप्त करने की घोषणा से हमारी चिन्ता बढ़ गई है। हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेंग जिस से विश्व में कहीं भी युद्ध के बढ़ने का भय हो।

मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि कतिपय विचार धाराओं पर आपस में लड़ने वाले महान् राष्ट्र दक्षिण अफ़्रीका में जो कुछ हो रहा है उस की ओर उचित ध्यान क्यों नहीं देते। वहां का जातीय संघर्ष भी तो एक विचार धारा सम्बन्धी संघर्ष है। यह केवल भारतीयों का या १९२७ के स्मट्स-गांधी करार को समाप्त करने का ही प्रश्न नहीं है, यह तो एक बहुत विशाल प्रश्न है, अर्थात क्या रंगीन जातियों को विश्व में रहने का अधिकार अथवा क्या तथाकथित श्वेत जातियां सदा इन्हें सताती रहेंगी। डा० मलान ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक तथा दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक में दो बहुत ही असाधारण विधेयक दक्षिण अफ़्रीका की संसद के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इन में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधि का विरोध करेगा या उस के विरुद्ध किसी आन्दोलन का समर्थन करेगा, तो उसे दस कोड़ों, ३०० पौंड का अर्थ दण्ड या तीन वर्ष के कारावास का दण्ड मिलेगा। जो किसी को विधि का विरोध करने के लिए भड़कायेंगे उन्हें पन्द्रह कोड़ों, ५०० पौंड का अर्थ दण्ड या पांच वर्ष के कारावास का दण्ड मिलेगा। और जब किसी पर किसी विधि का विरोध करन के लिए अभियोग चलाया जायेगा तो उस समय उसका साथ देने वाले व्यक्ति को भी यदि वह अपने आप को निर्दोष नहीं सिद्ध कर सकेगा, दोषी समझा जायेगा। बीसवीं सदी में इस से अधिक नृशंसतापूर्ण और असभ्य कृत्य की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझ पक्का निश्चय है कि इस प्रकार के विधेयक पर सदन को भी क्रोध आयेगा। सौभाग्य से अब यह केवल एक भारतीय प्रश्न ही

नहीं रहा है, अपितु समस्त अफ्रीकियों का प्रश्न बन गया है और इसका सम्बन्ध श्वेत तथा रंगीन जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों से है।

अब मैं काश्मीर के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में सदा यही कहा है कि मूल तत्वों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस में जरा भी सन्देह नहीं है कि काश्मीर १९४७ में ही स्वेच्छा से भारत में मिल गया था। यह भी सत्य है कि पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण किया था। अतः तर्क यही कहता है कि नैतिक रूप से केवल भारत ही काश्मीर के हितों की रक्षा करने और उन की देखभाल करने के लिए उत्तरदायी है। दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख राष्ट्रों ने सदा इस बात की उपेक्षा की है और उन्होंने सदा पक्षपातपूर्ण रुख अपनाया है। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल तथा उसके नेता ने राष्ट्रसंघ के काश्मीर के सम्बन्ध में समझौते सम्बंधी संकल्प का अस्वीकार करके इस बात को स्पष्ट करके अच्छा ही किया है।

काश्मीर की वर्तमान स्थिति के सम्बंध में मुझे डा० एस० पी० मुखर्जी से व्यक्तिगत रूप से एक अनुरोध करना है हमें काश्मीर को दलगत राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। जम्मू के वर्तमान आन्दोलन का प्रभाव बहुत दूर तक पड़ता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि काश्मीर के सम्बन्ध में अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो केवल युद्ध-बन्दी हुई है। हमें इस आन्दोलन को इस दृष्टि से देखना चाहिए। मुझे ज्ञात हुआ है कि पुलिस थानों पर, मजिस्ट्रेटों पर, पाठशालाओं, सरकारी भवनों इत्यादि पर धावे किये जा रहे हैं। इस समय जब कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है इस प्रकार से अराजकता फैलाना देश की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। आखिर यह परिषद् का आन्दोलन किन बातों के लिए आरम्भ किया गया है? काश्मीर के पूर्णतया भारत में मिल जाने और शेष भारत के समान काश्मीर पर भारतीय संविधान को लागू करने के लिये ही तो। विलय तो १९४७ में ही पूरा हो गया था। प्रतिरक्षा, वैदेशिक कार्य तथा संचरण इन तीन विषयों में तो काश्मीर स्वेच्छा से भारत के साथ मिल गया है। आपको स्मरण होगा कि पहले अन्य रियासतें भी इन तीन विषयों में ही मिलीं थीं। बाद में हमारे नेताओं की महान् नीतिज्ञता और प्रेरणा से वे पूर्णतया मिल गई। यह तो काश्मीर की जनता का काम है कि वह इस बात का निश्चय करे कि वे किस हद तक भारत के साथ मिलना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का आन्दोलन करके कोई बाधित कैसे कर सकता है।

यह कहा जाता है कि काश्मीर चाहे भारत में न मिले कम से कम जम्मू और लद्दाख को तो पूर्णतया भारत में मिला लेना चाहिये। इसका सबसे भयंकर परिणाम यह होगा कि ज्यों ही हम जम्मू और लद्दाख को काश्मीर से अलग करेंगे त्यों ही काश्मीर पाकिस्तान को मिल जायेगा और फिर लद्दाख का क्या होगा? लद्दाख और जम्मू तो चारों ओर से पाकिस्तान से घिर जायेंगे। क्या यही नीतिज्ञता है? जम्मू और लद्दाख को काश्मीर से अलग करना हमारे धर्म निर्पेक्षिता के सिद्धांत के भी तो विरुद्ध है। इसे कोई भी देशभक्त पसंद नहीं करेगा। मैं यह मानता हूं कि हमें पूरी प्रसन्नता काश्मीर के भारत के साथ पूर्णतया मिल जाने पर ही

[श्री रघुरामय्या]

होगी, किन्तु यह तो काश्मीरियों की अपनी इच्छा से ही होगा। और वे एसा तभी करेंगे जब वे यह देखेंगे कि भारत एक धर्मनिर्पेक्षित राज्य है और इसके साथ मिलने से ही काश्मीरियों का भला है। इन बातों को तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और पाकिस्तान के साथ हमारी जो गम्भीर स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए मैं डा० मुखर्जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे जम्मू के आन्दोलन के पक्ष में अपनी इस शक्तिशाली आवाज़ का प्रयोग न करें, किन्तु भारतीय एकता का समर्थन करें। मैं अपने मित्र श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत किया जाय कि :

इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने ११ फरवरी, १९५३ को एक साथ समवेत हुए संसद के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की थी बहुत कृतज्ञ हैं।"

कुछ संशोधन प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा, जो अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे "हां" कह दें।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"but regret that our foreign policy of neutrality has left us friendless in the world."

("किन्तु खेद है कि हमारी तटस्थता की विदेश नीति के कारण विश्व में हमारा कोई मित्र नहीं रहा है।")

(२) कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the absence of any attempt to mobilise man power for increased food production, has obliged us to depend upon foreign food to an extent dangerous to national well-being."

("किन्तु खेद है कि खाद्योत्पादन को बढ़ाने के लिये जनशक्ति को संगठित करने का कोई प्रयत्न न किया जाने के कारण हम विदेशी खाद्य पर इस हद तक निर्भर हो गये हैं कि यह राष्ट्र के हित के लिये खतरनाक हो गया है।")

(३) कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the lack of a sound policy for the redistribution of the country on a predominantly linguistic basis has created a dangerous internal situation."

("किन्तु खेद है कि देश के भाषा की प्रधानता के आधार पर पुनर्वितरण की कोई ठोस नीति के न होने के कारण आन्तरिक स्थिति बड़ी खतरनाक हो गई है।")

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but while appreciating the decision of the Government to form a new Andhra State in the near future, regret that no similar decision has been taken with regard to the formation of Karnataka, Kerala, Maharashtra and Tamilnad and that not even a reference has been made in this respect."

("किन्तु निकट भविष्य में एक नया आंध्र राज्य बनाने के सरकार के निश्चय की सराहना करते हुए खेद है कि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तामिलनाड के बनाने के सम्बन्ध में ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है और यहां तक कि इस सम्बन्ध में कोई संकेत भी नहीं किया गया है।")

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरु): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret for the lack of interest on the part of the Government to appreciate the pitiable plight of the Harijans and other backward communities and to formulate any scheme to redress their grievances from which they have been suffering from centuries."

("किन्तु हरिजनों तथा अन्य पिछड़े हुए समुदायों की दयनीय दशा को समझने और वे सदियों से जो कष्ट भोग रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए कोई योजना बनाने में सरकार के कोई रुचि न लेने का खेद है।")

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret for the studied silence on the part of Government with regard to the welfare of labour which is the back bone of the Nation."

("किन्तु राष्ट्र के मूल आधार श्रमिकों के कल्याण के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जान बूझ कर साधी गई चुप्पी का खेद है।")

श्री रिशिंग किशिंग (बाह्य मणिपुर–रक्षित–अनुसूचित जन जातियां): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret to note that no mention what so-

[श्री रिशांग किशिंग]

ever was made about the people in Part C states who are subjected to all sorts of miseries on account of the absence of the democratic form of Government."

("किन्तु खेद है कि भाग ग राज्यों के लोगों का जिन्हे कि प्रजातन्त्रात्मक सरकार के न होने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ रहे हैं कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था।")

श्री एन० पी० दामोदरन (तेलिचेरी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regrets—

(1) that no assurance has been given and no time-limit fixed for the re-organisation of States on linguistic basis and for the early formation of linguistic States in areas where the people have expressed clearly in favour of a linguistic State ;

(2) that no reference has even been made about the condition of Indians in Ceylon much less of any steps to relieve the sufferings of our nationals there; and

(3) that no reference has also been made to the liquidation of foreign pockets still in existence on the Indian soil."

"किन्तु खेद है कि—

(१) जिन क्षेत्रों में वहां की जनता ने स्पष्ट रूप से भाषावार राज्य बनाने के पक्ष में अपनी सम्मति प्रकट कर दी है उन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन तथा भाषावार राज्यों को शीघ्र बनाने के लिये न तो कोई आश्वासन दिया गया है और न ही कोई अवधि निश्चित की गई है;

(२) श्री लंका में भारतीयों के कष्टों को दूर करने के लिये कोई पग उठाना तो दूर रहा वहां हमारे राष्ट्रजनों की अवस्था के सम्बन्ध में कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है ; और

(३) भारतीय भूमि पर अब भी विद्यमान विदेशी बस्तियों को समाप्त करने का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं।")

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address gives no indication of any contemplated steps to avoid the recurrence of famine

conditions and a complete dependence on the vagaries of monsoon."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के ऐसे किसी पग उठाने की सूचना नहीं दी गई है जिस से कि पुनः अकाल की सी अवस्था होने और मौनसून की वर्षा पर पूर्णतया निर्भर रहने से बचा जा सके।")

डा० जयसूर्य (मेदक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"but regret that the Address has failed to take notice of the fact that the country has been wrongly appraised of the workability of the Five Year Plan which has no definite conception as yet as to the machinery and means and methods of putting it into effective action."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि देश को पंचवर्षीय योजना की, जिसे कि प्रभावशाली ढंग से कार्य रूप में परिणत करने के लिये अभी तक व्यवस्था और साधनों तथा तरीकों का भी निश्चित रूप से विचार नहीं किया गया क्रियान्वितता के सम्बन्ध गलत बात बतलाई गई है।")

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address, while referring to the aims of a welfare state in which all people of the country are partners, sharing alike the benefits and obligation, does not indicate the concrete measures which the Government intend to take to reach this objective in a speedy and effective manner."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यद्यपि एक ऐसे लोक हितकारी राज्य के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिस में कि देश के सभी लोग लाभ तथा दायित्वों के समान रूप से भागीदार होंगे, किन्तु इस में उन ठोस उपायों को नहीं बतलाया गया जो कि सरकार शीघ्रता और प्रभावशाली ढंग से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये करना चाहती है।")

(३) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address discloses that the question of regrouping of the country on linguistic basis, its real purpose and nationality has not been appreciated in the proper manner."

[डा० जयसूर्य]

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण से यह प्रकट होता है कि देश के भाषाई आधार पर पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न, इस के वास्तविक उद्देश्य तथा औचित्य को ठीक ढंग से समझा नहीं गया है।")

श्री पी० सुब्बा राव (नौरंगपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address does not indicate any steps to be taken to put an end to the influx of refugees from East Bengal and stop the systematic of squeezing of Hindus from East Bengal."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के सामूहिक निष्क्रमण को बन्द करने तथा पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के योजना पूर्वक निष्कासन को रोकने के लिये उठाये जाने वाले कोई पग नहीं बतलाये गये हैं।")

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address does not indicate any definite steps to be undertaken to make Pakistan realise the harm that it is doing to India by its policy of squeezing out Hindus and make it change its policy for the better."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह नहीं बतलाया गया है कि पाकिस्तान को यह अनुभव कराने के लिये कि उसकी हिन्दुओं को पीड़ित करके निष्कासन की नीति से भारत को कितनी हानि पहुंच रही है और उसे इस नीति को बदल कर अच्छी नीति अपनाने के लिये बाधित करने के निमित्त कोई निश्चित पग उठाये जायेंगे।")

(३) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address does not mention anything about the growing unemployment of the educated middle classes and rural labourers."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षित मध्य वर्ग तथा ग्राम्य श्रमिकों में बढ़ती हुई बेकारी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।")

(४) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address does not hold out any hope for the reduction of the heavy taxation."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारी करों में कमी की कोई आशा नहीं दिलाई गई है।")

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विद्यालंकार अनुपस्थित।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret—

(a) that the Address has totally ignored the tense international situation and its possible repercussions on our defence policy;

(b) that the Address does not disclose any programme for modernising our defence forces by adopting new organisational trends which ensure economy while increasing efficiency, although the Union Government is spending more than fifty five per cent of its total general budget on the defence machinery;

(c) that the Address has overlooked the vast possibility of utilising the expenditure on defence, not merely for increasing our defence strength and striking power but also for all-round progress in socio-economic spheres;

(d) that the Address gives no information of concrete proposals for manufacturing India's defence, requirement within the country so as to avoid dependence on other countries and to save foreign exchange;

(e) that the Address has ignored the possibility of coordinating defence and civilian efforts especially in spheres of engineering, industries, education, Public health and food production;

(f) that the Address makes no mention of any provision under the Five Year Plan or otherwise for absorbing in the great nation building programme, the defence personnel who are working beyond schedule and whose rehabilitation has to be provided for;

(g) that the Address gives no indication of expanding the scope of the Territorial Army an making it a citizen force for national

[श्री यू० सी० पटनायक]

defence;

(h) that the Address has overlooked the importance of civil defence units and of semi-military civilian organisations which should be entitled to financial aid and training facilities from the Army, Navy and Air Force headquarters;

(i) that the Address does not envisage the co-ordination of Defence with other departments, especially with Labour mobilising India's vast man power for all-out national defence in emergencies and for all-round nation building activities in times of peace;

(j) that the Address has ignored the fact that without proper defence reorganisation it is not possible to rouse the enthusiasm of the nation either for defence or for development activities."

("किन्तु खेद है कि--

(क) अभिभाषण में गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा हमारी प्रतिरक्षा नीति पर इस की सम्भावित प्रतिक्रया की सर्वथा उपेक्षा की गई है ;

(ख) यद्यपि संघ सरकार अपने कुल सामान्य आय-व्ययक का पचपन प्रतिशत से भी अधिक प्रतिरक्षा व्यवस्था पर व्यय कर रही है, किन्तु तो भी अभिभाषण में मितव्ययता को करके कार्यकुशलता बढ़ाने वाले नये संगठन के तरीकों को अपनाकर अपने प्रतिरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिये कोई कार्यक्रम नहीं बताया गया है ;

(ग) अभिभाषण में प्रतिरक्षा के व्यय को न केवल अपनी प्रतिरक्षा की शक्ति तथा प्रहार की शक्ति को बढ़ाने के लिये, अपितु सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सर्वतोमुखी प्रगति के लिये भी प्रयोग में लाने की विशाल सम्भावनाओं की सर्वथा उपेक्षा की गई है;

(घ) अभिभाषण में भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को देश में ही पूरा करने के लिये जिससे कि अन्य देशों पर निर्भर न रहा जाये और विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके, निर्माणार्थ ठोस प्रस्तावों की ओर कोई संकेत नहीं किया गया है ;

(ङ) अभिभाषण में प्रतिरक्षा तथा असैनिक प्रयत्नों में विशेषतय इंजीनियरिंग उद्योग, शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन में समन्वय स्थापित करने की सम्भावना के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है ;

(च) अभिभाषण में पंचवर्षीय योजना के अधीन या अन्यथा सेना के उन कर्मचारियों को जो निश्चित समय से अधिक समय तक कार्य कर रहे हैं और जिन के पुनर्वास की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी राष्ट्र-निर्माण के बड़े बड़े कार्यों में खपाने की किसी व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ;

(छ) अभिभाषण में प्रादेशिक सेना के क्षेत्र को बढ़ाने और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये इसे एक नागरिक सेना बनाने के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं किया गया है ;

(ज) अभिभाषण में असैनिक प्रतिरक्षा एककों और अर्ध-सैनिक असैनिक संघटनों के महत्व की उपेक्षा की गई है

जिन्हें कि सेना, नौसेना और विमान बल के प्रधान कार्यालयों से वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण की सुविधायें मिलनी चाहियें ;

(झ) अभिभाषण में प्रतिरक्षा का अन्य विभागों से, विशेषतया संकटकाल में चारों ओर से राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये तथा शान्तिकाल में बहुमुखी राष्ट्र-निर्माण के कार्यों के लिये भारत की विशाल जन शक्ति को संगठित करने के लिये श्रम विभाग से समन्वय स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ; और

(ञ) अभिभाषण में इस बात की उपेक्षा की गई है कि प्रतिरक्षा के उचित पुनर्गठन के बिना प्रतिरक्षा के लिये अथवा विकास कार्यों के लिये राष्ट्र में उत्साह पैदा करना सम्भव नहीं है । ")

श्री तुषार चटर्जी (श्री रामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address fails to take note of the deplorable condition of the working class and other employees caused by problems like retrenchment, want of housing etc."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिक वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों की छंटनी गृहाभाव इत्यादि समस्याओं के कारण, होने वाली निन्दनीय अवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । ")

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address fails to take note of the deplorable condition of the refugees of West Bengal."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों की निन्दनीय अवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । ")

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address fails to refer to the problem of introduction of Legislative Assemblies in part C States, Tripura and Manipur."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भाग ग राज्यों, अर्थात्, त्रिपुरा और मनीपुर में विधान सभाओं को बनाने की समस्या का उल्लेख नहीं किया गया ।")

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address has failed to give any direction to the States to take early steps for the fixation of a ceiling regarding land-holdings and redistribution of surplus lands among the tillers of the soil."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को भूमि के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निश्चित करने और फालतू भूमि

[श्री एन० बी० चौधरी]

कृषकों में पुनः बांट देने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।")

डा० रामा राव (काकिनाडा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that no specific mention is made of the steps to be taken for the redistribution of all States of the Indian Union on linguistic lines."

("किन्तु खेद है कि भारत संघ के सभी राज्यों के भाषावार आधार पर पुनर्वितरण के लिये उठाये जाने वाले पगों के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।")

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that the Address fails to give any directives to the Governments of the States for taking early steps to implement the recommendations of the Planning Commission regarding the fixation of a ceiling on land-holdings and land distribution."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिधारियों के पास भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने और भूमि के वितरण के सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने के निमित राज्य सरकारों को कोई निदेश नहीं दिये गये हैं।")

(३) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret there is no categorical condemnation in the Address of the recent statements of the President of the United States Government which amounts to a declaration for the extension of armed conflict and aggression against a friendly nation, China."

("किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राज्य की सरकार के राष्ट्रपति के हाल के वक्तव्यों की, जो कि एक मित्र राष्ट्र, चीन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष तथा आक्रमण को बढ़ाने की घोषणा के समान हैं, स्पष्ट रूप से निन्दा नहीं की गई है।")

(४) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that no instructions have been issued for the recall of the ambulance unit from Korea, as a protest against the steps being taken by the United States Government for the extension of war on Asian soil."

("किन्तु खेद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा एशिया की भूमि पर युद्ध के विस्तार के लिये जो पग उठाये जा रहे हैं उन के विरुध विरोध प्रकट करने के लिये कोरिया से सैनिक चिकित्सा दल को वापस बुलाने के लिये कोई अनुदेश नहीं दिये गये हैं।")

(५) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"but regret that no directives has been issued to the Government for its withdrawal from the Commonwealth, in spite of the recial and colonial regimes carried on by the British Government in East Africa, Malaya and other countries."

("किन्तु खेद है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्वी अफ्रीका, मलाया तथा अन्य देशों में जातीय तथा औपनिवेशिक शासन के जारी रखने के बावजूद भी सरकार को राष्ट्रमंडल से अलग हो जाने के लिये कोई निदेश नहीं दिया गया है।")

(६) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that no notice has been taken of the collapse of industries growth of unemployment, decrease of purchasing power, spreading of famine, and such other aspects of the deteriorating economic condition in the country."

("किन्तु खेद है कि उद्योगों के बन्द हो जाने, बेकारी के बढ़ने, क्रय शक्ति के घटने, अकाल के फैलने और देश की बिगड़ती हुई आर्थिक अवस्था के इसी प्रकार के अन्य पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।")

(७) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but regret that no steps have been suggested for the revival of the collapsing handloom industry or to relieve unemployment and starvation among millions of handloom weavers."

("किन्तु खेद है कि नष्ट होते हुए हाथकरघा उद्योग को पुनरुज्जीवित करने अथवा लाखों हाथकरघा बुनकरों को बेकारी और भुखमरी से बचाने के लिये कोई उपाय नहीं सुझाये गये हैं।")

उपाध्यक्ष महोदय : अब मूल प्रस्ताव तथा अब तक प्रस्तुत हुए संशोधनों पर चर्चा होगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं आरम्भ में ही यह कह देना चाहता हूं राष्ट्रपति जी से उनके सलाहकारों ने ऐसे शब्द कहलवाये हैं जिन में देश की अवस्था का एक ऐसा चित्र खींचा गया है जिस का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभिभाषण में तेजी से सर्वतोमुखी सामान्य प्रगति का उल्लेख किया गया है जो कि बहुत विचित्र प्रतीत होता है। और यह वक्तव्य उस समय दिया जा रहा है जब कि हमारा देश अकाल, छंटनी और सामूहिक भुखमरी के चंगुल में फंसा हुआ है। खाद्य स्थिति में शनैः शनैः सुधार का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसे मैं सरकार का कानूनी छल कहे बिना नहीं रह सकता। मैं अपना भाषण राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विदेश नीति के सम्बन्ध में कही गई बातों तक ही सीमित रखूंगा।

इस सम्बन्ध में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केवल इतना ही कहा गया है कि आजकल की स्थिति के विषय में उन्हें

[एच० एन० मुकर्जी]

काफी आशंका और चिन्ता है। मुझे समझ नहीं आता कि जब देश की सारी जनता और विश्व के लोग हाल की कुछ घटनाओं के कारण युद्ध की आशंका से भयभीत हो रहे हैं, तो हम चुप क्यों हैं, क्योंकि हमारी स्वतन्त्रता तभी सार्थक हो सकती है यदि हम शान्ति के लिये संघर्ष करें। किन्तु अभिभाषण में इस युद्ध की पिपासा को शान्त करने से रोकने के लिये क्या पग उठाये जायेंगे इसका कोई भी ठोस सुझाव नहीं दिया गया है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में तथा मेरे पूर्ववक्ता द्वारा भी हमारे कोरिया सम्बन्धी प्रयत्न की बड़ी सराहना की गई है। मैं यह कहूंगा कि कोरिया में समझौता कराने के सम्बन्ध में हमने जो प्रस्ताव तैयार किया है उस से शान्ति होने की अपेक्षा युद्ध और लम्बा हो गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के फारमोसा की तटस्थता को समाप्त करने तथा चीन के लोक गणराज्य की नाकाबन्दी करने के वक्तव्यों से यह अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। हम देखते हैं कि अमेरिका सारे विश्व में एक नये ढंग का फासिज्म फैला रहा है और विश्व के लोगों की स्वतंत्रता और आत्मविकास की इच्छाओं को कुचलने का प्रयत्न कर रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने वार्षिक सन्देश में यह कहा था कि उनके प्रशासन में संयुक्त राज्य के परस्पर सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन अन्य राष्ट्रों को उतनी ही सहायता दी जायेगी जितनी सच्चाई से कि वे इस साझे कार्य में हिस्सा बटायेंगे। संयक्त राज्य के साम्राज्यवादियों के साझे कार्य हमें हिस्सा बटाना पड़ेगा। वे एशियाइयों को एशियाइयों के साथ लड़ाना चाहते हैं। वे सम्पूर्ण एशिया में युद्ध भड़काना चाहते हैं।

४ म० प०

हम कहते हैं कि हम कोरिया में युद्ध समाप्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरिका के राष्ट्रपति ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वे कोरिया में युद्ध को चलाना चाहते हैं, हिन्द-चीनी में स्थिति को और भड़काना चाहते हैं। उन्होंने मलाया के सम्बन्ध में ब्रिटिश पुछल्लों को सहायता देना स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अफ़्रीका में जो कुछ हो रहा है उसमें उन्हें रुचि है और मध्य पूर्व के प्रतिरक्षा सघटन में तो उन्हें रुचि है ही। प्रशान्त के सम्बन्ध में उनकी आंतसू (ए एन जैड यू एस) योजना है। भगवान जाने और कौन कौन सी योजनाएं उन्होंने बना रखी हैं। चाहे कुछ भी हो वे सब जगह युद्ध के कीटाणू फैला रह हैं और एशियाइयों के विरुद्ध एशियाइयों को लड़ाना चाहते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि अन्यथा साम्यवादी सारे विश्व पर छा जायेंगे।

हम कहते हैं कि हमने कोरिया में शान्ति करवाने का प्रयत्न किया है और हमें आशा थी कि हमें विश्व की वाह-वाही मिलेगी। परन्तु विश्व आप के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। कोरिया सम्बन्धी भारतीय प्रस्ताव में युद्ध बन्दी से पूर्व कोरियों और चीनियों से युद्ध-बन्दियों के सम्बन्ध में समझौता करने के लिये कहा गया है। भारतीय प्रस्ताव में ईडन और एचीसन का हाथ होने के कारण इसका सब ने समर्थन किया है, किन्तु इसमें चीन के दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखा गया।

मुझे स्मरण है गत सत्र में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम चीन की सहमति से कार्य करेंगे। किन्तु अब चीन द्वारा हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिये जाने पर भी हमने इसे संयुक्त राष्ट्रों की महासभा में प्रस्तुत किया और इसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में है क्या ? इसमें युद्ध बन्दियों के संबंध में १७ प्रस्ताव हैं। इनमें से किसी में भी युद्ध बंदी का उल्लेख नहीं है। इस की भूमिका के अंत में यह लिखा हुआ है कि यह संकल्प चीनी सरकार तथा उत्तरी कोरिया के अधिकारियों के पास करार के एक न्याय तथा युक्तियुक्त आधार के रुप में भेजा जायगा जिससे कि इसके परिणामस्वरुप तुरन्त युद्ध बन्दी हो सके— दूसरे शब्दों में हम ऐसी शर्तों पर युद्ध बन्दी करवाना चाहते हैं जिनके विषय में हमें पहले ही यह ज्ञात है कि वे चीन तथा उत्तरी कोरिया को पूर्णतया अस्वीकार्य हैं। यह युद्ध को लम्बा करने तथा चीनियों और कोरियनों पर दोष डालने का एक प्रयत्नमात्र है। हम अमरीकी तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिये शिखण्डी का काम कर रहे हैं।

इसकी तुलना में हमने रूस का वह प्रस्ताव नहीं माना जिसमें कि तुरन्त युद्धबन्दी के पश्चात युद्ध बन्दियों के प्रश्न को ११ राज्यों के एक आयोग को सौंपने का प्रस्ताव किया गया था। यह आयोग दो तिहाई बहुमत से अपने निश्चय करता। हमने इसे ठुकरा दिया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो भय और आशंकाएं प्रकट की गई हैं वे केवल तभी दूर हों सकती हैं यदि हम शान्ति मुक्ति और प्रगतिवादी उन शक्तियों के साथ सच्ची मित्रता स्थापित करें।

हमने ऐसा इसलिये किया था कि सम्भवतः अमेरिकन हमारी सहायता करें और काश्मीर के प्रश्न के सम्बन्ध में हम कुछ ढील दें, किन्तु हमें उसके बदले में मिला मध्य पूर्व प्रतिरक्षा संघ का प्रस्ताव। प्रधान मंत्री जी को भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के समक्ष यह कहना पड़ा कि शीतयुद्ध भारत में भी आ रहा। यह शीत युद्ध भारत में ला कौन रहा है ? यदि हम यह जानते हैं कि इस सब में किस का हाथ है, तो हम उसके विरुद्ध शान्ति और प्रगति की शक्तियों के साथ क्यों नहीं मिल जाते ? आप कहते हैं कि हम किसी गुट में नहीं हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि हम निश्चित रुप से और बड़े हीन तरीके से आंगल-अमरीकी गुट में मिले हुए हैं। हम यह भी जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल का हमारे साथ कैसा व्यवहार रहा है। हम यह जानते हैं कि ब्रिटेन की तो स्थिति ऐसी है कि उसे लगभग सभी बातों में अमरीका के पुछल्ले के समान व्यवहार करना पड़ता है। किन्तु हम ब्रिटिश सरकार को गोरखों की भर्ती के लिये यातायात की सुविधायें या अपने पदाधिकारी देकर उनकी सहायता क्यों करतें हैं ? हम अपने प्रधान मंत्री को जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति हैं, महारानी के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिये क्यों भेज रहे हैं ? ब्रिगडियर डब्लू० जी० इच० पाइक नामक कोरिया के युद्ध में भाग लेने वाले ब्रिटिश सैनिक अधिकारी को ८ नवम्बर १९५२ को सफदरजंग नई दिल्ली की भारतीय विमान बल की चलचित्र शाला में हमारे पदाधिकारियों के समक्ष भाषण क्यों देने दिया गया ? हमें समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ने को क्यों मिला कि दिसम्बर १९५२ के आरम्भ में

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

अमेरिकन सुपरफोर्ट्रेस संख्या ५४९२ जिसके कैप्टन कर्नल डेविस थे, भारतीय विमान बल के आगरा हवाई अड्डे पर उतरा और हवाई छाता प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य सामग्री के कतिपय फोटो चित्र लेकर उड़ गया ? हमें एसी बाते सुनने को क्यों मिलती हैं ? हमें इस प्रकार की सूचना क्यों मिलती है कि—यदि मैं गलत हूं तो प्रधान मंत्री जी बाद में मेरी गलती ठीक कर दें—अक्तूबर, १९५२ में दमदम के हवाई अड्डे पर ३२५० बार सैनिक विमान उतरे थे ? और इसमें से केवल २५ बार भारतीय विमान उतरे थे, जबकि अमेरिकन विमान बल के विमान लगभग १२०० बार उतरे थे ? ऐसी बातें क्यों होती हैं ? कोरिया युद्ध में भाग लेने वाला एक ब्रिटिश युद्ध-पोत कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और बम्बई के बन्दरगाहों पर क्यों गया था और वहां उनका खूब सेवा-सम्मान क्यों किया गया था ? राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के कारण हम दक्षिण अफ़्रीका में जो कुछ हो रहा है उसके विरुद्ध और पूर्वी अफ़्रीका तथा केरिया में होने वाले अवर्णनीय अत्याचारों के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से कुछ कह या कर क्यों नहीं सकते ? प्रधान मंत्री जी कहेंगे कि हम सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । किन्तु हम उनके विरुद्ध अपना विरोध तो प्रदर्शित कर सकते हैं मझे खद है कि आजकल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मामलों में जिस नीति परिवर्तन की आवश्यकता है उसकी ओर राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई संकेत नहीं किया गया है।

हम यह अनुभव करते हैं कि हमें सहायता के झांसे देकर संयुक्त राज्य अमरीका के हाथों की कठपुतली बनाया जा रहा है । हमें इसे तथा ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल की दासता को छोड़ना होगा । मैं प्रधान मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि राष्ट्र संघ में हमारा कोरिया में शान्ति कराने का प्रयत्न इसलिये असफल नहीं रहा क्योंकि थोड़े से राष्ट्रों ने इसका विरोध किया था, अपितु इसलिए कि हमने पहिली चीज़ पहले नहीं की थी । यदि हम पहले पूर्ण तथा तुरन्त शान्ति सन्धि की मांग रखते तो युद्ध बन्दियों का झगड़ा निश्चय ही तय हो जाता । अतः मैं प्रधान मंत्री से कहूंगा कि वे सदन को स्पष्ट बता दें कि वे इस प्रश्न को बिल्कुल नये सिरे से उठायेंगे या नहीं, जिससे कि इसका १९५२ के प्रयत्न से कोई सम्बन्ध न रहे यदि यह आश्वासन दिया गया तभी हम समझेंगे कि हमारी सरकार शांति के लिये कुछ कार्य कर रही है । हम सब युद्ध नहीं चाहते । आजकल शांति को और मलाया, हिन्द-चीनी, हिन्देशिया, ट्यूनिशिया, पूर्वी अफ़्रीका और दक्षिण अफ़्रीका के लोगों की स्वतंत्रता को अमरीकी साम्राज्यवादियों और उनके पुछल्लों ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से भय है और यदि हम उनसे बंधे रहेंगे तो स्थिति बिल्कुल काबू से बाहर हो जायगी अतः यदि हममें कुछ भी राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना शेष है तो हमें इस भद्दे बन्धन को छिन्न भिन्न कर देना चाहिये ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने जो दो एक बातें कही हैं उनका जहां तक मुझ ज्ञात है, तथ्य से कोई सम्बन्ध नहीं है और मैं यह

चाहता हूं कि माननीय सदस्य बाद में यहां या निजी रूप से मुझे यह बता दें कि उन्हें ये बातें कहां से पता लगी हैं, ताकि मैं इनके सम्बन्ध में पूछ ताछ कर सकूं। उन्होंने दमदम के हवाई अड्डे पर लगभग ३००० बमवर सैनिक विमानों के उतरने का उल्लेख किया है। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सदन में कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। सम्भवतः उन्हें दमदम के हवाई अड्डे से कोई गुप्त सूचना मिली है और मुझे यह जानने की बड़ी उत्सुकता है कि उन्हें यह सूचना कहां से मिली है जिससे कि मैं इस विषय में कुछ कार्यवाही कर सकूं।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपूर---दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने को खड़ा हुआ हूं जो श्री अग्रवाल जी ने उपस्थित किया है। जो भाषण अभी श्री हीरेन मुखर्जी का हुआ उस को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस भाषण में प्रधानतया हमारी वैदेशिक नीति की बुराई की गयी और यह कहा गया कि हम अमेरिका के शिखंडी हैं। जब मैं ने श्री हीरेन मुखर्जी के मुंह से महाभारत की बात सुनी तब मुझे कुछ और आश्चर्य हुआ। मैं तो समझता था कि वे अपने भाषण में महाभारत का दृष्टान्त न दे कर रूस की या चीन की किसी पुस्तक का दृष्टान्त देंगे। अब उन्होंने शिखंडी की बात कही तब शायद वह इस बात को भूल गये कि कोरिया के युद्ध को समाप्त करने के लिये जो प्रस्ताव हम ने रखा था उस प्रस्ताव का पहले अमेरिका विरोधी था। उन्होंने उस समय के अखबारों को पढ़ा होगा। मैं उस समय विदेशों में था और मैं ने उस समय के अखबारों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयत्न किया था। मैं श्री हीरेन मुखर्जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि सब से पहले हमारे कोरियन प्रस्ताव का विरोध अमेरिका की ओर से किया गया था। बाद में अमेरिका ने उस का समर्थन किया। श्री हीरेन मुखर्जी को यह बात भी स्मरण होगी कि उसी समय अखबारों में यह भी छपा था कि चीन उस के बहुत विरुद्ध नहीं है। चीन का इतना अधिक विरोध बाद में प्रदर्शित हुआ; पहले उस का प्रदर्शन नहीं हुआ था। श्री हीरेन मुखर्जी का भाषण सुन कर मझे तो वह कहावत याद आई जिस में कहा जाता है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। जब भी श्री हीरेन मुखर्जी और उन के साथी बोलते हैं तो जान पड़ता है जैसे रूस और चीन बोल रहा है। सदा कहा जाता है हमें अपना रास्ता जो कि हम ने आरम्भ से ही पकड़ा हुआ है, छोड़ देना चाहिये और हम रूस और चीन का अनुसरण करें। इसका अर्थ यह होगा कि हम हर बात में रूस का और चीन का समर्थन किया करें। हम ने अमरीका के सराहक हैं और न रूस और चीन के। हम न अमरीका की वैदेशिक नीति की सराहना करते हैं और न हम रूस और चीन की। हम दोनों गुटों में शामिल नहीं हैं। हम दोनों के समर्थक नहीं हैं। हमारी अपनी एक नीति है और मैं श्री हीरेन मुखर्जी से कहना चाहता हूं कि मैं ने इस नीति का समर्थन सारे देशों में पाया है। मैं ईजिप्ट गया, ग्रीस गया, इटली गया, स्विट्ज़रलैंड गया, फ्रांस गया, इंग्लैंड गया कनाडा गया, अमरीका गया, जापान गया और उस के बाद मैं चीन भी गया, और जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है मैं ने देखी कि चीन के निवासी भी हमारी विदेशी नीति की सराहना करते हैं। जब वे यह कहते हैं कि हमारी नीति अमरीका के और ब्रिटेन के अनुकूल जाती है तब वे शायद इस बात को भूल जाते हैं कि यदि अमरीका भी कोई गलत बात करता है तो हम अमरीका का भी विरोध करते हैं। मैं उस को स्मरण दिलाता हूं कि जब

[सेठ गोविन्द दास]

कोरिया में ३८वीं अक्षांश के पार करने का सवाल था तब हम ने अमेरीका का विरोध किया था। इसके अलावा मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि सुरक्षा परिषद् में चीन को लाये जाने के हम सब से बड़े समर्थक रहे हैं और अभी हाल में जो सुरक्षा परिषद् का अधिवेशन हुआ था उस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की नेत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने स्पष्ट कहा था कि सुदूरपूर्व के मसलों पर तब तक सच्चे ढंग से विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन को सुरक्षा परिषद् में नहीं लिया जाता। जिस बात को हम उचित समझते हैं अमरीका की उस में हम अमरीका का समर्थन करते हैं, जिस बात को हम उचित समझते हैं रूस की और चीन की उस में हम चीन और रूस का समर्थन करते हैं। पंडित जवाहरलाल जी की वैदेशिक नीति के कारण ही में आज सारे संसार में भारतवर्ष की एक महान् प्रतिष्ठा को देखा, भारत वर्ष के प्रति सद्भावना को देखा और भारत के प्रति मैत्री के उद्गारों को देखा। यह अलग बात है कि यदि कोई बात चीन के हितों के विरुद्ध जाती है या रूस के हितों के विरुद्ध जाती है तो रूस और चीन हमारी निन्दा करने लगते हैं और यदि कोई बात अमरीका के विरुद्ध जाती है तो अमरीका हमारी निन्दा करने लगता है। जैसा मैं ने अभी कहा कि जब कोरिया में ३८वीं अक्षांश को पार करने का सवाल आया और जब चीन को सुरक्षा परिषद् में लिये जान का सवाल आया तब अमरीका ने हमारी निन्दा की थी। आज कोरिया में युद्धबन्दी करने वाले हमारे प्रस्ताव की रूस और चीन निन्दा करते हैं। यह अलग बातें हैं। कोई भी जो स्वतंत्र वैदेशिक नीति होगी उस में यह बातें सदा ही होती रहेंगी पर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि इस वैदेशिक नीति के कारण ही आज समस्त संसार हमारा मित्र है। श्री हीरेन मुखर्जी ने कहा कि जब लड़ाई के बादल इतने ज़ोरों से मंडला रहे हैं तब भी हम विचलित नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। आज दुनिया में अगर कहीं पर लड़ाई का भय नहीं है तो वह भारतवर्ष में नहीं हैं। लड़ाई की खबरों से बाजारों में थोड़ी बहुत घटाबढ़ी हो जाया करती है इस के अलावा यह नहीं मालूम होता कि भारतवर्ष की सरकार या भारतवर्ष की जनता लड़ाई के कारण विक्षुब्ध है। भारतवर्ष में हमारी वैदेशिक नीति के कारण ही हमें शान्ति दिखाई देती है। आज हम को यहां वह भय नहीं दिखाई देता जो मैं सारे संसार में देख कर आया हूं तो श्री राष्ट्रपति जी के भाषण में वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया था और श्री हीरेन मुखर्जी ने उस के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उस विषय में मेरा यह निवेदन है।

देश की स्थिति के बारे में जो कुछ राष्ट्रपति जी ने कहा है वह भी ध्यान देने योग्य हैं। यह आशा नहीं की जा सकती कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी शीघ्र सुधर जायेगी। दो सौ वर्षों तक देश पर अंग्रेज़ी राज्य था और जब अंग्रेज़ यहां से गये तब इस देश को खंडहर के रूप में छोड़ कर गये। अतः यह नहीं सोचा जा सकता कि पांच वर्षों में कोई जादू हो जायेगा और देश की आर्थिक स्थिति एक दम सुधर जायेगी। लेकिन यह सभी स्वीकार करेंगे कि देश की आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी है। उत्पादन बढ़ा है, लोगों के कष्ट घटे हैं। पर यदि हम आंख खोल कर चीज़ों को न देखें और केवल हर बात में आलोचना करने पर कटिबद्ध हो जायें तो हमारा काम नहीं चल सकता। आज भारतवर्ष दुनिया के सब से गरीब देशों

में से एक है यह मैं स्वीकार करता हूं। किन्तु अगर यह माना जाये कि भारतवर्ष में कुछ नहीं हो रहा है, भारतवर्ष से अधिक गरीब और कोई देश नहीं है, और जो छोटे बड़े देश हमारे पड़ौस में हैं उन में बड़ी भारी तरक्की हो रही है, तो यह बात गलत है। इस मामले में चीन का दृष्टान्त बहुत दिया जाता है। यह कहा जाता है कि इन तीन वर्षों में जब से चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई है चीन स्वर्ग हो गया है। मैं अभी चीन हो कर आया हूं। चीन में बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं इस में सन्देह नहीं। चीन के प्रति हमारी सारी सद्भावनायें हैं, इस में भी किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये। हम चाहते हैं कि चीन तरक्की करे। लेकिन अगर यह कहा जाय कि चीन में गरीबी का अंत हो गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि चीन में यदि भारतवर्ष की जनता से अधिक नहीं तो उससे कम गरीबी भी नहीं है। मैं केंटन से ले कर पीकिंग तक रेल पर गया। चार दिन और चार रात जाते समय और चार दिन और चार रात आते समय मैंने रेल से ही यात्रा की। मैं ने रेल में से और रेल से उतर कर भी चीन को देखा। मैंने वहां के शहरों और कस्बों और गांवों को देखा। वहां की जनता की स्थिति आज भी, वहां पर बड़े बड़े प्रयोग होने पर भी, भारतवर्ष से अधिक अच्छी नहीं है। शंघाई के आस-पास मैं ने स्लम्स (गन्दी बस्तियां) मजदूरों की बस्तियां देखीं। दुनिया में शायद कहीं भी इतनी गंदी और घृणित बस्तियां नहीं हैं जैसी कि शंघाई में हैं। कोई भी आदमी जो यहां से चीन जाता है या रूस जाता है प्रशंसा के पुल बांध देता है कि चीन में यह हो गया है रूस में वह हो गया है। चीन के कुछ प्रोजेक्ट्स (परियोजनाओं) को भी मैं ने देखा। उन के सम्बन्ध में भी मैंने चर्चा सुनी और मेरी राय है कि हमारे यहां की जो निर्माण योजनायें हैं वे चीन से कहीं बड़ी हैं। हमारे यहां पर उन निर्माण योजनाओं का जिस तरह से काम चलाया जा रहा है, चीन से कहीं अधिक सुफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि चीन में एक बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है पर चीन में सब से बड़ी बात यह है कि वहां की जो कमियां हैं, वे हमारे सामने नहीं आतीं। यहां पर जिस तरह श्री हीरेन मुखर्जी आदि हमारी सरकार की निन्दा करते हैं, हमारे यहां के अखबार जिस तरह से सरकार के विरुद्ध लिखा करते हैं, क्या कोई सोच सकता है कि चीन में या रूस में ऐसी बात हो सकती है ? चीन या रूस में किसी सार्वजनिक सभा में सरकार की कोई आलोचना नहीं की जा सकती। केवल सार्वजनिक सभा में ही नहीं। चीन में मैं ने इतना आतंक देखा कि अगर दो आदमी बात करेंगे तो खुल कर बात करेंगे, लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी बैठा होगा तो खुल कर बात नहीं हो सकती क्योंकि उस ससय उन आदमियों को डर लगा रहता है कि कोई गवाह न हो जाय ! इसी प्रकार वहां के अखबार या तो सरकार के हैं या सरकार के द्वारा नियंत्रित हैं। तो चीन में या रूस में जहां कहीं उन देशों की कमजोरियां हैं वे दुनियां के सामने नहीं आ सकतीं, दुनियां के सामने वे आती ही नहीं इस से आप यह न समझें कि मैं चीन की या रूस की कोई बुराई कर रहा हूं। मेरा यह अभिप्राय नहीं है। वहां जो काम उन्होंने किया है बहुत बड़ा काम किया है। वहां एक बड़ा प्रयोग हो रहा है। लेकिन यह कहना कि हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, यहां नरक है और चीन तथा रूस में सब कुछ हो गया है, वे स्वर्ग हो गये हैं, मेरा मत ऐसे कथनों से नहीं मिलता। आज हमारा देश निर्धन है यह

[सेठ गोविन्द दास]

मैं स्वीकार करता हूं। यह सरकार भी नहीं कहती, सरकार के कोई समर्थक भी नहीं कहते, कांग्रेस भी नहीं कहती, कोई नहीं कहता कि हमारे यहां सब कुछ हो गया है। अगर सब कुछ हो जाता तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। पर इस में मुझे सन्देह नहीं है कि हमारे यहां भी बहुत बड़ा काम हुआ है और हो रहा है। जो लोग विदेशों से लौट कर आते हैं और वहां की प्रशंसा करते हैं उन से मेरा कथन है कि वे आंख खोल कर अपने देश में क्या हो रहा है उस की ओर भी ध्यान दें। यह तो देश भक्ति की बात नहीं है, कि हम सदा दूसरों की प्रशंसा और अपनी निन्दा किया करें राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इस सम्बन्ध में जो कहा है उसे मैं सर्वथा ठीक समझता हूं।

इसके बाद मुझे दक्षिण अफ़्रीका के सम्बन्ध में कुछ कहना है, क्योंकि उस देश से भी मेरा कुछ सम्बन्ध रहा है। दक्षिण अफ़्रीका में इस समय जो आन्दोलन है वह भारतीयों का आन्दोलन है, ऐसा नहीं मानना चाहिये। दक्षिण अफ़्रीका में इस आन्दोलन में जो लोग भाग ले रहे हैं वे लोग केवल भारतीय नहीं हैं। इन भाग लेने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्हें वहां पर रंगीन कहा जाता है, कलर्ड पीपुल (रंगीन लोग), साथ ही जो वहां के मूल निवासी हैं वे भी इस में शामिल हैं। जिस समय सन् १९३७-३८ में मैं अफ़्रीका गया था वहां पर इस प्रकार का सर्वदल मोरचा बनना आरम्भ हुआ था और आज मुझे इस बात पर बहुत हर्ष है कि अफ़्रीका में जो कुछ हो रहा है उस में ९० फ़ी सदी वे लोग भाग ले रहे हैं जो भारतीय नहीं हैं। जो लोग वहां पर सत्याग्रह करके जेल गये हैं उन में भी ९० फ़ी सदी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो भारतीय नहीं हैं, या तो वहां के मूल निवासी हैं या वहां के रंगीन लोग हैं। आज आप जहां कहीं भी जाइये किसी भी सभ्य देश में जाइये, किसी भी परिषद् में जाइये, सब जगह अफ़्रीका की चर्चा होती है। अभी जब कनाडा में कामनवैल्थ कानफ्रेंस हुई और मैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर गया तो वहां भी अफ़्रीका की चर्चा हुए बग़ैर नहीं रही। मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि आज सारे संसार का एक भी ऐसा सभ्य देश नहीं है जो अफ़्रीका की वर्तमान नीति का समर्थन करता हो अफ़्रीका के नेताओं में भी उसके विरोधी पैदा हो गये हैं। अफ़्रीका में केवल एक पंचमांश श्वेतांग लोग हैं, शेष लोग या तो वहां के रंगीन लोग हैं या मूल निवासी हैं। दो वर्ष पहले मैं न्यूज़ीलैंड गया था। न्यूज़ीलैंड में वहां की एक आदिमजाति रहती है। उस आदिम जाति के लोगों को मावरी कहते हैं। मावरियों की संख्या वहां पर सवा लाख या डेढ़ लाख है और श्वेतांगों की संख्या कोई १८ लाख है। मावरियों को भी इन श्वेतांगों ने पहले उसी प्रकार तंग किया जिस तरह अफ़्रीका में आज वहां के मूल निवासियों को किया जा रहा है। लेकिन मावरियों की इतनी कम संख्या रहने पर भी वे नहीं कुचले जा सके और अन्त में परिणाम यह निकला कि न्यूज़ीलैंड के श्वेतांगों को मावरियों को बराबर के अधिकार देने पड़े तो जब मावरियों की इतनी कम संख्या थी और इतने कम लोग भी श्वेतांगों से नहीं कुचले जा सके तो मेरी समझ में

यह बात नहीं आती कि अफ्रीका में, जहां पर केवल एक पंचमांश लोग श्वेतांग हैं, वहां अपने से चार गुने लोगों को हमेशा के लिये कुचल कर कैसे रख सकेंगे। अफ्रीका में इस समय जो कुछ हो रहा है, उस पर सारे संसार की दृष्टि लगी हुई है और आज या कल या परसों सत्याग्रहियों को नैतिक जीत होने वाली है। मुझे इस बात का विश्वास है कि यह जीत बहुत जल्दी होगी।

हमारे भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुझ थोड़ी सी बातें और निवेदन करनी हैं। मेरी दृष्टि से अगर हम वैदेशिक नीति की बात छोड़ दें, जिस का मैं ने सदा पूरा समर्थन किया है और जिस ने संसार में हमारे सम्मान को इतना ऊंचा उठाया है और जिस पर हम को आगे चलना है, तो इस समय जहां तक नव निर्माण का सम्बन्ध है, केवल दो बातों पर हम को सब से अधिक ध्यान देना है। एक तो हमारी आर्थिक उन्नति और दूसरी हमारी शिक्षा। जब तक हम इन दोनों बातों पर समान रूप मे ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा काम नहीं चल सकता। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा है कि इस में सन्देह नहीं कि इस ओर हम पूरा काम नहीं कर सके। आर्थिक उत्थान की योजनायें हमारे सामने हैं। उन्हें हम को कार्य रूप में परिणत करना है। लेकिन साथ ही शिक्षा के विषय पर भी हम को पूरा पूरा ध्यान देना होगा। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, शिक्षा में सब से बड़ा स्थान भाषा का है। जब तक इस भाषा के प्रश्न पर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक शिक्षा के प्रश्न को हम हल नहीं कर सकते।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन]

इस प्रस्ताव को रखने वाले महाशय ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था। बुनियादी शिक्षा पर जोर देना उचित बात है। लेकिन भाषा के प्रश्न को भी हमें हल करना होगा। आप इस बात को जानते हैं कि हम ने अपने संविधान में हिन्दी को राज्य-भाषा माना है और हम ने यह निश्चय किया है कि आगे के १५ वर्षों में हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेना है।

एक माननीय सदस्य : हिन्दुस्तानी।

सेठ गोविन्द दास : हिन्दुस्तानी नहीं, हिन्दी। उस में स्पष्ट कहा गया है हिन्दी हिन्दुस्तानी के झगड़े को आप कृपा कर न उठाइये, वह समाप्त हो गया है।

तो इन १५ वर्षों में से तीन वर्ष बीत चुके हैं, १२ वर्ष और बाकी हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम इस ओर बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार इस ओर हमारी प्रगति हो रही है, उसे देखते हुए इन १२ वर्षों में हम अपने उद्देश्य में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं। उन से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है शिक्षा का प्रश्न भाषा से बिल्कुल गुथा हुआ है और शिक्षा के प्रश्न को हम तब तक पूर्ण रूप से हल नहीं कर सकते जब तक कि हिन्दी को उस का उचित स्थान नहीं देते यदि इस देश में इतने लोग अपढ़ हो गये सौ में से नव्वे आदमी आज अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो इसका प्रधान कारण क्या है? इस का प्रधान कारण शिक्षा की वैदेशिक नीति है। अंग्रेजों ने यहां आकर अंग्रेजी को हमारे ऊपर लादना चाहा। अंग्रेजी के लादने का यह नतीजा निकला, उस की शिक्षा का माध्यम होन

[सेठ गोविन्द दास]

का यह नतीजा निकला कि हम सौ में से नव्वे अपढ़ हो गये और अगर हम अंग्रेजी को अभी भी उसी दृष्टि से देखना चाहते हैं जिस दृष्टि से हम उस को पराधीनता के युग में देखते आय हैं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब तक सुनाई देता है कि उच्च शिक्षा का माध्यय अंग्रेजी रहना चाहिये अभी भी यहां वहां सुनाई पड़ता है कि अंग्रेजी को हटाने का अर्थ होगा इस देश को अशिक्षा में डालना, गर्त में डालना। मैं ने दुनिया में कहीं कोई ऐसा देश नहीं देखा जिस में किसी विदेशी भाषा का ऐसा प्रभुत्व हो जैसा कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का है। जहां तक वैज्ञानिक शब्दावली का सवाल है, मेरा मत उस सम्बन्ध में इस दौरे के पहले स्पष्ट नहीं था, लेकिन मैं ने चीन, जापान और दूसरे देशों में देखा कि किसी भी देश की वैज्ञानिक शब्दावली किसी विदेशी भाषा की नहीं है। अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा मानना यह कहना कि वह सब जगह समझी जाती है, गलत बात है। अंग्रेजी इंगलिस्तान और अमरीका की भाषा है। दूसरी जगह भी उससे थोड़ा बहुत काम चल सकता है लेकिन अंग्रेजी की वैज्ञानिक शब्दावली न चीन में है और न जापान में है। इसलिये इस वैज्ञानिक शब्दावली के झगड़े को भी हमें मिटाना होगा जब तक हम वैज्ञानिक शब्दावली के झगड़े को नहीं मिटा देंगे तब तक हम भाषा के प्रश्न को हल नहीं कर सकेंगे और जब तक हम भाषा के प्रश्न को पूर्णरूप से हल नहीं करेंगे तब तक जो एक बड़ा भारी काम हमें इस देश को शिक्षित करना है वह काम पूरा नहीं होगा।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जहां तक हमारे भावी कार्यक्रम का सम्बन्ध है हमारी वैदेशिक नीति पूर्णतः ठीक नीति है और हमें उसका समर्थन करना है, अगर आगे कोई लड़ाई भी आये तो उस लड़ाई में हम को शामिल नहीं होना है। जहां तक हमारे आर्थिक प्रश्नों का सम्बन्ध है पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। मैं पंचवर्षीय योजना का बड़ा भारी समर्थक हूं, उस सम्बन्ध में हम को एक जोश पैदा करना है, एक उत्साह पैदा करना है। मैं ने इस जोश और उत्साह को चीन में देखा। चीन में चाहे अभी उन्हें बहुत कुछ हासिल न हुआ हो, लेकिन चीन में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पश्चिम से पूर्व तक और उत्तर से दक्षिण तक सारे देश में एक जोश है, एक स्फूर्ति है और कार्य करने की लगन है। मैं देखता हूं कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद हम ने वह जोश, स्फूर्ति और लगन खो दी है। हमें इस पंचवर्षीय योजना को पूरे उत्साह और जोश के साथ कार्यरूप में परिणत करना है। कोई सरकार किसी योजना को तब तक कार्यरूप में परिणत नहीं कर सकती जब तक जनता का उस योजना के साथ पूरा पूरा सहयोग न हो। इसलिये हम को हर प्रान्त में हर जिले में, हर कस्बे में और हर गांव में उस पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में एक स्फूर्ति पैदा करनी है, जोश पैदा करना है। मैं दूसरे दलों से कहता हूं कि जहां तक देश के आर्थिक उत्थान का सवाल है उनको राजनीति से अलग रख कर कम से कम देश के आर्थिक उत्थान के मामले में, इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में उन्हें सरकार का साथ देना चाहिये। हमें इस पंचवर्षीय योजना को जल्द से जल्द कार्यरूप में परिणत करना है। इस काम को हमें अगले पांच नहीं चार वर्षों में पूरा करके दिखाना है। मैं हीरेन मुखर्जी से कहना चाहता हूं कि वह इस

बात के लिये भयभीत न हों कि हम किसी प्रकार की शर्तों को मान कर किसी देश के सामने अपना मस्तक झुका कर अथवा किसी देश के किसी गुट में शामिल हो कर किसी सहायता को स्वीकार करने वाले हैं। अमरीका, रूस अथवा कोई भी देश क्यों न हो, अगर वह कोई सहायता हम को किन्हीं शर्तों के साथ देता है तो हम उस सहायता को स्वीकार नहीं करेंगे । परन्तु अगर वह सहायता बिना किसी शर्त के आती है, तो हम उस का स्वागत करते हैं और आवाहन करते हैं । हालांकि वह सहायता दाल में नमक के बराबर भी होने वाली नहीं है । बीस अरब रुपया हम इस देश में अपनी इस पंचवर्षीय योजना में खर्च करने वाले हैं । अतः जो सहायता हम को अमरीका, रूस अथवा चीन आदि देशों से मिलने वाली है, वह नहीं के बराबर होगी । हमें जैसे भी हो इस पंचवर्षीय योजना को कार्य रूप में परिणत करना है और शिक्षा के प्रश्न को, जैसा कि मैं ने अभी निवेदन किया, हमें हल करना है जिस का भाषा से बहुत बड़ा सम्बन्ध है । मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : मुझ साम्यवादी दल के उपनेता की यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ कि हमारी सरकार किसी गुट विशेष में सम्मिलित है । जब हमारे पूज्य प्रधान मंत्री जी विश्व की सब से बड़ी सभाओं में यह कहते थे कि चीन की जनवादी सरकार को मान्यता दी जानी चाहिये, तो उन की बड़ी प्रशंसा की जाती थी, किन्तु अब जब उन्होंने कोरिया की जटिल समस्या का हल प्रस्तुत किया है, जोकि उन की इच्छानुसार नहीं है, तो उन की उन सब बातों को भुला दिया गया । मेरा सब दलों से यही अनुरोध है कि वे एक हो कर इस सरकार का समर्थन करें जिस से कि हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बने और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े और लोग हमारी बात सुनें ।

राष्ट्रपति जी के भाषण में दक्षिण अफ़्रीका के भारतीयों की दुःखद स्थिति पर खेद प्रकट किया गया है । किन्तु श्रीलंका में भारतीयों की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है । श्रीलंका में भारतीयों की स्थिति बड़ी विचित्र है । अन्य स्थानों में तो भारतीय विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु श्रीलंका में उन के पहिले अधिकार भी छिनते जा रहे हैं । उन की दशा बड़ी दयनीय है । यह समस्या देश को शक्तिशाली बनाने से ही हल हो सकती है ।

आन्ध्र की स्थिति को ध्यान में रखते इस शीघ्र ही बना देना अच्छा है । मुझे आशा है कि इस सत्र में आन्ध्र प्रान्त बनाने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

हमारी पंचवर्षीय योजना देश की शक्ति और साधनों को बढ़ाने के लिए एक बड़ा पग उठाया गया है । किन्तु यह योजना तभी सफल हो सकती है जब इस में जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हो । प्रत्येक पुरुष और स्त्री को यह समझना चाहिये कि उस का भी योजना के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है ।

हमारा देश निर्धन है हमारे पास प्राकृतिक साधन अधिक नहीं हैं । किन्तु हमारे मानवीय साधन विशाल हैं । हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को काम चाहिये । हमारे पास धन नहीं है तो श्रम तो है जिस से कि धन पैदा होता है । हमारे प्राचीन आश्चर्यजनक मन्दिर और भवन इस श्रम की ही तो देन है । इस से हम बड़ी अद्भुत चीजें बना सकते हैं अतः हमें इस से पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये

[श्री टी० ए० ए० चेट्टियार]

हमारी क्रम शक्ति बहुत कम है। हमारी कर देने की शक्ति भी बहुत कम है। किन्तु हमारे पर श्रम का तो अक्षय भण्डार है। हमें श्रम कर लेना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों या स्थानीय ऋणों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिये। यदि हम इस श्रम दान का पूरा पूरा लाभ उठायें तो देश में पाठशालायें, सड़कें और पुल इत्यादि बना कर हमारी ग्रामीण जनता देश को एक नया रूप दे सकती है और यही इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में शिक्षा के निम्न स्तर तथा सीमित होने का उल्लेख किया है। इस के लिये अनिवार्य श्रमदान का उपाय सब से अधिक उपयोगी रहेगा। जब कि गत कुछ वर्षों में कालेज तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, प्रारम्भिक शिक्षा में विशेष उन्नति नहीं हुई। अतः हमें सरकारी नौकरी में प्रविष्ट होने वालों के लिये यह शर्त रख देनी चाहिये कि उन्हें नौकरी में लेने से पूर्व एक वर्ष तक अनिवार्य रूप से पढ़ाने का कार्य करना होगा। यह समस्या तभी हल हो सकेगी।

हम इस समय जो योजनायें बनायेंगे और कार्यान्वित करेंगे उन्हीं पर इस देश का भविष्य निर्भर है। अतः हमें आन्तरिक और वाह्य ऋणों पर अधिक निर्भर नहीं करना चाहिये, अपितु अपने लोगों पर भरोसा करना चाहिये। हमें अपने लोगों को एक महान् भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित करना चाहिये तभी हमारी ये योजनाएं हमारी इच्छानुसार पूरी हो सकती हैं।

सदन के अधिकांश सदस्यों ने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया है। उस समय हम देश के महान् भविष्य के स्वप्न लेते थे। हम यह स्वप्न लेते थे कि भारत विश्व का एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण देश बने और देश के बच्चे विश्व के सब से उत्तम युवक और युवतियां बनें। यदि हमें उन स्वप्नों को पूरा करना है तो इन उपायों का प्रयोग करना होगा जिस से कि यह पंचवर्षीय योजना प्रभावशील ढंग से क्रियान्वित हो सके और हमारा देश हमारे लिये गर्व और गौरव का विषय बन सके।

५ म० प०

श्री गिडवानी (थाना) : मैं ने जो संशोधन पेश किया है वह इस तरह से है :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

> "but regret that the Address has ignored the refugee problem, which is one of the major problems that has yet to be solved satisfactorily."

इस का अनुवाद इस तरह से होता है : खेद है कि राष्ट्रपति के भाषण में जो निर्वासितों की समस्या थी, और वह आज भी देश के लिये बड़ी समस्या है, उस का पूरी रीति से समाधान नहीं हुआ है।

अब मैं कुछ बातें इस समस्या के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे क्योंकि मैं कहता हूं कि इस समस्या का पूरे तौर पर समाधान नहीं हुआ है और सरकार कहती है कि हो गया है। इसी कारण इस साल भी, और मुझे मालूम हुआ है कि

पिछले दो वर्षों में भी जो राष्ट्रपति जी ने भाषण दिये थे उन में भी इस समस्या का कोई जिक्र नहीं किया गया था। इस से यह अनुमान होता है कि हमारी सरकार समझ बैठी है कि समाधान हो गया है। आप को समझना चाहिये कि इस देश में इन निर्वासित लोगों की, इन अभागे लोगों की तादाद कोई ८० या ९० लाख है। पचास लाख के करीब तो पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं और पिछली जनगणना के मुताबिक २५ लाख के करीब पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं। इस के पश्चात् भी और तादाद उन की बढ़ गई और अब कोई चालीस लाख के करीब हो गये हैं। तो चालीस और पचास लाख कोई ९० या ८५ लाख इन्सानों की यह समस्या है और उस के समाधान के लिये जितना रुपया चाहिये, जितना परिश्रम चाहिये, जितनी मेहनत चाहिये, जितनी योजना चाहिये वह पूरी नहीं हुई है। चाहे हमारे मंत्री या दूसरे सज्जन यह कहें कि ९० फी सदी तो बस गये हैं, लेकिन उन की हक़ीक़त मालूम है और जो पूरी अवस्था से परिचित हैं वे इस बात से क़तई इन्कार करेंगे। हमारी सरकार ने इस समस्या के लिये जो रुपया खर्च किया है वह तो देखने में एक बहुत बड़ी रकम मालूम होती है। वह रकम १४६ करोड़ ३० लाख है लेकिन अगर आप उस की तफ़सील में जायेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि निर्वासितों को बसाने के लिये सही मानों में जो रुपया खर्च किया गया है वह उस के आधे के करीब है इस में से ७३ लाख रुपया तो एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) पर खर्च किया गया है। ६६ करोड़ ग्रान्ट्स रिलीफ (सहायता अनुदानों) के लिये खर्च किया गया है और बाक़ी रिहैबिलिटेशन के दो आइटम्स (मदों) पर खर्च किया गया है। क़रजा जो कि लोगों को बसाने के लिये दिया गया है वह ३३ करोड़ ४१ लाख है और मकानों के लिये ४५ करोड़ ८६ लाख है। तो यह मिल कर क़रीब ८० करोड़ होता है। तो ८० करोड़ रुपया ८० या ९० लाख इन्सानों के लिये पांच वर्ष में खर्च हुआ है। इस बारे में जो मैं पहली बात आप और गवर्नमेंट को बतलाना चाहता हूं वह यह है कि बार बार कहा जाता है कि हम ने १४६ करोड़ रुपया खर्च किया है तो यह किस तरह से खर्च हुआ है। इस में से ८० करोड़ रुपया तो कैपीटल इनवैस्टमेंट (पूंजी विनियोग) है। जो मकान बनाये गये हैं वे मुफ्त नहीं दिये गये हैं। उन मकानों का किराया लगाया गया है और वह किराया भी उस तरह से जिस तरह से कि मकान बनाने वाले लगाते हैं। अपना ब्याज लगा कर डेवेलपमेंट चार्जेज (विकास व्यय) लगा कर और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज लगा कर उस का किराया लगाया गया है। इस के सिवा मकानों का किराया इतना हो गया है कि आज आप किसी भी कालोनी में जाइये और तहक़ीक़ात कीजिये तो आपको मालूम होगा कि कई जगहों में निर्वासित लोग किराया अदा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी बहुत चर्चा हुई, बहुत आन्दोलन हुआ, हम ने बहुत खटपट की, तब बड़ी मेहनत के बाद हमारी सरकार ने मेहरबानी करके दस फ़ी सदी किराया कम करने की रियायत करने का फ़ैसला किया है। इस से यह मतलब नहीं है कि जो किसी को अदा करना है उस में से दस फ़ी सदी कम किया जायगा लेकिन इस का मतलब यह है कि जिस कालोनी से एक हजार किराया लेना है तो सौ रुपया छोड़ दिया जायेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यह

[श्री गिडवानी]

नामुमकिन है कि बहुत से लोग इतना किराया अदा कर सकें। बम्बई में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जहां पर भी ये कालोनीज़ बनाई गई हैं वहां निर्वासित लोग अपना किराया नहीं अदा कर पा रहे हैं। तो इस के लिये हमारी सरकार ने क्या ऐलान किया? आप सुन कर हैरान होंगे कि बम्बई सरकार ने एक लैजिस्लेशन (विधान) बनाया है जो डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन (भेद-भाव का विधान) है। मामूली क़ानून के मुताबिक़ अगर कोई मकान का किराया अदा नहीं करता तो उस के ख़िलाफ़ सिविल सूट (असैनिक व्यवहार) करना होता है। लेकिन बम्बई सरकार के कानून के मुताबिक़ अगर कोई किराया अदा न कर सके तो उसे फौरन घर से निकाल दो और किराये की अदायगी एरियर्स आफ़ लेंड रेवेन्यू (भूमि राजस्व का शेषांश) की तरह से हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों के सामान की कुर्की हो जाती है। बावजूद इस बात के भी अभी कई जगहों में किराया वसूल नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार उदारता दिखाये। आप इन की दिक्क़तों को दिखिये। एक आदमी जो रावलपिण्डी से आता है और जबलपुर में बसाया जाता है। वहां जा कर उस ने दुकान ली, मकान लिया, और सरकार समझती है कि वह फौरन ही रुपया अदा कर सकता है। यह मेरी समझ में नहीं आता। तो पहली चीज़ तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार मकानों का किराया और कम करे। इस बारेमें तमाम रिफ़्यूजी कान्फ़्रेंसों की और ऐसोसियेशनों की मांग है कि निर्वासितों को एस जबरदस्ती से बचाया जाय और उन को बेघर न किया जाय और किराये के सवाल को उनकी आर्थिक स्थिति का ख्याल रख कर उदारता से देखा जाये इस के साथ ही दूसरा सवाल आता है। वह यह है कि आप यह सुनकर हैरान होंगे, इन किरायों की अदायगी के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रान्तीय सरकारों के पास यह हिदायत भेजी गई है कि अगर कोई आदमी अपना किराया अदा नहीं कर सकता है तो अगर उस के पास किसी दुकान का लाइसेंस है या कोई और चीज़ की सुविधा है तो उस को बन्द किया जाय जब तक कि वह किराया अदा न करे। कल ही मेरे पास ख़बर आई है, मेरे पास तो रोजना ख़बरें आती हैं कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपने घरों की चीज़ें बेच कर और किसी भी तरह से मजबूर हो कर किराया अदा करें। हमारे यहां ये बातें हो रही हैं और हम वैल्फेयर स्टेट (लोक हितकारी राज्य) स्थापित करते हैं। हमारे ६ लाख निर्वासित भाई दिल्ली में रहते हैं। मैं नहीं समझता कि उन कांग्रेसी भाइयों ने, जो कि बाहर से आते हैं उन को जाकर देखा है। जो कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं उन को मेरे दोस्त लाला अचिन्त राम जी ले जाते हैं। और वह अपनी आंखों से उन की हालत दिखाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। हमारी सरकार अगर कोई कानून बना देती है तो उस में तब्दीली करना बड़ी आफ़त समझी जाती है। आज जो लोग कालोनीज में रहते हैं उन को कितनी मुसीबत में डाला गया है। ये कालोनीज शहर से दूर बनायी गई हैं जैसे कालका जी और लाजपत नगर। क्या दिल्ली के नज़दीक कोई मकान नहीं थे जहां उन को रखा जा सकता? मकानों को दो और तीन मंजिल का बना दिया जाता तो वे वहां रह सकते थे। अब वे इतनी दूर से रोज शहर कैसे आयेंगे? एक एक आदमी को

ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा करना पड़ता है। एक एक आदमी, जो शहर में आता है, एक एक रुपया खर्च करता है और अगर किसी घर से दो आदमी आते हैं तो डेढ़ रुपया खर्च हो जाता है। वे इतना खर्च करके रोज शहर जायें और अपने कुटुम्ब की परवरिश करें और फिर सरकार का किराया दें यह नामुमकिन है। चाहे उन को सताओ चाहे उन के ऊपर अत्याचार करो लेकिन इस की वसूली होने वाली नहीं है। अब सरकार ही बताये वे किराया दें कहां से ?

दूसरा हिस्सा सरकारी मदद का वह है जिस को क़र्जा कहा जाता है। एक दफ़ा मैं श्री जवाहरलाल जी से मिला और उन से कहा कि आप ने किस तरह से क़र्जा दिया है। मैं पश्चिमी पाकिस्तान की बात करता हूं क्योंकि वहां की बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं।

एक लाख छयासी हजार निर्वासितों को नौ करोड़ रुपया तो स्माल लोन्स (छोटे छोटे ऋणों) में दिया गया है, जिसको छोटा क़र्जा कहते हैं। ५० रुपये से लेकर ५ हजार रुपये तक दिये गये हैं। इस राम-राज्य में आप सुन कर हैरान होंगे कि एक कुनबे को ५० रुपये दिये गये हैं और उस से आप समझते हैं कि वह बच जायें और वह आप को तीन फ़ी सदी ब्याज के साथ वापस कर दें। मैं ने पंडित जी से कहा कि मुझे बताइये कि एक आदमी जो लाहौर से आया और वह आ कर दिल्ली में बैठा तो उस को आप क्या देते हैं। औसत आती है ७०० रुपये की। इस का मतलब यह हुआ कि किसी को २०० मिले, किसी को ४०० मिले, किसी को ५०० मिले, किसी को ६०० मिले। उस रुपये से उस को अपने कुनबे की, जिसमें ५ आदमी होते हैं, परवरिश करनी है। उस में से वह दुकान का किराया भी देगा, मकान का किराया भी देगा और तीन वर्ष के बाद वह उस क़र्जे की तीसरी क़िस्त भी देगा और तीन फ़ी सदी सूद भी देगा। तो वह तो कोई मिरैकल (अचम्भा) ही होगा अगर वह इस तरह दे सके। इसलिये इस का नतीजा यह हुआ कि साल ब साल वह मुल्तवी होता रहा। लेकिन अब कुर्की होती है और वह कुर्की भी इस तरह से नहीं होती है कि जैसे मामूली क़र्जे की होती है। उस की कुर्की जैसे लैन्ड रैवैन्यू के एरियर्स की कुर्की होती है वैसे होती है।

तो अब मैं फ़ायनेन्स मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि मेरी हिन्दी भाषा वह समझ जायेंगे। मैं हिन्दी भाषा बोलते हुए महाराष्ट्री प्रान्त में जीत गया और मेरे वोटरों ने मेरी बात समझ ली और मैं जो हिन्दी आज बोलता हूं वही महाराष्ट्र के गांव में बोलता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि रीहैबोलिटेशन फ़ायनेन्स एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक कोई ९ करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। परन्तु लोगों को मिले हैं सिर्फ़ ५ करोड़। इस में इतने बन्धन हैं कि उन का जिक्र करूं तो बड़ी कहानी बन जाये। ये लोन्स भी आठ नौ हजार फ़ैमिलीज़ को मिले हैं। इस से आप अन्दाजा लगायें तो क़रीब ७ हजार रुपया होता है और वह सात हजार भी दो क़िस्तों में मिलता है और उस पर ६ फ़ीसदी सूद लिया जाता है। फिर अठारह महीने के बाद पहली क़िस्त और कुल सूद देना पड़ता है। अब समझिये-कि- एक आदमी दिल्ली में दुकान खोलता है, या कलकत्ता में दुकान खोलता है, या बम्बई में दुकान खोलता है। मैं आप से पूछता हूं कि जो बम्बई

[श्री गिडवानी]

में दुकान खोलता है, और ये बड़े लोन्स समझे जाते हैं, जिन को बिजिनैस लोन्स (व्यापारिक ऋण) और इंडस्ट्रियल लोन्स (औद्योगिक ऋण) कहा जाता है, तो वह आदमी बम्बई जैसे शहर में दुकान खोलेगा तो उस को ७ हजार रुपये मिलेंगे । उस से वह दुकान का किराया देगा, मकान का किराया देगा, इंश्योरैंस चार्जेज (बीमा व्यय) देगा और बाक़ी जो पांच छः हजार रुपये बचेंगे उन से इतना कमा लेगा कि आप को १८ महीने के बाद उस क़र्ज़े की पहली क़िस्त दे देगा, यह कोई अचम्भे की ही बात हो सकती है। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ है कि ५० फ़ी सदी लोग नहीं दे सके हैं ।

इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सूद को कम किया जाये। एक बिल इस मामले में आने वाला है । इस सम्बन्ध में मैं वहां कहूंगा। इन दो बातों से आप अन्दाज़ा लगाइये कि किस तरह से इस समस्या का समाधान हुआ है । इसलिये ज़रूरी है कि फ़ौरन ही सरकार एक कमेटी मुक़र्रर करे। मेरा दावा है कि वह कमेटी अगर कोई इंडिपैंडैंट और सच्चे दिल वाली कमेटी मुक़र्रर हो जायेगी तो आप को सही हालत मालूम हो जायेगी। आप को मालूम पड़ जायेगा कि कहां तक ये लोग मुसीबत में हैं और कितने बड़े ख़तरे की बात है। मैं कोई धमकी नहीं देना चाहता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि देश बड़ी अच्छी हालत में है, शान्ति है, निर्वासित लोग बस गये हैं तो आप ग़लती में हैं। वे भी इन्सान हैं जो वर्षों से मुसीबत में हैं। पांच या साढ़े पांच वर्ष गुज़र चुके हैं। आज कइयों की पहले से भी बदतर हालत है, क्योंकि उन के पास जो कुछ था वह वे खा चुके हैं। इसलिये मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि वह यह न समझे कि यह समस्या हल हो गई है। मैं नहीं चाहता कि इस देश में कोई तूफ़ान आ जाये, लेकिन अगर कोई तूफ़ान आ जाता है तो उस का नतीजा क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने जैसे और कमीशन और कमेटियां बनाई हैं, उसी तरह ऐसी कमेटी और बनावे, इस से वह क्यों डरती है । हमारे तमाम एसोसियेशन्स (संघ) और आरगेनाइज़ेशन्स (संघठन) मांग करते हैं कि एक कमीशन बनाया जाये । हम क़र्ज़ा भी देंगे, हम मेहनत करके देंगे, लेकिन आप पहले हमारी हालत को देखिये। आल इंडिया रिफ़्यूजीज़ कान्फ़्रेंस और जितनी निर्वासितों की कान्फ़्रेंसें होती हैं उन में यह अहम दूसरा सवाल है । वह सवाल हमारे पाकिस्तान में छोड़ी हुई जायदादों के मुआवज़े का सवाल है, कम्पैन्सेशन (क्षतिपूर्ति) का सवाल है। उस को आप जल्द हल करिये । उस के सम्बन्ध में भी मैं फ़ायनेन्स मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर श्री अजित प्रसाद जैन ने अपने इलैक्शन के ज़माने में तक़रीरें केवल इस बारे में नहीं कीं। लेकिन यह स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी आयंगार ने एश्योरेंस दिया था, एक बार खुली कान्फ़्रेंस में और उस के बाद प्राइवेट कान्फ़्रेंस में, जिस में, मैं बख्शी टेकचन्द और लाला जसपतराय कपूर और सारी गवर्नमेंट की मशीनरी मौजूद थी कि आप को हम कम्पैन्सेशन देंगे ।

जो दूसरी कान्फ़्रेंस हुई थी उस में श्री आयंगार ने कहा था —

"There will be three sources, from which the compensation will be paid, from sale of evacuee

property in India, from the difference between the values of evacuees properties in India and Pakistan we get from Pakistan—and we told him that it will be zero --and then he said that we shall also pay a substantial amount from the Government of India resources which shall not dissatisfy the displaced persons."

(तीन स्रोतों से क्षतिपूर्ति की जायेगी, भारत में स्थित निर्वासित सम्पत्ति के विक्रय से, भारत और पाकिस्तान की निर्वासित सम्पत्तियों के मूल्य में जो अन्तर होगा उस में से हमें जो पाकिस्तान से प्राप्त होगा--और हम ने उन्हें यह कह दिया था कि यह शून्य होगा--और तब उन्होंने कहा था कि हम भारत सरकार के स्रोतों से भी पर्याप्त राशि देंगे जिस से विस्थापित व्यक्ति असन्तुष्ट नहीं होंगे ।)

आप देखिये। यह गवर्नमेंट की कमिटमेंट (वचन) हैं। गवर्नमेंट ने इस कम्पैनसेशन के बारे में एक्ट बनाया और इस काम पर कोई ९० लाख रुपया खर्च हो गया है, बड़ा भारी क्लेम्स डिपार्टमेंट रखा गया है। क्लेम्स आफ़िसर्स रखे गये हैं और क्लेम्स असैस (मूल्यांकन) हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि अगर आप इन लोगों को बचाना चाहते हैं तो जल्द दे दिया जाये। यह न समझिये कि यह कोई बड़े सरमायेदार हैं। हम ने जो स्लाइडिंग स्केल (क्रमशः घटाने का क्रम) बनाया है उस में कोई बहुत बड़ी रक़म नहीं मिलने वाली है। एक आदमी का अगर तीन करोड़ का क्लेम्स है तो हमारी टकचन्द कमेटी ने कह दिया है कि किसी को भी पांच लाख से ज़्यादा न दो। उस को कम करो और जो नीचे ग़रीब लोग हैं उन को ज़्यादा दो लेकिन इस में आप कोई देरी न कीजिये। हमारा जो सब्र का वक्त था, शान्ति का वक्त था, वह अब ख़त्म हो चुका है। हम मर भी जायें, डीमारैलाइज़ (नैतिक ह्रास) भी हो जायें तो भी सरकार का काम मरे हुओं को मारना नहीं है। सरकार का काम गरीबों का ख्याल करना है।

इसलिये यह दो सवाल बहुत ज़रूरी हैं, एक कमीशन मुक़र्रर हो और दूसरे कम्पेन्सेशन के मामले का जल्दी फैसला हो। इस की सारी ज़िम्मेदारी आप की है। पोलीटीकल ज़िम्मेदारी, मारैल रिसपांसिबिलिटी, सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की, कांग्रेस की और कांग्रेस गवर्नमेंट की है जिस ने पार्टीशन (विभाजन) मंजूर किया और हम पर यह मुसीबत डाली।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (गया पश्चिम) : मैं श्री अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं प्रो० मुखर्जी की इस बात से सहमत हूं कि सुदूर पूर्व में जो एक भय और आशंका का वातावरण छा गया है उसका आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा और इस के फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य चढ़ जायेंगे। किन्तु इस से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये सरकार पग उठायेगी जैसा कि उस ने कोरिया युद्ध के आरम्भ होने पर किया था। मुझे यह समझ नहीं आता कि वे प्रधान मंत्री जी से एक विशेष रूपरेखा के अनुसार कार्य करके हमें एक गुट विशेष के साथ बांधने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति तटस्थता की नीति है जिस से विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है अतः हमारे

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा]

प्रधान मंत्री जी के अब तक के प्रयत्नों का समर्थन करने के बजाय उन्हें किसी गुट विशेष में सम्मिलित होने के लिये कहना हमारी विदेश नीति के मूल तत्वों को न समझना है।

राष्ट्रपतिजी ने अपने भाषण में देश में सर्वतोमुखी प्रगति लाने के बृहत् प्रयत्नों का उल्लेख किया है। उन्होंने ५५ सामुदायिक परियोजनाओं तथा बहुमुखी नदी घाटी परियोजनाओं का उल्लेख किया है जिन से लोगों में काफी उत्साह पैदा हुआ है, किन्तु इन से बहुत थोड़े लोगों को लाभ पहुंचा है। शेष बहुत से लोगों का सरकार से विश्वास उठता जा रहा है और उन में असन्तोष फैला हुआ है। अतः इसे दूर करने के लिये सरकार को छोटे छोटे सिंचाई के कार्यों को आरम्भ करना चाहिये जिस से कि थोड़े समय में अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके।

लोगों में उत्साह पैदा करने के लिये तथा उन का सहयोग प्राप्त करने के लिये हमें अपने कार्यक्रम उन पर थोपने नहीं चाहियें, अपितु कार्यक्रमों में उनका भी हाथ रखना चाहिये। इससे उन में उत्साह बढ़ेगा और एकता और सहयोग की भावना आयेगी जिससे इस पंचवर्षीय योजना को पूरा करना बड़ा सरल हो जायेगा। यदि लोगों में यह एकता पैदा न हुई तो आप की सारी की सारी योजनायें धरी धराई रह जायेंगी।

इस सम्बन्ध में मैं आचार्य विनोबा भावे के रचनात्मक कार्य का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता। आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ का लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। इससे लोग यह समझने लगे हैं कि वे भी इस सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति में अपना अंश दान दे रहे हैं। इस समय देश में एक उचित प्रकार का मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा हो गया है, और इस से लाभ उठा कर सरकार देश की भूमि समस्या को हल करने के लिये कोई भी भूमि सुधार लागू कर सकती है। लोगों में इस से उत्साह पैदा होगा और वे सरकार का साथ देंगे। भूमि समस्या का देश की खाद्य समस्या से गहरा सम्बन्ध है। यह सत्य है कि राष्ट्रपति जी ने खाद्योत्पादन को बढ़ाने के लिये किये गये विभिन्न उपायों का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी बतलाया है कि इस वर्ष खाद्य स्थिति के गत दो या तीन वर्षों से भी अच्छा होने की आशा है। किन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खाद, उर्वरक और खेती के सुधरे हुए तरीकों के साथ साथ सरकार को किसान के सामर्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिये। साधारणतया किसान बड़े निर्धन और अनपढ़ होते हैं और उन के पास छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं जिन पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होता। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उस ने किसान के सामर्थ्य पर विचार कर लिया है, क्या वह सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से पूरा पूरा लाभ उठा सकता है? और मान लीजिये कि यदि वह इन सब सुविधाओं का प्रयोग करता है, तो क्या उस के लिये ऐसा कहना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा?

मैं खाद के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने हमें बताया है कि सिंदरी के उर्वरक के कारखाने में देश के लिये पर्याप्त उर्वरक तैयारे होने लगा है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। सरकार ने खाद का संग्रह मूल्य घटा कर ३३५ रुपये प्रति टन कर दिया है, किन्तु

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस का परचून भाव क्या होगा ? बम्बई के एक पत्र ने इसका हिसाब लगाया था कि सिंदरी में तैयार किया हुआ खाद खरीदने वाले को ४४६ रु० प्रति टन पड़ेगा जब कि जापान से आयात किया हुआ उर्वरक २३० रुपये प्रति टन पड़ता है। मुझे भय है कि सरकार ने गणना में कुछ गलती की है। अतः इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या किसान इस मूल्य पर इसका प्रयोग कर सकेगा ? इसलिये मैं इस बात पर बल देता रहा हूं कि कृषि सम्बन्धी योजनायें बनाने में किसान का भी हाथ रहना चाहिये। यदि हमें पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है, हर दिशा में प्रगति करनी है, तो हमें जनता का विश्वास और समर्थन प्राप्त करने के लिये कोई ठोस कार्य करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर--उत्तर) : राष्ट्रपति जी के बहुत जानकारी पूर्ण अभिभाषण के लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के इस सत्र के कार्यक्रम के रूप में केवल पांच विधेयकों का उल्लेख किया गया है। हम जानते हैं कि गत सत्र के २२ विधेयक अभी निबटाने शेष हैं। मैं संसदीय कार्य के इसी पहलू पर कुछ कहूंगा कि किस प्रकार से कार्य किया जाये कि कोई कार्य शेष न रहे और प्रत्यक नये सत्र के आरम्भ हो, पर मैदान बिल्कुल साफ हो।

हम सब जानते हैं कि गत सत्र के अन्त में २२ विधेयक शेष रह गये थे। इन विधेयको में से कुछ महत्वपूर्ण और सामुदायिक रूप से अत्यन्त हितकर हैं जिन्हें कि हम पहिले पारित करना चाहते थे, किन्तु किन्हीं कारणों से कर नहीं सके।

पहिले वर्ष इस संसद् ने काफी काम किया है। अब हमें यह सोचना है कि हम प्रत्येक नये सत्र से पूर्व अपना पिछला सारा काम समाप्त कैसे कर सकते हैं।

जैसा कि मैंने कहा यह सारी समस्या समय की है। इतने सीमित समय में सदन नये विधानों को कैसे निबटाये ? अब हम यह देखते हैं कि हमारा समय यहां कैसे व्यतीत होता है। संसद् के प्रतिदिन के पांच घंटे के समय में से एक घण्टा अर्थात् २० प्रतिशत तो प्रश्नकाल में लग जाता है। वित्तीय प्रस्तावों, रेलवे आयव्ययक, सामान्य आयव्ययक, लेखानुदान और अनुपूरक अनुदानों जैसी आवश्यक चीजों में लगभग ४० प्रतिशत समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त अल्प सूचना प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों, आधे घंटे की चर्चाओं में और निजी सदस्यों के संकल्पों तथा निजी सदस्यों के विधेयकों में कुल लगभग दस प्रतिशत समय लग जाता है। इस प्रकार हमारा लगभग ७० प्रतिशत समय लग जाता है और केवल ३० प्रतिशत के लगभग नये विधानों के बनाने के लिये शेष रह जाता है। हम इस ७० प्रतिशत समय में से जो कि अत्यावश्यक कार्यों में लगता है, कोई बचत नहीं कर सकते।

अतः हमें अब यह सोचना है कि इस सीमित समय में हम नये विधानों को किस अन्य तरीके से निबटा सकते हैं। इस विषय में संसदीय प्रक्रिया के अनुभवी व्यक्तियों ने कई सुझाव दिये हैं। उन में से एक सुझाव यह है कि सामान्यतया संसदों को नये विधेयकों के केवल मूल सिद्धान्तों पर ही चर्चा करनी चाहिये अर्थात् संसद को विधेयक के दूसरे वाचन के समय ही

[श्री वी० बी० गांधी]

उस पर चर्चा करनी चाहिये और उस पर विस्तृत विचार का कार्य सम्बद्ध सरकारी विभाग पर छोड़ देना चाहिये । मैं जानता हूं कि बहुत से सदस्य इसे दूसरे को शक्ति देकर विधान बनाना कहेंगे और इसे पसन्द नहीं करेंगे । किन्तु हम चाहें इसे पसन्द करें या न करें सरकार द्वारा प्रस्तुत नये विधानों को समय पर पूरा करने का यही तरीका है और इसी प्रकार हम देश की सेवा कर सकेंगे । राष्ट्र को तो नये विधानों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही है चाहे वह संसद् की सहायता से पूरा करे या उसके बिना पूरा करें अतः हमें सत्र में इस प्रकार के कार्य करना चाहिये कि हमारा कार्य समय पर पूरा हो जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की कण्डिका ३ और ४ में कोरियाई संकल्प के प्रति हमारी बड़ी भारी असफलता को प्रकट किया गया है ।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों का भाग्य पहिले के समान ही बुरा है और उन के विरुद्ध जातीय भेदभाव की नीति पूर्ववत् जारी है । पड़ोसियों से हमारे सम्बन्ध भी अच्छे नहीं हैं । काश्मीर की समस्या को सुलझाने में तो शासन बिल्कुल असफल रहा है । अब सरकार के लिये इस विषय में कठोर कार्यवाही करने का समय आ गया है । हमें आश्चर्य होता है कि काश्मीर के साथ विशेषता व्यवहार क्यों किया जाता है ? सम्भवतः प्रधान मंत्री जी की पितृ भूमि होने के कारण ही ऐसा किया जाता है । हम सब काश्मीर के सामरिक महत्व को समझते हैं । तो सरकार ने इस के प्रवेश के खण्डों को अन्तिम रूप क्यों नहीं दिया । उन्होंने अवस्था क्यों बिगड़ने के लिये छोड़ दिया है । हजारों लोग गिरफ्तार कर लिये गये हैं और बन्दीगृहों में ठूंस दिये गये हैं । पहिले यह कुछ इने गिने शरारती लोगों का अड्डा समझा जाता था अब यह जनता के आन्दोलन का रूप धारण करता जा रहा है । राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि उन की उचित शिकायतों की ओर ध्यान दिया जायेगा । तो आप इस को तय क्यों नहीं कर लेते क्योंकि विदेशी कूटनीतिज्ञ इस का दुरुपयोग करेंगे ?

मैं अखण्ड काश्मीर के पक्ष में हूं । काश्मीर में हमारी सरकार ने जो दमन-चक्र चला रखा है मैं उस की निन्दा करती हूं । यदि कोई विध्वंसकारी आन्दोलन हो, तो सरकार को उन पर नियंत्रण करना चाहिये । किन्तु इस ने स्त्रियों पर दमन करने, उन का अपमान करने और उन से बलात्कार करने में अपने पूर्वाधिकारी अंग्रेज नौकरशाही का अनुकरण करना आरम्भ कर दिया है ।

कुछ वर्ष पूर्व मैं बम्बई में शेख अब्दुल्ला से मिली थी और हम त्रावन्कोर राज्य में दमन की चर्चा कर रहे थे । जब मैं अपने साथ किय गय दमन का वर्णन कर रही थी ता शेख अब्दुल्ला को क्रोध आ गया और उस ने कहा : 'तुम ने सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर को गोली क्यों नहीं मार दी ? यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो जरूर मार देता ।' इतिहास अपने आप को दोहराता है ।

वही चीज काश्मीर में हुई है और मैं उन स्त्रियों की निकट सम्बन्धी कुछ

महिलाओं से मिली हूं जिन के साथ कि यह बीती है। मैं सदन के विचारार्थ यह सूचना प्रस्तुत करती हूं। सुन्दरबन्दी की विमलादेवी और रतना की गूलनदेवी तथा अन्य दो पर बुरी नीयत से आक्रमण किया गया था और उन से बलात्कार किया गया था। तीन कालेज की लड़कियों से भारतीय झण्डा उठाने के कारण दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें पीटा गया और घसीट कर बन्दीगृह में ले जाया गया। वहां उन्हें नगा करके बेंत लगाये गये और एक सप्ताह पश्चात् एक को बेहोशी की अवस्था में बाहर फेंक दिया गया। मैं उस लड़की की बहिन से मिली हू। मैं सदन से अनुरोध करती हू कि वह इस प्रश्न पर विचार करके न्याय करें। मैं शेख अब्दुल्ला से आज यह पूछना चाहती हूं: 'क्या आप इन में से किसी लड़की को आप का गोली मारने देंगे?' यह बड़ा निन्दनीय है कि देशभक्तों के बलिदान से बनी हुई यह सरकार काश्मीर के इस दमन को देख कर चुप रहे। सब से अधिक बुरी बात तो यह है कि विदेशी कूटनीतिज्ञ इस से अनुचित लाभ उठाते हैं। उन्हीं लोगों ने दो विश्वयुद्ध किये हैं। उन्होंने ही कोरियनों और चीनियों को आपस में लड़ाया है। यदि हम इन शान्ति और मानवता के शत्रुओं पर भरोसा करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा?

६ म० प०

पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध अच्छे रहे है। यह विभाजन तो अंग्रेज साम्राज्यवादियों की भारत को एशिया का नेतृत्व करने से रोकने और स्थिति से अनुचित लाभ उठाने का एक चाल मात्र है।

भाषावार प्रान्तों की समस्या इस प्रकार हल नहीं हो सकती। यदि किसी राज्य को बांटना होगा तो उन्हें राजप्रमुखों के साथ किये गये करारों का भी ध्यान रखना होगा और संविधान में संशोधन किये बिना यह कार्य नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह कहा गया है कि सामान्यतया स्थिति में सुधार हो रहा है, किन्तु यह ठीक नहीं है। अगले ही वाक्य में वे यह कहते हैं कि भारत में अकाल की सी स्थिति है और राज्य सरकारें इस का सामना करने का प्रयत्न कर रही है। जब हज़ारों भिखारी गली-कूचों में घूम रहे हैं और देश में अकाल तथा बेकारी फैली हुई है, तो आर्थिक अवस्था में सामान्यतया सुधार कैसे हो सकता है? खाद्य स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और बेकारी के कारण लोगों की क्रय शक्ति घट गई है; इसलिये चोर बाज़ार में वस्तुओं के मूल्य घट गय हैं। समाज का ढांचा टूट-फूट रहा है और शीघ्र ही हम इस भुखमरी और अकाल की प्रतिक्रिया देश की शान्ति और सुरक्षा में देखेंग।

प्रशासन को पंचवर्षीय योजना पर बड़ा गर्व है। इस योजना को पूरा करने के लिये हमें अपने राजस्व पर निर्भर रहना होगा। राजस्व व्यापार की वृद्धि से प्राप्त होगा। किन्तु हमारा निर्यात और आयात व्यापार निरन्तर घट रहा है। बागानों की फसलों के मूल्य घट गये हैं। राजस्व की ऐसी अवस्था होने पर यह योजना पूरी कहां से होगी? बाह्य सहायता भी, जिस के लिये कि हम ने अपने आत्म सम्मान का बलिदान कर दिया है, हमें ठीक प्रकार नहीं मिल रही है। हम जो आगे बढ़े हैं वह जनता के प्रयत्न से बढ़े हैं। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये उस में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिये तभी भारत उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा।

श्री कास्लीवाल (कोटा-झालावाड़): मेरे से पहले बोलने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि काश्मीर के साथ विशेषता का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने नग्न साम्प्रदायिक आन्दोलन का समर्थन किया जो कि जम्मू में प्रजा परिषद् के आन्दोलन के नाम से चल रहा है। उन्होंने जम्मू प्रान्त में स्त्रियों पर किये गये कतिपय अत्याचारों का भी वर्णन किया। किन्तु जम्मू में चिकित्सालयों और पाठशालाओं के जलाने और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार किये जाने के उदाहरण तो इधर से भी दिये जा सकते हैं। जम्मू में प्रजा परिषद् के आन्दोलन का यही इतिहास है।

साम्यवादी गुट के नेता हमारी विदेश नीति पर बड़ी जोर से बरसे हैं और उन्होंने इस सम्बन्ध में कोरिया का भी उल्लेख किया है। कोरिया सम्बन्धी भारतीय प्रस्ताव का ५६ राष्ट्रों ने समर्थन किया था और केवल साम्यवादी गुट के पांच राष्ट्रों ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति आइज़नहौवर का वार्षिक सन्देश जिस में फारमोसा की तटस्थता को समाप्त करने की घोषणा की गई थी भारतीय प्रतिष्ठा और विदेश नीति पर एक करारी चपत थी। मैं कहता हूं कि यदि साम्यवादी हमारे संकल्प को स्वीकार कर लेते तो राष्ट्रपति आइज़नहोवर कभी ऐसा भाषण न देते। तानाशाही लोगों की यही तो चाल है कि वे अपनी विचार धारा को न मानने वाले लोगों की बात का सदा विरोध करते हैं। ये शान्ति सम्मेलन तो केवल साम्यवाद का प्रचार करने का एक साधन मात्र हैं।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पूर्वी अफ्रीका के जातीय संघर्ष का उल्लेख किया गया है। मझे प्रसन्नता है कि पूर्वी अफ्रीका में अब भारतीयों की स्थिति अच्छी है क्योंकि अब उन्होंने अधिक वास्तविकतापूर्ण रुख अपनाया है। पूर्वी अफ्रीका में वास्तविक समस्या भूमि की है। वहां अब सारी भूमि यूरोपियनों के अधिकार में है और वहां के आदिवासी भूमि के लिये चिल्ला रहे हैं।

राष्ट्रों में खिंचाव को दूर करने के लिये गांधीवादी दृष्टिकोण तथा विधि के अंशदान के सम्बन्ध में दिल्ली में जो गोष्ठी हुई थी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही दृष्टियों से वह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस गोष्ठी के सभापति लार्ड बायड-और ने कहा था कि प्रत्येक सम्भावनापूर्ण व्यक्ति की यही आशा है कि राष्ट्रों में वर्तमान खिंचाव को शान्तिपूर्ण ढंग से दूर करने में भारत शेष विश्व का अगुआ बनेगा।

पंचवर्षीय योजना अभाव, विनाश, निर्धनता, आलस्य और अज्ञानता इन पांचों चीजों को दूर करने के लिये बनाई गई है। इस पंचवर्षीय योजना का कार्य न केवल युद्ध जर्जर तथा विभाजनोपरान्त की अर्थव्यवस्था को ही ठीक करना है, अपितु एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिस में प्रत्येक व्यक्ति को काम करने और पर्याप्त मजूरी कमाने का अधिकार होगा। यह एक साहसपूर्ण योजना है जिसे कि बड़ी तत्परता से पूरा करना होगा। यदि इस पंचवर्षीय योजना के प्रवर्तन में कोई शिथिलता आई, तो इस से सारा देश कमजोर हो जायेगा।

राष्ट्रपति जी ने कहा है कि देश में सामान्यतया पहिले से अधिक प्रगति हुई है। यह सत्य है, किन्तु अभी तक हम अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंचे हैं। सब जगह अकाल पड़ रहे हैं और हमारी परीक्षा का समय अभी समाप्त नहीं हुआ

है । किन्तु मुझे पक्का निश्चय है कि हम अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

प्रो० मैथ्यू (कोट्टयम्) : मैं इस प्रस्ताव का सहर्ष समर्थन करता हूं । बड़े बड़े विचारकों ने यह कहा है कि मनुष्य पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी--पूर्ण तो अपने कार्यों में और अपूर्ण अपनी महत्वाकांक्षाओं में । राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि हम ने हर दिशा में प्रगति की है और इस के साथ ही यह भी कहा गया है कि यद्यपि हम ने श्रीगणेश तो अच्छा किया है किन्तु हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिये अभी बहुत लम्बा रास्ता तय करना है ।

सब से पहिले मैं खाद्य समस्या के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । खाद्य समस्या अन्तिम रूप से हल नहीं हुई है, किन्तु मैं अपने निजी अनुभव से यह कह सकता हूं कि त्रावन्कोर-कोचीन में खाद्य नियंत्रण में ढिलाई का सब ओर स्वागत किया गया है और खाद्य स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है ।

पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं । जो लोग यह कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना से देश को कोई लाभ नहीं होगा; वह असफल रहेगी वे देश का सब से अधिक अहित करते हैं । योद्धाओं को वीर होना चाहिये और हमें वीरतापूर्वक इस में जुट जाना चाहिये इस प्रकार से लोगों को निरुत्साहित करना देश के लिये अहितकर है ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में हम सब चिन्तित हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल के प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले सम्भावित भयों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । किन्तु यह भयंकर स्थिति भारत के अत्यन्त युक्तियुक्त प्रस्तावों के साम्यवादी गुट द्वारा अस्वीकृत किये जाने के कारण ही उत्पन्न हुई है । साम्यवादी नेताओं ने इन तर्क सम्मत प्रस्तावों को ठुकराने का केवल यही कारण बताया है कि ये स्वेच्छा से पुनः स्वदेशावर्तन के सिद्धान्त पर आधारित थे । किन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस स्वेच्छा से पुनः स्वदेशावर्तन के सिद्धान्त पर आपत्ति क्या है ? मानव की सहज बुद्धि यही कहती है कि पुनः स्वदेशावर्तन स्वेच्छा से ही होना चाहिये । किसी व्यक्ति को उस की इच्छा के विरुद्ध उस की जन्म भूमि को भी नहीं भेजना चाहिये । स्पष्ट है कि स्वेच्छा से पुनः स्वदेशावर्तन का तरीका ही सब से अधिक सराहनीय और स्वतंत्रता तथा न्याय के अनुकूल है ।

जम्मू और काश्मीर के आन्दोलन के सम्बन्ध में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । काश्मीर की स्थिति औरों से भिन्न, विशेष तथा बहुत कठिन है । यह कोई साधारण समस्या नहीं है । इस की आलोचना करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिये । यह कहा गया है कि इस विषय में कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये । किन्तु "कठोर कार्यवाही" का तात्पर्य स्पष्ट नहीं किया गया । क्या हम पाकिस्तान के साथ खुला युद्ध छेड़ दें ? कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये, किन्तु सोच-समझ कर और ध्यानपूर्वक की जानी चाहिये ।

भाषावार प्रान्तों के सम्बन्ध में भी मुझे एक शब्द कहना है । मुझे इस में सन्देह है कि इस समय प्रान्तों की सीमाओं के

[प्रो० मैथ्यू]

पुनरांकन को आरम्भ करने से भारत की एकता बढ़ेगी और इस के अन्य हितों को हानि नहीं पहुंचेगी। कभी तो इसे करना ही है इसलिये हमें इस समय राष्ट्रीय पैमाने पर इसे आरम्भ कर देना चाहिये ; यह कोई युक्ति नहीं है । मुझे भय है कि हमें जो शक्ति अत्यावश्यक कार्यों में लगानी है वह इस से नष्ट हो जायेगी और यदि हम लोगों की मांगों के अनुसार--जो कि कुछ हद तक न्याय्य भी हैं--प्रांतों की सीमाओं का पुनरांकन करने लगे तो एक उथल-पुथल सी मच जायेगी ।

मैं शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । यह विषय बहुत विस्तृत और आवश्यक है । देश के लाखों और करोड़ों लोगों को शिक्षित करना है । सरकार अकेले इस कार्य को कभी नहीं कर सकती उसे इस क्षेत्र में कार्य करने वाली निजी संस्थाओं की सहायता करनी चाहिये और उन्हें अधिकाधिक प्रोत्साहन देना चाहिये ।

मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमारा कार्य कठिन है और रास्ता लम्बा है किन्तु हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए क्यों कि हम ने इस में काफी प्रगति की है । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में रुचि न लेने और सरकार की योजनाओं में सभी श्रमिकों को काम देने और उन के हितों का ध्यान रखने की सुविधाओं के अभाव सम्बन्धी अपने दो संशोधनों के विषय में कुछ कहूंगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की सफलताएं और उस के समक्ष विद्यमान कार्य गिनाये हुए हैं । इस दृष्टि से यह एक अच्छा दस्तावेज है । किन्तु इस में भारत की आज की स्थिति का वास्तविक चित्रण नहीं किया हुआ है । स्वतन्त्र भारत में हम निर्धनता, बेकारी, भ्रष्टाचार और जातीयवाद की बुराइयां देखते हैं । इन सब समस्याओं का उल्लेख नहीं किया गया ।

सब से पहले मैं आन्ध्र राज्य के निर्माण का जो उल्लेख किया गया है उस के सम्बन्ध में धन्यवाद देना चाहता हूं । हम आन्ध्रों को यह आशा है कि यह आन्ध्र राज्य १६ मार्च को जब कि आन्ध्र के कुछ भागों में नव वर्ष मनाया जाता है, बन जायेगा । आशा है संसद् के सभी सदस्य इस में हमारा साथ देंगे । मैं समझता हूं कि आन्ध्र के बन जाने के पश्चात् हम कर्णाटक, केरल, महाराष्ट्र और महागुजरात आदि अन्य भाषाई एककों की ओर भी ध्यान देंगे ।

मुझे सरकार के साथ बड़ी सहानुभूति है । इसे पूर्वी अफ्रीका के माऊ माऊ आन्दोलन की, दक्षिण अफ्रीका के जातीय भेदभाव के प्रश्न की, न्यूजीलैण्ड के मावरियों का, काश्मीर की समस्या की, और शरणार्थियों की समस्या की चिन्ता है । किन्तु वे देश के भूमिहीनों की समस्या को भूल गये हैं जिन की संख्या देश में साढ़े सात करोड़ के लगभग है इन के पास न रहने को छप्पर हैं न तन ढांपने को कपड़े, न दो समय पेट भर भोजन मिलता है । जमींदार और पूंजीपति इनका शोषण

करते ह और इन की कोई परवाह नहीं करता। आप कब तक इस समस्या की उपेक्षा कर सकते हैं? क्या आप यह समझत ह कि कोरिया और मध्य-पूर्व प्रतिरक्षा संगठन की समस्या इस से अधिक महत्वपूर्ण है? आप भूमिविहीनों की समस्या की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? आप को इस समस्या को साहसपूर्वक और शीघ्र ही सुलझाना चाहिये तभी आप विश्व को यह कह सकेंगे कि आप ने अपनी सब कठिनाइयों को हल कर लिया है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसे हल कैसे किया जाये? इस देश में लगभग १६½ करोड़ एकड़ भूमि परती पड़ी हुई है। आप को जमींदारी उन्मूलन की आवश्यकता नहीं। आप इस १६½ करोड़ एकड़ परती भूमि को इन में बांट दीजिए। आप प्रत्येक को एक एक एकड़ न दीजिए। आप सहकारी खेत बना दीजिये। इस भूमि को जोत कर आप "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन को सफल बनाइय। कांग्रसी सरकार ने भूमि समस्मा को हल करने के लिए कुमारप्पा सम्मिति नियुक्त की थी किन्तु उस के भी प्रतिवेदन को ताक में रख दिया गया। वह इसे हल क्यों नहीं करती? क्योंकि वह पूंजीपतियों से डरती है। अब समय आ गया है कि सरकार को इस भूमिविहीनों की समस्या को तुरन्त हल करना चाहिए।

अब मैं अपनी हरिजन जाति के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। अंग्रेज़ी राज में हमें जो थोड़ी सी सुविधाएं मिली थीं अब वे सब धीरे धीरे और चुपके से छीन ली गई हैं। हरिजन सेवक संघ जिसे कि महात्मा गांधी ने स्थापित किया था अब बिना धन जन और उत्साह के एक नाम मात्र की संस्था रह गई ह। गत वर्ष मद्रास सरकार की मैंने हरिजनों की सहायता करने के लिए प्रशंसा की थी, किन्तु इस वर्ष उस ने सारे अनुदान बन्द कर दिये हैं। और धनाभाव के कारण इस जाति की सारी प्रगति रुक गई है। केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री और गृहमंत्री में इस कार्य के प्रति कोई उत्साह नहीं है। मद्रास राज्य में ब्रिटिश शासन ने कुछ भूमि दलित जातियों के लिए रखी हुई थी जो केवल उन्हें ही सरकारी सहायता से खेती के के लिए दी जाती थी। लंका भूमि भी अनुसूचित जातियों को दी जाती थी। मद्रास सरकार ने उन सब सिद्धान्तों और आश्वासनों को भंग करके इन भूमियों को नीलाम करना आरम्भ कर दिया है। मैं कांग्रेसी मित्रों को ग्रामों में जा कर हरिजनों की अवस्था देखने के लिए कहूंगा। उसे काम नहीं मिलता। भारी ऋण के कारण उसे अपने बाप दादा की भूमि भी नहीं जोतने दी जाती। उस के बच्चों को छात्रवृत्ति घटा कर शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया है। अतः मैं यह चाहता हूं कि सरकार श्रमिकों तथा अनुसूचित जातियों की दशा सुधारने के अपने उत्तरदायित्व को समझे। जब किसी राज्य सरकार या इस सरकार से पूछा जाता है, तो वे कहतीं ह कि अस्पृश्यता समाप्त हो गई है, आप संविधान में देख सकते हैं। कागजी कार्यवाही से कोई काम नहीं चलेगा। यदि आप हरिजनों की सहायता करेंगे तो हरिजन आप की सहायता करेंगे नहीं तो वे और किसी को प्रशासक बना लेंग जिससे कि देश प्रगति की ओर अग्रसर हो सके।

पंचवर्षीय योजना में हरिजनों, श्रमिकों तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिए क्या

[श्री बी० एस मूर्ति]

किया गया है । पिछड़े वर्गों के आयोग में भी अपने ही व्यक्ति भर लिए गये हैं ।

अन्त में मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह वास्तविकता को समझे और आत्मसन्तोषी न बने और श्रमिकों, हरिजनों, पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को अपना उत्साही समर्थक बनाये । और एक ऐसे नये राष्ट्र और नये समाज का निर्माण करे जिसमें जातीयवाद तथा शोषण का नाम निशान न हो ।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर): राष्ट्रपति के अभिभाषण को दो भागों में बांटा जा सकता है । एक तो यह न केवल सदन के लिये, अपितु राष्ट्र के लिये, एक प्रतिवेदन है; और ऐसा प्रतिवेदन है जो निष्पक्ष लोगों उत्साह की लहर पैदा कर देता है । यह सर्वतोमुखी प्रगति का प्रतिवेदन है । मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सरकार की कदम कदम पर आलोचना करते हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाये तो गत एक वर्ष में हमने जो प्रगति की है उस पर सारे राष्ट्र को गर्व हो सकता है ।

मेरे पूर्ववक्ता ने भूमिविहीन काश्तकारों और हरिजनों के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं वे सभी न्याय्य नहीं थीं । पंजाब में मैं ने हरिजनों की अवस्था अपनी आंखों से देखी है । हरिजनों को शिक्षा तथा अन्य सुविधायें पहले से कहीं अधिक मिल रही हैं । हमारे कालिजों तथा विश्वविद्यालय में बहुत से हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां मिल रही हैं और और वे सब बड़े प्रसन्न हैं और उन्हें जीवन में उन्नति के अनेकों अवसर मिल रहे हैं ।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि जातीयवाद अब भी विद्यमान है । परन्तु मैं नहीं जानता कि यह कहां विद्यमान है । भारत के किन्हीं पिछड़े हुए भागों में होगा, किन्तु मैं समझता हूं कि जिन राज्यों में सामाजिक सुधार किये गये हैं वहां तो इसका नाम मात्र शेष रह गया है । मैं नहीं समझता कि अब यह कहीं रह ही कैसे सकता है ।

मेरे माननीय मित्र ने भूमिविहीन श्रमिकों के सम्बन्ध में कहा था । अन्य राज्यों के सम्बन्ध में तो नहीं जानता हूं किन्तु अपने राज्य के सम्बन्ध में मैं निजी अनुभव से यह कह सकता हूं कि नये काश्तकारी विधान तथा नये अध्यादेशों से जो कि इस सम्बन्ध में जारी किये गये हैं, उन्हें अत्यन्त लाभ हुआ है । इस नये विधान से जो कि हमारी राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया जायेगा इन तथा कथित भूमिविहीन श्रमिकों को भूमि मिल जायेगी और मताधिकार भी मिल जायगा । भूमि का एकत्रीकरण हो रहा है इससे उन्हें बहुत लाभ पहुंचा है । राज्य में साझी भूमि है । इस साझी भूमि में हरिजनों को भी उतना ही भाग दिया गया है जितना कि इन अर्द्ध-स्वामियों को दिया गया है । आलोचना करना बड़ा सरल है । हमें प्रत्येक समस्या को विशाल दृष्टिकोण से देखना चाहिये तभी हमें अपने कार्यों पर प्रसन्नता और गर्व होगा । हमें अपने देश की अन्य देशों से तुलना करनी चाहिये तब हम ऐसी कटु आलोचना नहीं करेंगे ।

अभिभाषण में चारों ओर प्रगति ही बतलाई गई है । मेरे राज्य में जो भूमि

का एकत्रीकरण हो रहा है उस से भारत के गांवों का नकशा बदल जायेगा। भूमि के एकत्रीकरण से गांव की एक नई अर्थव्यवस्था बन जायेगी जो पहले से काफी सुधरी हुई होगी।

शिक्षा से मेरा पुराना सम्बन्ध रहा है। मैं इस के सम्बन्ध में यह कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई है। हज़ारों वर्षों की कमी को पांच वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता, किन्तु हम ने इन पांच वर्षों में भी बहुत काम किया है।

शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की नीति बड़ी ठोस है। पहिले की शिक्षा से हम विद्यार्थियों को समाज का कमाऊ सदस्य नहीं बना सकते थे। किन्तु अब सरकार की नीति बुनयादी शिक्षा की नीति है। हमारे राज्य की प्राथमिक शालाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। इन्हें बदल कर 'बुनियादी' पाठशालायें बनाया जा रहा है। मैं ने इन पाठशालाओं को देखा है। छोटे छोटे लड़के और लड़कियां इस 'उत्पादक शिक्षा' या बुनियादी शिक्षा को बड़ी उत्सुकता और रुचि से ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार देश की शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है।

७ म० प०

माध्यमिक शिक्षा को ही लीजिये। सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन के लिये एक समिति नियुक्त किये जाने से पहले ही भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा में एक परिवतन सा आ गया है। मेरे राज्य में माध्यमिक शिक्षा को नया रूप दिया जा रहा है! अब सब को एक सी शिक्षा नहीं मिलेगी। कलाप्रेमियों को कला की, शिल्प में रुचि रखने वालों को शिल्प की और विज्ञान की इच्छा वालों की वैज्ञानिक शिक्षा दी जायेगी। यह शिक्षा सभी की।

विश्व विद्यालयों में भी नये नये विभाग खुल रहे हैं। हम विद्यार्थियों को उन की रुचि और महत्वाकांक्षाओं के अनुसार ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो उनके लिये उपयुक्त होगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्र के लिये प्रतिवेदन और आह्वान दोनों ही हैं। हम देखते हैं कि प्रथम पृष्ठ पर ही हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है हम अपने देश के भविष्य में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं..... 'श्रद्धा' और 'साझेदारी' इन दो शब्दों में सारा नैतिक महत्व आ गया है। हम एक सर्वहितकारी राज्य के निर्माण में सभी की साझेदारी चाहते हैं। हमारे इस सर्व हितकारी राज्य में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी और मैं समझता हूं कि हमें यही नीति अपनानी चाहिये।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शनिवार, १४ फरवरी, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।